पंचम माला, खंड 5, अंक 37
Fifth Series, Vol. V, No. 37

मंगलवार, 13 जुलाई, 1971/22 आषाढ़, 1893 (शक)
Tuesday, July 13, 1971/Asadha 22, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र / Second Session]

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...64620...
Date ...12.1.72...

सत्यमेव जयते

[खंड 5 में अंक 31 से 40 तक हैं / Vol. V contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 37, मंगलवार, 13 जुलाई, 1971/22 आषाढ़, 1893 (शक)

No. 37, Tuesday, July 13, 1971/Asadha 22, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1081. पश्चिम बंगाल में बिड़ला के कारखानों का पुन: चालू किया जाना	Reopening of Birla Factories in West Bengal	1—3
1082. ब्रैथवेट, बर्न एण्ड जेसप कांस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम	Working Results of Braithwaite Burn and Jeesop Construction Co. Ltd. ..	3—5
1083. स्कूटर कारखाने की स्थापना के लिये जमा प्रतिभूतियों का प्रयोग	Use of Security Deposits for setting up Scooter Factory ..	5—7
1084. रेलवे की खान पान व्यवस्था के विभाग को हानि	Loss to Railway Vending and Catering Department ..	7—8
1087. अजय नदी परियोजना	Ajoy River Project	9—10
1088. भारतीय रेलवे के लाइसेंस प्राप्त कुलियों से ली जाने वाली लाइसेंस फीस	Licence Fee realised from Licensed Porters of Indian Railways	10—11
1089. सीमेंट कारखानों के लिये रेल के बन्द माल डिब्बों की कमी	Shortage of covered Railway Wagons for Cement Factories .	11
1091 हावड़ा दिल्ली रेलवे लाइन के विद्युतीकरण में विलम्ब	Delay in the Electrification of Howrah Delhi Railway Line	12
1093. गांधी सागर 'बांध' की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव	Proposal to raise height of Gandhi Sagar Dam ..	13—14
1094. दिल्ली विद्युत प्रदाय, संस्थान को दिया गया ऋण	Loans Advanced to DESU ..	14—15

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1095. बंगलौर में जोनल दक्षिण रेलवे के जोनल या डिवीजनल मुख्यालय की स्थापना	Creation of a Zonal or Divisional Headquarters for Southern Railway at Bangalore	15—16
1096. केरल सरेमिक्स लिमिटेड कुडांरा का विस्तार	Expansion of Kerala Ceramics Limited Kundara	16—17
1098. भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार तिरुचिरापल्ली हैदराबाद स्थित कारखानों में उत्पादन	Production in Bharat Heavy Electricals Limited at Hardwar, Tiruchirapalli and Hyderabad ..	17—19
1099. गंगा तथा कावेरी को जोड़ने के लिये पटना से तमिलनाडु तक नहर	Canal from Patna to Tamilnadu to Link Ganga and Cauvery ..	20—22

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1085. दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय तथा रेलवे सेवा आयोग को उड़ीसा में स्थानान्तरित करना	Shifting of South Eastern Railway Headquarters Office and Railway Service Commission to Orissa	22
1086. योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति	Fulfilment of Plan Targets ..	22—23
1090. उच्चतम न्यायालय में मामलों की पैरवी करने के लिये स्थापित की गई केन्द्रीय एजेन्सी योजना में राज्य सरकारों द्वारा भाग लिया जाना	Participation of State Governments in the Scheme of Central Agency set up for counducting cases before Supreme Court	23
1092. फिरोजपुर लुधियाना शाखा लाइन को मुख्य लाइन बनाना	Conversion of Ferozpur-Ludhiana Branch Line into Main Line ..	24
1097. रेलवे प्रशासन द्वारा दिल्ली में चुंगी कर की वसूली	Collection of Terminal Tax by Railway Administration in Delhi ..	24
1100. रेलवे कर्मचारियों के लिये अधिक अवकाश गृहों की मांग	Demand for more Holiday Homes for Railway Employees ..	24—25
1101. बिहार, उत्तर प्रदेश और आसाम में बाढ़ की चेतावनी देने वाले केन्द्रों की निष्क्रियता	Inaction of Flood Forecasting Centres in Bihar, U. P. and Assam ..	25—26
1102. बंगाल देश के निष्क्रान्तों के लिये खाद्य सामग्री की सप्लाई करने हेतु माल डिब्बों का भेजा जाना	Wagons diverted to carry Food Supplies for Bangla Desh Evacuees ..	26
1103. शिशु आहार के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Baby Food	27
1104. महाराष्ट्र की सिंचाई योजनाओं के लिये मंजूरी न दिया जाना	Withholding of Sanction for Irrigation Schemes in Maharashtra ..	27—28

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

1105. उद्योगों का वर्गीकरण	Classification of Industries ..	29
1106. तार के एनेमल के उत्पादन के लिये लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licence for Production of Wire Enamels	29—30
1107. हीराकुड जलाशय, उड़ीसा में गाद का जमा होना	Siltation in Hirakud Reservoir, Orissa ..	30
1108. सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के लिये अनुरोध	Demand for Increase in Price of Cement ..	31
1109. औद्योगिक विकास मंत्रालय के सामग्री आयोजन कक्ष (मेटेरियल प्लानिंग सेल) का अलौह धातुओं सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report of Material Planning Cell in Ministry of Industrial Development on non-Ferrous Metals ..	31
1110. सीमेंट के नये कारखानों को लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध का प्रभाव	Effect of Restriction on Licensing of New Cement Factories ..	31—32

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4569. इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) की टिकट निरीक्षण शाखा के कर्मचारियों के दुराचार के मामले	Cases of Misconduct of Officials of Ticket Checking Branch Allahabad Division (Northern Railway)	32
4570. खोमचों और जलपान गृहों के ठेके	Vending and Refreshment Room Contracts	33
4571. उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन के श्रमिकों का दुरुपयोग	Misuse of Labour in Allahabad Division (Northern Railway) ..	33
4572. रेलवे कर्मचारियों द्वारा पेंशन सम्बन्धी विकल्प	Option for Pension by Railway Employees	33—34
4573. सरकारी उपक्रमों की शेयर पूंजी में जनता का भाग लेना	Participation of Public in Share Capital of Public Undertakings ..	34
4574. लोको वर्कशाप दाहोद पश्चिम रेलवे से पीतल तथा तांबे के टुकड़ों की चोरी	Pilferage of Brass and Copper Pieces from Loco Workshop, Dahod on Western Railway ..	34—35
4575. लोको वर्कशाप दाहोद के लिये कोयला राख की नीलामी	Auction of Coal Ash at Loco Workshop, Dahod ..	35
4576. व्यास सतलुज परियोजना	Beas Sutlej Project ..	35—36
4577 उत्तर प्रदेश में उद्योग तथा कार बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की औद्योगिक विकास मंत्री से बातचीत	Discussion by Chief Minister of Uttar Pradesh with Minister of Industrial Development for setting up of Industries and Car Factory in U. P. ..	36

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4578. क्षेत्रीय रेलवे के लेखा विभाग के ग्रेड 1 के क्लर्कों की पदावनति	Reversion of Clerks Grade I of Accounts Department or Zonal Railways	37
4579. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्नातक इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Graduate Engineers by West Bengal State Electricity Board ..	37—38
4580. मध्य प्रदेश में बिजली से चालू किये गये सिंचाई पम्प	Irrigation Pumps energised in Madhya Pradesh ..	38
4581. रायमा सोरमा, त्रिपुरा से सहवासियों का निकाला जाना	Eviction of Inmates from Raima, Sorma, Tripura ..	38—39
4582. जनता को दहेज प्रथा के कारण होने वाली कठिनाइयां	Hardship caused to the people due to Dowry System ..	39
4583. विद्युत बोर्डों का कार्यकरण	Functioning of State Electricity Board .	39—40
4584. जल के संसाधनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अन्तरक्षेत्रीय गोष्ठी	UNO Inter-Regional Seminar on Water Resources ..	40
4585. दक्षिण रेलवे के कुली संघ का ज्ञापन	Memorandum by Railway Porters Union of Southern Railway ..	40
4586. गोहाटी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में 12 नवम्बर, 1970 की घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मामले वापस लेना	Withdrawal of Police Cases against Employees involved in incidents on 12th November, 1970 at Gauhati (Northeast Frontier Railway) ..	41
4587. पहलेजाघाट समस्तीपुर नरकटियागंज सवारी गाड़ी में तीसरे दर्जे के शायिका यान	Third Class Sleeper Coach in Palezaghat Samastipur Narkatiaganj Passenger Train ..	41
4588. बंगला देश में मार्शल-ला अधिकारियों द्वारा चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ लाने के कथित प्रयास	Alleged Efforts of Martial Law authorities in Bangla Desh to Flood Chittagong Hill Tracts ..	41—42
4589. दिल्ली के न्यायालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये कार्यवाही	Steps to prevent Corruption in Delhi Courts ..	42
4590. इंजीनियरिंग उद्योग के लिये किस्म विकास एकक	Quality Development Unit for Engineering Industry ..	42
4591. अखबारी कागज की मांग, उत्पादन तथा आयात	Demand, Production and Import of Newsprint ..	42—43
4592. मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड और मैसर्स एलकाक एशडान एंड कम्पनी लिमिटेड के कार्यों की जांच करने के लिये समिति की स्थापना	Setting up of Committee to enquire into the Affairs of M/s Mekenzies Limited and M/s. Alcock Ashdown and Company Limited	43

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4593. मनीपुर में सीमेंट का मूल्य	Price of Cement in Manipur	..	43—44
4594. आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करना	Fixation of prices of Commodities under essential commodities Act	..	44
4595. भारतीय रेलवे की सिगनल तथा दूर संचार शाखा के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Employees of Signal and Telecommunication Branch of Indian Railways	..	44
4596. पटना और दानापुर के कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of House Rent and City Compensatory Allowances to Employees at Patna and Danapur	..	45
4597. खगौल में रेलवे क्वार्टरों के किराये में वृद्धि	Increase in Rent of Railway Quarters at Khagaul	..	45—46
4598. हावड़ा तथा बर्दवान डिविजनों में काम करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिये बीमा योजना अथवा चिकित्सा सुविधायें	Insurance Scheme or Medical Facilities for Catering Vendors Working in Howrah and Burdwan Divisions	..	46—47
4599. सिगरेट एककों की स्थापना के लिये लायसेंस जारी करना	Issue of Licences for Setting up Cigarette Units	..	47—48
4600. भ्रष्टाचार के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षण कर्मचारियों का स्थानान्तरण (उत्तर रेलवे)	Transfer of Inspectorate Staff of R. P. F. on charges of Corruption (Northern Railway)	..	48
4601. दिल्ली स्टेशन (उत्तर रेलवे) के सुरक्षा दल के एक सिपाही के विरुद्ध चोरी का आरोप	Theft charge against Sepoy of R. P. F. of Delhi Station (Northern Railway)	..	48—49
4602. कुमार नदी परियोजना का निर्माण	Construction of Kumar River Project	..	49
4604. ए० एम० आई० ई० की डिग्री प्राप्त असिस्टेंट इंजीनियरों की पदोन्नति	Promotion of AMIE degree holders as Assistant Engineers		49—50
4605. रेलवे में ए० एम० आई० ई० डिग्री धारियों के लिये श्रेणी II सेवा में पदोन्नति हेतु आरक्षण	Reservation for AMIE degree holders for promotion to Class II Service on Railways	..	50
4606. न्यु बोंगइगांव से फरक्का तक चलने वाली रेलगाड़ियों के साथ एक अतिरिक्त डिब्बे के जोड़ने के बारे में अभ्यावेदन	Representation for Addition of extra bogie to trains running between New Bongaigon to Farakka	..	50

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
4607.	करीमगंज से कूच बिहार तथा अन्य स्थानों को (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिये माल डिब्बों की कमी	Shortage of wagons for carrying goods from Karimganj to Coochbehar and othar places (Northeast Frontier Railway) ..	51
4608.	कूच बिहार से सियालदह तक बैठने तथा सोने के आरक्षित स्थान	Reserved seats and berths from Coochbehar for Sealdah ..	51
4609.	कांगसाबाटी सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल की प्रगति	Progress of Kangsabati Irrigation Project, West Bengal ..	52
4610.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी (इलाहाबाद) में निर्माण कार्य	Construction work in Bharat Pumps and Compressors Limited, Naini (Allahabad)	52
4611.	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसस लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद में काम कर रहे कर्मचारी	Staff in Bharat Pumps and Compressors Limited Naini, Allahabad	53
4612.	विज्ञापन के क्षेत्र में एकाधिकार गृह	Monopoly houses in the field of advertising ..	53
4613.	बड़े व्यापार गृहों में इंजीनियरिंग सलाहकार फर्में	Engineering Consultancy Firms in Big Business Houses	53—54
4614.	हुगली और कारबाड के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने हेतु दी गई प्राथमिकता	Priority allotted to Rail Link between Hubli and Karwar ..	54
4615.	बूंदी रोड रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण	Electrification of Bundi Road Railway Station	54—55
4616.	कोटा स्टेशन पर रेलवे वैगनों में अधिक मात्रा में पत्थरों के लदान के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Report regarding Over Loading of Stone Wagons in Railway Wagons at Kotah Station ..	55
4617.	रेलवे में खाद्य पदार्थ विक्रेताओं तथा वेंडिंग तथा केटरिंग ठेकेदारों की सहकारी समितियां	Cooperative Societies of Vendors and Vending and Catering Contractors on Railways ..	55
4618.	केरल में इडिक्की पुनर्विलोकन बोर्ड	Idikki Review Board meeting in Kerala	55
4619.	तिरुपति स्टेशन, (दक्षिण रेलवे) में प्लेटफार्म का निर्माण	Construction of Platform at Tirupati Station (Southern Railway) ..	56
4620.	खट्टे नींबू आदि (लाइम फ्रूट्स) फलों की परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में नेल्लोर जिले के वैंकटगिरी नगर के व्यापारियों से अभ्यावेदन	Representation from traders of Venkatagiri Town, Nellore District regarding transport facilities for lime fruits ..	56

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4621. रेनीगुंटा के निकट रेलवे फाटक पर उपरि पुल	Over Bridge at level-crossing near Renigunta	..	56—57
4622. गंगा नदी बांध में दरार पड़ जाने के कारण बदायूं, उत्तर प्रदेश में बाढ़	Floods in Badaun, U. P. caused by breach of Dam on Ganga River	..	57
4623. भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठियां और सम्मेलन	Seminars and Conferences Organised by Indian Law Institute	..	57—59
4624. इलाहाबाद डिवीजन के सहायक स्टेशन मास्टरों और लिवर मैनों के समयोपरि भत्ते का भुगतान न किया जाना।	Non payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters and Levermen, Allahabad Division (Northern Railway)	..	59
4625. ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा व्यय की गई राशि	Amount spent by Brahmaputra Flood Control Board	.	59—60
4626. नये रेलवे स्टेशन खोलना	Opening of new Railway Stations	..	60—61
4627. मोगा पंजाब में ऊपरी पुल	Overhead bridge at Moga in Punjab		61
4628. तस्कर व्यापारियों द्वारा दिल्ली बम्बई जनता एक्सप्रेस को बोटाद स्टेशन पर रोका जाना	Detention of Delhi Bombay Janata Express by Smugglers at Botad Station	..	61—62
4629. भवानी मंडी, राजस्थान का सिविल अधिकार क्षेत्र सुरेन्द्रनगर (गुजरात) में दिखाया जाना	Civil Jurisdiction of Bhawani Mandi Rajasthan shown in Surendra Naga r (Gujarat)	..	62
4630. मोरेना जक्शन पर दक्षिण एक्सप्रेस तथा पंजाब मेल का ठहराना	Stoppage for Southern Express and Punjab Mail at Morena Junction	..	62
4631. ग्वालियर, मोरेना, भिन्ड तथा गुना (मध्य प्रदेश) स्टेशनों से यात्री तथा वस्तु यातायात द्वारा आय	Income from Passenger and Goods Traffic at Gwalior, Morena, Bhind and Guna Stations (Madhya Pradesh)	..	63
4632. घाटे पर चलने वाली रेलवे लाइनें	Railway line running at loss	.	63—64
4633. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Backward Areas	..	64—65
4634. न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने सम्बन्धी योजना	Scheme for quick disposal of cases pending in Courts		65
4635. उत्तरी बिहार के चम्पारन जिले में नये उद्योग	New Industries in Champaran District of North Bihar	..	65—66

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4636.	पूर्वोत्तर रेलवे में नरहाट स्टेशन का नाम बदल कर सिंधिया घाट स्टेशन रखा जाना	Change of name of Narhan Station to Singhia Ghat Station on N. E. Railway ..	66—67
4637.	रेलों के विकास में केरल का भाग	Keral's Share in the Development of Railways ..	67
4638.	सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेटों के उत्पादन हेतु लाइसेंस देना	Issue of Licences for Production of Cigarette in Public Sector ..	76
4639.	रेलवे कर्मचारियों को मुआवजे के दावों की राशि का वितरण	Distribution Among Railway Employees Savings according from Claims of Compensation ..	67—68
4640.	लोहे की छड़ों के लिये केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध	Kerala Government's Request for Iron Rods ..	68
4641.	इंडियन रेलवेज इंजीनियरिंग इंसपेक्टर्ज एसोसिएशन का सम्मेलन	Conference of Indian Railways Engineering Inspectors Association ..	68
4642.	उत्तर रेलवे की 'ए' ग्रेड नर्सों के पदों का दर्जा घटाया जाना	Downgrading of the Posts of 'A' Grade Nurses (Northern Railway) ..	69
4643.	गोविन्दपुरी स्टेशन, कानपुर पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना	Stoppage of Mail or Express Train at Govindpuri Station, Kanpur ..	69
4644.	कंक्रीट के स्लीपरों का उपयोग	Use of concrete Sleepers ..	69—70
4645.	मध्य प्रदेश में बिजली की आवश्यकता	Requirement of Power in Madhya Pradesh	70
4646.	राजस्थान में उत्तर तथा पश्चिम रेलवे मीटर गेज सेक्शनों का नया जोन	New Zone of Metre Gauge Sections of Northern and Western Railways in Rajashtan ..	70
4647.	उदयपुर राजस्थान में सिंचाई के लिये कुंजरिया बांध का निर्माण	Construction of Kunjeria Dam for Irrigation in Udaipur, Rajasthan ..	70—71
4648.	उदयपुर राजस्थान के लिये सिंचाई सुविधाएं	Irrigation facilities for Udaipur (Rajasthan) ..	71
4649.	सियालदाह और हावड़ा डिवीजन के लोको कोयला ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Loco Coal Contractors of Sealdah and Howrah Divisions ..	71
4650.	उत्तर प्रदेश में चौथी योजना में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in U. P. during Fourth Plan ..	71—72

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4651. गैर-सरकारी और सरकारी परियोजनाओं में विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति	Appointment of Foreign Consultants in private and public sector projects ..	72
4652. आगरा में हुआ अखिल भारतीय रेलवे गार्ड परिषद् का सम्मेलन	Conference of All India Railway Guards Council held at Agra ..	72
4653. दक्षिण पूर्व रेलवे में उड़िया कर्मचारी	Oriya employees on South Eastern Railway ..	72—73
4654. थाना बीहपुर रेलवे स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर पुल	Bridge at Thana Bihpur Railway Station (North Eastern Railway) ..	73
4655. सतर्कता निरीक्षक (पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा पकड़े गये महादेवपुर घाट और बरारी स्टेशनों के टिकट कलैक्टर	Ticket collectors of Mahadevpur Ghat and Barari Stations caught by Vigilance Inspector (North Eastern Railway) ..	73
4656. पूर्वोत्तर रेलवे के नारायणपुर स्टेशन पर प्रतीक्षालय का निर्माण	Construction of waiting rooms at Narainpur Station on North Eastern Railway ..	73
4657. कटिहार में जलमार्ग विभाग के अधीन बांध में दरार	Breach of dam under charge of Water ways department in Katihar ..	74
4658. भीलवाड़ा (राजस्थान में) रेलवे स्टेशन के निकट उपरिपुल	Over-bridge near Bhilwara Railway Station (Rajasthan) ..	74
4659. पश्चिम रेलवे में अजमेर और विजय नगर के बीच शटल गाड़ी	Shuttle Train between Ajmer and Bijainagar on Western Railway ..	74
4660. चित्तौड़गढ़ और कोटा के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Chittorgarh and Kotah ..	75
4661. भीलवाड़ा में मेजा बांध के लिये बनास फीडर के कार्य में प्रगति	Progress of Banas Feeder for Meza Dam in Bhilwara ..	75
4662. बिजली की दर में वृद्धि का कृषि उत्पादन पर प्रभाव	Effect of increase in power Traffic on agricultural production ..	75
4663. कृषि कार्यों के लिये बिजली के उपयोग के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपेक्षित गारंटी	Guarantees required by State Electricity Boards in respect of Agricultural consumption ..	75—76
4664. मनीपुर में बाढ़	Floods in Manipur ..	76
4665. मनीपुर के न्यायिक पदों पर स्थानाय एडवोकेटों की नियुक्ति के लिये नियम	Rules for recruitment of local Advocates to Judicial Posts in Manipur ..	76—77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4666. तीसरे दर्जे के डिब्बे में भीड़ कम करना और डाकेजनी रोकना	Checking of congestion and Robbery in Third Class Compartments ..	77
4667. कोसी नदी परियोजनाओं से बिहार को लाभ	Benefits from Kosi River Projects in Bihar ..	77
4668. बिहार के तिरहुत और भागलपुर डिवीजनों में नए उद्योग	New Industries in Tirhut and Bhagalpur Division in Bihar .	77—78
4669. टायरों का आयात	Import of Tyres ..	78
4670. रेलवे कर्मचारियों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों में दी जाने वाली सुविधाओं में समता स्थापित किया जाना	Parity in relation to amenities in Railway and C. P. W. D. quarters ..	79
4671. रेलवे अस्पताल (उत्तर रेलवे) में बाहर के रोगियों का फीस देकर इलाज	Treatment of private patients against payment in Railway Hospital (Northern Railway) ..	79
4672. दुमंजिला रेलवे क्वार्टरों में पार्किंग के स्थान की व्यवस्था	Provision of parking space in double storeyed Railway quarters ..	79—80
4673. सेन्ट्रल रेलवे में रेल दुर्घटनाएं	Accidents on Central Railway	80
4674. इटारसी भुसावल सेक्शन में नई गाड़ियों का चालू किया जाना	Introduction of New trains on Itarsi Bhusaval Section	80
4675. भुसावल इटारसी क्षेत्र के स्टेशनों के प्लेट फार्मों पर शैडों की व्यवस्था	Sheds over platforms at stations on Bhusaval Itarsi Station	80
4676. रेलवे वर्कशाप, जामनगर (पश्चिम रेलवे) का बन्द किया जाना	Closure of Railway workshop Jamnagar (Western Railway) ..	81
4677. राज्य सरकारों द्वारा स्टेट सेक्टर में सिग्रेट कारखानों का लगाया जाना	Setting up of Cigarette Factories in State Sector ..	81
4678. गुण्टकल डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में हेड क्लर्क तथा सीनियर क्लर्कों की निम्न वेतनमान में पदावनति	Reversion of Head Clerks/Senior Clerks to Lower Scale in Guntakal Division (Southern Railway)	81—82
4679. कच्छ में तापीय बिजली घर की स्थापना	Setting up of Thermal Power Plan in Kutch ..	82
4680. मद्रास तथा ट्रीवेलौर के बीच स्थानीय रेल गाड़ियों का आवागमन बढ़ाना	Increase in frequency of Local Trains between Madras and Trivellore ..	82
4681. टम्बरम में रेलगाड़ी रुकना	Stopping of Train at Tambaram ..	82—83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4682. महाराष्ट्र में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी योजनाएं	Schemes for Prevention of Sea erosion in Maharashtra ..	83
4683. मकान किराया काटने के लिये संगचल भत्ते के बारे में विचार	Consideration of running allowance for deduction of House Rent	83
4684. धर्म जयगढ़ (मध्य प्रदेश) में सारिया नाले का सर्वेक्षण	Survey of Sarai Nullah in Dharam Jaigarh, Madhya Pradesh ..	84
4685. मध्य प्रदेश में अम्बिकापुर से रायगढ़ के बीच रेल सम्पर्क	Rail Link between Ambikapur and Raigarh in Madhya Pradesh ..	84
4686. छत्तीसगढ़ में सिंचाई और विद्युतीकरण सम्बन्धी योजनाएं	Schemes for Irrigation and Rural Electrification in Chhatisgarh ..	84—85
4687. दक्षिण पूर्व रेलवे में दण्डकारण्य बैलाडिला कोताबलासा लाईन पर यात्री गाड़ी का चलाया जाना	Running of Passenger Train on Danda-Karanya-Bailadila Kotabalasa line on South Eastern Railway ..	85
4688. केरल में सिंचाई के लिये बिजली का उपयोग	Uilisation of Electricity for Irrigation in Kerala ..	85—86
4689. केरल में नदी जल परियोजनाएं	River Water Projects in Kerala ..	86
4690. मैसूर महाराष्ट्र और गोआ में बिजली का बिक्री मूल्य	Price of power sold in Mysore, Maharashtra and Goa ..	86—87
4691. सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में तकनीकी अधिकारियों के निम्न श्रेणी के संवर्ग	Small Cadres of Technical Officers in the Ministry of Irrigation and Power ..	87
4692. जयपुर डिवीजन में शन्टर की ड्राइवर के रूप में पदोन्नति	Promotion of Shunter as Driver, Jaipur Division ..	88
4693. पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति	Promotion of Drivers Grade 'A' Jaipur Division (Western Railway) ..	88—89
4694. ड्राइवरों द्वारा मार्ग नियमों और स्टेशनों के कार्य संचालन नियमों को सीखने में अधिक समय लेने के लिये उन्हें दण्ड दिया जाना	Drivers Penalised for taking extra time in learning Road and Station Working Rules ..	89
4695. रेलवे में बुक की जाने वाली कम और अधिक खराब होने वाली सब्जियों के वर्गीकरण का आधार	Basis for Categorisation of less and highly perishable vegetables for bookings on Railways ..	89—90
4696. हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में न्यूकलीयर टरबाइनों का निर्माण	Manufacture of Nuclear Turbines at Heavy Electricals Ltd., Bhopal ..	90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4697. आसाम तथा मेघालय में नमक के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Salt in Assam and Meghalaya ..	90
4698. पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के 'सी' ग्रेड ड्राइवरों की वरिष्ठता	Seniority of Drivers Grade 'C' of Jaipur Division (Western Railway) ..	91
4699. अजमेर डिवीजन के ड्राइवर 'बी' ग्रेड की पदोन्नति तालिका	Panel of Promotion of Driver Grade 'B' Ajmer Division	91
4700. अलीगढ़ में रामघाट फाटक पर उपरिपुल	Overbridge at Ramghat Road Crossing at Aligarh ..	92
4701. गोदावरी तथा कृष्ण के डेल्टा क्षेत्रों में जल निष्कासन सम्बन्धी प्रणाली के लिये आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय ऋण	Central loan to Andhra Pradesh for Drainage system in Godavary and Krishna Delta Areas ..	92
4702. अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर उपकरण का चलाया जाना	Operation of Ultrasonic Flaw Detector equipment ..	92—93
4703. समस्तीपुर वर्कशाप (पूर्वोत्तर रेलवे) में स्वास्थ्य एकक	Health unit in Samastipur Workshop (North Eastern Railway) ..	93
4704. ओखरा बस्ती रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर रेलवे के पहले रेलवे फाटक पर चौकीदार की नियुक्ति	Position of Gateman at first Level Crossing on Orwara Basti line (North Eastern Railway) ..	93—94
4705. अप्रयुक्त लाइसेंस / आशय पत्र	Unutilised Licences/Letters of Intents ..	94—95
4706. दक्षिण पूर्वी रेलवे के भुसन्दुपुर रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाया जाना	Electrification of Bhusandpur Railway Station on South Eastern Railway	95
4707. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति	Use of Hindi in the office of Central Water and Power Commission ..	95
4708. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज भाषा अधिनियम की क्रियान्विति	Implementation of Official Languages Act in the Ministry of Irrigation and Fower ..	96
4709. सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी साहित्य	Publications in Hindi brought out by Ministry of Irrigation and Power ..	96
4710. अजमेर और व्यावर के बीच चलने वाली शटल गाड़ी में यात्रियों को असुविधा	Inconvenience to the Travellers in Shuttle running between Ajmer and Bewar ..	96—97
4711. कोटा में रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे कालोनियों से होकर जाने वाली पगडंडियों को बन्द किया जाना	Blockade of Roads passing through Railway Colonies by the Railway Authorities at Kotah ..	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4712. आन्ध्र प्रदेश के बाढ़ पीड़ित लोगों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Flood affected people of Andhra Pradesh ..	97—98
4713. नागार्जुनसागर तथा हैदराबाद के बीच रेल सम्पर्क	Rail link between Nagarjuna Sagar and Hyderabad ..	98—99
4714. भारत के संविधान का अनुवाद	Translation of Constitution of India ..	99
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रक्रिया)	Re. Calling Attention Notice (Procedure) ..	99—100
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
कावेरी जल विवाद	Cauvery Waters Dispute ..	100—102
श्री एन० शिवप्पा	Shri N. Shivappa ..	100—101
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao ..	100,101,102
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	102—103
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report ..	103
अनुदानों की मांगें, 1971-72—	Demands for Grants, 1971-72—	
शिक्षा, समाज कल्याण मन्त्रालय और संस्कृति विभाग	Ministry of Education and Social Welfare and Department of Culture ..	103—141
श्रीमती विभा घोष	Shrimati Bibha Ghosh ..	104—106
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das ..	111—112
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan ..	112—113
श्री पी० एंथनी रेड्डी	Shri P. Antony Reddy ..	113—114
श्री आर० पी० उलगनम्बी	Shri R. P. Ulaganambi ..	114—116
श्री आर० डी० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare ..	116—117
श्री एस० एन० सिंह	Shri S. N. Sinha ..	117—118
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar ..	118—120
श्रीमती गोडफ्रे	Shrimati Godfrey ..	120—121
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee ..	121—123
	Shri Mallikarjun ..	123—124
	Shri Devendra Satpathy ..	124
	Shri Sudhakar Pandey ..	124—125
	Prof. Madhu Dandavate ..	125—126
	Shri B. S. Murthy ..	126

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राजमाता गायत्री देवी	Rajmata Gayatri Devi	126—127
श्री ए० एन० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	127
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadava ..	127—128
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hamendra Singh Banera	128—130
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	130—132
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	132—133
श्री बी० पी० मौर्य	Shri B. P. Maurya	134—135
श्री दशरथ देब	Shri Dasaratha Deb	135
श्री एल० के० दुमादा	Shri L. K. Dumada ..	135—136
श्री धर्मराव अफजलपुरकर	Shri Dharmarao Afzalpurkar	136
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	136—137
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	137
श्री अनन्त प्रसाद धुसिया	Shri Anant Prasad Dhusia	137
श्री साधु राम	Shri Sadhu Ram ..	138
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra ..	138
श्री एम० टी० राजू	Shri M. T. Raju ..	138—139
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	139
श्री एस० एल० पेजे	Shri S. L. Peja ..	139—140
श्री टी० डी० कांबले	Shri T. D. Kamble	140
श्री सतपाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	140
श्री सिद्धार्थ शंकर राय	Shri Siddhartha Shankar Ray	141

LOK SABHA
लोक-सभा

मंगलवार, 13 जुलाई, 1971/22 आषाढ़, 1893 (शक)
Tuesday, July 13, 1971/Asadha 22, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में बिड़ला के कारखानों का पुनः चालू किया जाना

*1081. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में श्रमिक संघों और एसोसियेशनों के कुछ प्रतिनिधियों ने हाल ही में केन्द्र तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि बिड़ला के कारखानों को, जो फरवरी, 1970 से बन्द हैं, शीघ्र ही पुनः चालू कराया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) जी, हां ।

(ख) कर्मचारी यूनियनों आदि के अभ्यावेदनों पर पश्चिम बंगाल सरकार स्वयं विचार कर रही है और बन्द हुए विभिन्न कारखानों को खोले जाने के बारे में राज्य सरकार के स्तर पर कई बैठकें हुई थीं । अभी निर्णय होना बाकी है ।

श्री मुहम्मद शरीफ : मुख्य कार्यालय के अतिरिक्त, इस समय बिड़ला बन्धुओं के कितने कारखाने बन्द पड़े हैं, कुल कितने श्रमिक इन कारखानों के बंद हो जाने के कारण प्रभावित हुये हैं तथा क्या हाल ही में कोई कारखाना पुनः खोला गया है और यदि हां, तो किन शर्तों पर और किस मजदूर संघ के साथ समझौता हो जाने से वह कारखाना खोला गया है ?

श्री घनश्याम ओझा : हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार बिड़ला बन्धुओं के दो कारखानें बन्द हुए हैं । इन्हें खुलवाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार प्रयत्न कर रही है । उन कारखानों में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या हम उन कम्पनियों के नाम जान सकते हैं ?

श्री घनश्याम ओझा : इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड और नेशनल इन्जीनियरिंग कम्पनी ।

श्री मुहम्मद शरीफ : क्या बिड़ला बन्धुओं को अपने बंद पड़े औद्योगिक एककों को खोलने के लिये पुलिस की सहायता दी गई थी यद्यपि उन्होंने फैक्टरी खोलने का नियमित नोटिस नहीं दिया था जिससे लगभग 6,000 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा ?

श्री घनश्याम ओझा : हमें यह ज्ञात नहीं है कि बिड़ला बन्धुओं ने पुलिस की सहायता मांगी थी ।

श्री मुहम्मद शरीफ : 'राइटर्स बिल्डिंग' में मुख्य मंत्री को सूचना दी गई थी । श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था ।

श्री घनश्याम ओझा : वह किसी कार्यालय के बन्द होने से सम्बन्धित बात है, कारखानों से सम्बन्धित नहीं ।

डा० रानेन सेन : क्या बिड़ला बन्धुओं का मुख्य कार्यालय बंद कर दिया गया था, तत्पश्चात् उन कार्यालयों के बन्द हो जाने के मामले को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हो गये और फिर किसी विशेष राजनीतिक दल से सम्बद्ध किसी विशेष श्रमिक संघ ने बिड़ला बन्धुओं के साथ समझौता कर लिया जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को कठिनाई हुई और इस प्रकार बिड़ला बन्धु कलकत्ता से कार्यालय हटाने में सफल हो गये ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे संगत है ?

डा० रानेन सेन : कार्यालय और स्थापनाएं एकक ।

श्री घनश्याम ओझा : यह प्रश्न कारखानों के बन्द होने के सम्बन्ध में है । उनका प्रश्न कम्पनी के मुख्य कार्यालय के बन्द हो जाने के बारे में है । इस बारे में कम्पनी कार्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उनका अनुपूरक प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि कारखानों के बन्द होने का प्रश्न उन कारखानों को चलाने के लिए सम्बन्धित कार्यालयों से अनिवार्यतः सम्बद्ध है, क्या सरकार को पता है कि बिड़ला बन्धुओं ने एक 22 मंजिला भवन अपने मुख्यालय के लिए बनाया है जहां से कारखानों का संचालन किया जा सके तथा वह भवन अभी तक खाली पड़ा है और इसे सार्वजनिक प्रयोजनों अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिये, जिसे सरकार उचित समझती हो, काम में लाने के लिए कुछ नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या कुछ श्रमिक संघों और एसोसियेशनों के कुछ प्रतिनिधियों ने हाल में केन्द्र सरकार से कारखानों को पुनः खुलवाने के लिये अनुरोध किया है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : प्रशासन के असफल हो जाने अथवा किसी भी कारण से कारखाने बन्द करने पड़े हों परन्तु उस संस्थान के मुख्यालय के लिये यह भवन है जिसके द्वारा ये कारखाने चलाये जा रहे हैं; उन्होंने 22 मंजिला भवन बनाया है परन्तु उसका उपयोग नहीं किया गया है; क्या कलकत्ता के लोग इस खाली भवन को देखते रहें ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है। वही उत्तर आपको मिल सकता है।

श्री राम सहाय पांडे : खड़े हुये—

अध्यक्ष महोदय : आप भी बिड़ला बन्धुओं में रुचि रखते हैं ?

श्री राम सहाय पांडे : यह उत्पादन से सम्बन्धित प्रश्न है जो देश का अत्यन्त महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू है।

May I know how the problems of law and order, disturbances and the activities of sabotage on the part of Naxalite Workers' Unions are affecting the industries and how many persons have shifted elsewhere ?

अध्यक्ष महोदय : केवल प्रश्न पूछने के लिये ही प्रश्न मत कीजिये। यह प्रश्न इससे संगत नहीं है।

Shri R. S. Pandey : It is a matter relating to factories. How many factories have been closed down and how many offices have been shifted therefrom ?

अध्यक्ष महोदय : आपने उत्तर नहीं सुना। उन्होंने सबसे पहले कारखानों के नाम ही बताये थे।

श्री राम सहाय पांडे : वह उत्तर देना चाहते हैं ...... ।

Mr. Speaker : How the question of Naxalites is relevant here. How does it arise out of this ?

ब्रैथवेट, बर्न एण्ड जेसप कांस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण के परिणाम

*1082. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रैथवेट, बर्न एण्ड जेसप कांस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (बी० बी० जे०) गत तीन वित्तीय वर्षों से घाटा दिखा रही है ;

(ख) क्या इस समय बी० बी० जे० के पास लगभग 15 करोड़ रुपये के ठेकों का काम है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1967 से लाभ न उठा सकने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को वित्तीय कुप्रबन्ध के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) क्या कम्पनी के कार्यों की कोई जांच कराई जायेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय जिन क्रयादेशों को पूरा किया जाना है उनका अनुमानित मूल्य 6.10 करोड़ रुपये है ।

(ग) कम्पनी को पिछले तीन वर्षों में हानि होते रहने के कुछ कारण ये हैं :—

1. इस अवधि में क्रयादेशों के मूल्य में कमी,
2. मन्दी के कारण उत्पन्न छटनी की स्थिति को रोकने के लिए कम्पनी को अलाभकारी मूल्य स्वीकार करने पड़े,
3. कच्चे सामानों की अपर्याप्त उपलब्धता,
4. इंजीनियरी मजदूरी बोर्ड पंचाट के कारण श्रमिकों तथा कर्मचारियों के ऊपर अधिक व्यय, और
5. शांति तथा व्यवस्था की कठिन स्थिति के कारण उत्पादन में कमी ।

(घ) जी हां । हाल ही में एक शिकायत आई है ।

(ङ) शिकायत की जांच की जा रही है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ब्रेथवेट और जेसप नामक दो कम्पनियां व्यवहार्यतया भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं—इनमें से एक को अभी कुछ दिन पहले हाथ में लिया गया और जेसप कम्पनी को बहुत समय पहले हाथ में लिया गया था और ये दोनों कम्पनियां साथ मिलकर बी० बी० जे० की बड़ी अंशधारी कम्पनियां हैं और चूंकि सरकार का इस संस्थान में सीधा हित है तो यह कैसे हो सकता है कि हाल में शिकायत मिलने के बाद सरकार ने मामले की केवल जांच करने के बारे में सोचा है ? क्या शिकायत मिलने से पूर्व सरकार ने अपने आप इसकी जांच करना आवश्यक नहीं समझा ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह सही है कि तीनों कम्पनियों—ब्रेथवेट, बर्न और जेसप के 40 : 30 : 30 के अनुपात से अंश हैं । जेसप कम्पनी में सरकार के आधे से अधिक अंश हैं । औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा 18 (क) के अन्तर्गत हाल ही में सरकार ने ब्रेथवेट के प्रबन्ध को हाथ में लिया है । सरकार ने इस कम्पनी के केवल प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यों पर नियंत्रण किया है, इसके अंशों के सम्बन्ध में नियंत्रण नहीं किया है । ज्योंही सरकार ने इसे हाथ में लिया, अचानक ही उसे कुछ कठिनाइयों का पता चला और वह उसे दूर करने की कोशिश कर रही है । परन्तु हाल में मिली शिकायत किन्हीं दूसरे ही मामलों के सम्बन्ध में है अर्थात्—कम्पनी में अत्यधिक खर्च, प्रशासनिक अकार्यकुशलता और समन्वय में कमी । ये वे बातें हैं जिनका हमें जून में मिली शिकायत में उल्लेख किया गया था । बाद में 12 जून, 1971 को श्री ज्योतिर्मय बसु ने ऐसी ही शिकायत भेजी थी । इन विशेष शिकायतों के बारे में हम जांच कर रहे हैं परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम कम्पनी के कार्यों की पहले से जांच नहीं कर रहे हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मूल शिकायत किसने की थी और जांच करने का कार्य किसे सौंपा गया है ? यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी कि यह फर्म अचानक ही बन्द नहीं कर दी जाये जैसाकि पश्चिम बंगाल में कई मामलों में ऐसा हो रहा है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मूल शिकायत बी० बी० जे० के कर्मचारी संघ ने की थी । हमने अब इन विशेष आरोपों के बारे में प्रतिवेदन मांगा है । ज्योंही हमें वह मिल जायेगा, त्योंही हम

आरोपों में प्रत्यक्षतः सार पाये जाने की स्थिति में उनकी जांच करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कम्पनी बन्द न होने पाये। परन्तु जैसा कि मैंने कहा, इस मामले में कुछ कठिनाइयां हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने कहा कि उनके पास लगभग 6 करोड़ रुपये के क्रयादेश हैं।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी, हां, परन्तु ऐसी कम्पनी के पास 6 करोड़ रुपये के क्रयादेश होना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी कठिनाइयां हैं कच्चे माल विशेषकर इस्पात की कमी, श्रमिक-विवाद तथा बार-बार बिगड़ने वाली कानून और व्यवस्था की स्थिति। कम्पनी बंद न होने पाये इसके लिये हम भरसक कोशिश करेंगे।

स्कूटर कारखाने की स्थापना के लिये जमा प्रतिभूतियों का प्रयोग

*1083. **श्री बी० बी० नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों का बाजार मूल्य उसके शो रूम से बाहर निकलने के मूल्य से अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य में इस अन्तर की राशि को स्कूटरों के एलाटियों से प्रतिभूति के रूप में एकत्र करने का है, जिससे कि अलाटमेंट के दुरुपयोग के मामले में उस राशि को जब्त कर लिया जाये और उसे उस समय वापस किया जाये जबकि स्कूटर के प्रयोग के बाद उसका मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाये ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस जमा प्रतिभूति का स्कूटर बनाने वाले नये कारखाने की स्थापना के लिए पूंजी के रूप में प्रयोग करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) सरकार ने स्कूटर के विक्रय मूल्य पर एक अनौपचारिक नियंत्रण लगाया हुआ है अतः किसी को भी सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की निगाह में ऐसा कोई मामला नहीं आया कि जहां किसी भी निर्माता अथवा विक्रेता ने नए स्कूटर के लिए सरकार द्वारा नियत मूल्य से अधिक मूल्य वसूल कर लिया हो।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री बी० बी० नायक : प्रश्न के भाग (ख) मैंने पूछा है : "यदि हां,"

—जिसका तात्पर्य है कि क्या शो-रूम के मूल्य और बाजार मूल्य में कोई अन्तर है—

"क्या सरकार का विचार मूल्य में इस अन्तर की राशि को स्कूटरों के एलाटियों से प्रतिभूति के रूप में एकत्र करने का है..."

मैं समझता हूं कि प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) में बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया था और सब भागों को साथ मिला कर पूछने का आशय यही है कि मूल्य में अन्तर विक्रेताओं अथवा निर्माताओं के स्तर पर नहीं था अपितु यह अन्तर प्रथम एलाटी के स्तर पर था। प्रश्न के भाग (ख) से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगा कि यदि कोई आक्षेप लगाया गया था तो वह एलाटी से लिये गये मूल्य के बारे में था। यदि मंत्री महोदय इस स्पष्टीकरण से सहमत हैं तो क्या मेरे द्वारा सुझायी गयी बाद की कार्यवाही की जायेगी ? प्रश्न में यह कदापि नहीं कहा गया है कि चोर बाजारी

अथवा अधिक मूल्य वसूल किये जाने का कार्य व्यापारी अथवा विक्रेता अथवा निर्माता द्वारा किया गया। एलाटी 3,500 रुपये में स्कूटर लेता है और तुरन्त ही उसे 5,500 रुपये में बेच देता है...।

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं प्रश्न समझ नहीं पाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझ लिया है। उन्होंने मूल्य में अन्तर के बारे में डीलर के स्तर पर न पूछ कर एलाटी के स्तर पर होने वाले अन्तर के बारे में पूछा है।

श्री बी० बी० नायक : मैं आशा करता हूं कि अब और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : दिल्ली में शो-रूम का मूल्य एक अनौपचारिक मूल्य विनियम के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। शो-रूम में लैम्ब्रेटा का मूल्य 3,427 रुपये; वेस्पा का 3,462 रुपये, फेन्टाबुलस का 3,750 रुपये; उसी किस्म के सेल्फ-किक स्टार्टर का मूल्य 4,060 रुपये और राजदूत का मूल्य 3,516 रुपये है। अन्य क्षेत्रों के लिये दूरी के आधार पर मूल्य निर्धारित किये जायेंगे। जहां तक जमा राशि का सम्बन्ध है, कोई भी व्यक्ति जो स्कूटर के लिये अपना नाम रजिस्टर करवाता है उसे आवेदन-पत्र के साथ 250 रुपये की राशि डाक-घर बचत बैंक में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, आदेश के खंड 8 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति एक से अधिक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। यह 250 रुपये जमा राशि के रूप में डाक-घर में पड़े रहते हैं जो सरकार के पास ही होते हैं।

श्री बी० बी० नायक : क्या यह बात सरकार के अथवा मंत्री महोदय के ध्यान में आई है कि स्कूटरों की बड़ी जबर्दस्त चोर-बाजारी होती है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : सरकार के ध्यान में ऐसा कोई विशेष उदाहरण नहीं आया है कि कोई निर्माता अथवा डीलर नये स्कूटर का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक लेता हो। नये स्कूटरों की बिक्री के बारे में यह स्थिति है। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि चोर-बाजारी होती है। उदाहरणार्थ, कानून के अन्तर्गत स्कूटर खरीदने के बाद कोई भी व्यक्ति उसे एक निश्चित अवधि तक उसे हस्तांतरित नहीं कर सकता है। परन्तु वह बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के किसी दूसरे व्यक्ति को देकर चोर-बाजार में अधिक मूल्य वसूल कर सकता है। देश में स्कूटरों की कमी के कारण ऐसी बात हो रही है। अतः इसमें चोर-बाजारी होती है। मैं इससे इन्कार नहीं करता।

श्री अमृत नाहटा : निर्माताओं का कोटा कहां चला जाता है ?

एक माननीय सदस्य : चोर-बाजार में।

श्री के० लकप्पा : क्या निर्माताओं से स्कूटर लेने वाले एजेन्ट सभी स्कूटरों को अपने पास रखते हैं तथा एलाटियों को समय पर स्कूटर न बेचकर यह कह कर धोखा देते हैं कि उन्हें अभी तक स्कूटर मिले नहीं हैं ? क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है ? ये बातें काफी दिनों से बंगलौर में हो रही हैं। एजेन्ट के पास स्कूटर उपलब्ध होने के बावजूद एलाटियों को उचित समय पर स्कूटर नहीं मिल रहे हैं। क्या सरकार इस मामले में जांच करेगी और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रश्न डीलर और निर्माता द्वारा अधिक मूल्य वसूल किये जाने के बारे में था ।

श्री के० लकप्पा : वे अधिक मूल्य मांग रहे हैं ।

श्री मोइनुल हक चौधरी : माननीय सदस्य द्वारा मुझे दी गई जानकारी एजेन्टों द्वारा स्कूटर अपने पास रखे जाने के बारे में है, उन्हें बेचने के बारे में नहीं है । निश्चय ही माननीय सदस्य से जानकारी प्राप्त करके मामले के इस पहलू की जांच की जायेगी ।

Loss to Railway Vending and Catering Department

*1084. **Shri Genda Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the extent of loss to the Railway Vending and Catering Department during 1970-71 and the reasons therefor; and

(b) the reasons why such contracts are not given to the Co-operative Societies of Railway Vendors and Caterers ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1970-71 में रेलवे की विभागीय खान-पान व्यवस्था को कोई हानि नहीं हुई, बल्कि उसे लगभग 26.12 लाख रुपये का लाभ हुआ ।

(ख) जब किसी स्टेशन पर खानपान या खोमचे का कोई नया ठेकेदार नियुक्त करने का प्रस्ताव होता है, तो रेल कर्मचारियों या खोमचे वालों द्वारा संचालित सहकारी समितियों या स्वैच्छिक सामाजिक संगठनों को निम्नलिखित शर्तों पर ठेका देने के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है :—

1. वे उचित दर पर सामान बेचेंगे; 2. अच्छे किस्म की भोजन सामग्री देंगे; और 3. संतोषजनक सेवा प्रदान करेंगे । जहां, संतोषजनक काम करने योग्य कोई संगठन उपलब्ध नहीं होता वहां खाली ठेका विज्ञापित किया जाता है और उपयुक्त ठेकेदार को आबंटित करके भरा जाता है।

Shri Genda Singh : Catering Department has earned a profit of Rs. 26.12 lakhs. It is a good achievement. But I would like to know whether attention is being paid to improve the quality of food ?

It has been stated by the hon. Minister that the applications of Co-operatives are considered sympathetically. May I know as to how many such applications were received and to how many Co-operatives catering contracts were given ?

श्री हनुमन्तैया : मुझे भी कई स्थानों से यह शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि खाने की वस्तुयें संतोषजनक नहीं होतीं । कई स्थानों पर तो सेवा संतोषजनक है । हम इसमें सुधार करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । इसके लिए कड़ी कार्यवाही की जा रही है । हमने नियन्त्रण प्राधिकरण का विकेन्द्रीकरण कर दिया है ताकि पासवाला व्यक्ति ही इसकी देखभाल कर सके । इस मामले का सम्बन्ध प्रतिदिन बनाये जाने वाले भोजन से है । मुझे मालूम है कि कई बार यह अच्छा नहीं होता । हम इसमें सुधार करने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं ।

जहां तक उनके दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, अभी मेरे पास इससे सम्बन्धित आंकड़े नहीं हैं कि कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और उनमें से कितने स्वीकृत हुये। यह संख्या भी भारत के सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित होगी। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं यह सूचना एकत्रित करके उन्हें दे सकता हूं।

Shri Genda Singh : I have got the information that the applications received from Co-operatives were not considered sympathetically. Will the hon. Minister look into it and ascertain why such applications were not accepted?

श्री हनुमन्तैया : बहुत से सदस्यों को मालूम है कि जब पंजाब और हरियाणा की सहकारी समितियों के बारे में ज्ञापन दिया गया था, तो भी मैंने उनकी प्रार्थना को तुरन्त स्वीकार किया था। यदि अब भी माननीय मित्र के पास इस प्रकार का कोई विशेष मामला है, तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Hon. Minister has stated that the Railway Canteens have earned a lot of profit. But Railway has not profited much by the restaurants which are being run by private contractors. The bribe worth lakhs of rupees is taken for giving these contracts. This situation is prevalent in Bombay and other similar cities. Will the hon. Minister introduce bid system for such contracts? The future of the employees working in such restaurants is very bleak. They do not have security of job. Is the hon. Minister going to do something for improving the condition of such employees?

श्री हनुमन्तैया : काफी समय पूर्व, एक समिति की सिफारिश के आधार पर हमने विभागीय भोजनालयों का कार्य आरम्भ किया था। यदि मैं उनकी बात ठीक समझ रहा हूं तो वह यह कहना चाहते हैं कि विभागीय भोजनालय समाप्त कर दिये जाने चाहिये। परन्तु सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। जहां तक कीमतों और अन्य मामलों का सम्बन्ध है, हमें जैसी सूचना मिलती है वैसे ही हम उससे निपट लेते हैं। साथ ही, हमारा सतर्कता विभाग भी है जो कि अपने आप इन मामलों की जांच करता रहता है। यह सभी कुछ हम कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, I have also enquired about the employees of such restaurants. Will their services be made permanent?

श्री के० सूर्यनारायण : मंत्री महोदय ने फरमाया कि सेवा और भोजन दोनों की स्थिति अच्छी है, वह बुरी नहीं है। परन्तु जहां तक हमें ज्ञात है सेवा चाहे कैसी भी हो, भोजन के स्तर में दिन प्रति-दिन गिरावट आती चली जा रही है और इसे भोजन कारों के रसोईघरों में स्पष्ट देखा जा सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुये क्या राजधानी एक्सप्रैस और विमानों आदि की तरह सरकार का पैकटों में भोजन सप्लाई करने का विचार है?

श्री हनुमन्तैया : यह एक ऐसा सुझाव है जिसे सरकार क्रियान्वित करने के लिए पहले ही सहमत हो चुकी है।

श्री बी० एस० मूर्ति : जब कि सम्पूर्ण राष्ट्र सहकारिता को प्रोत्साहन देना चाहता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे द्वारा भोजन व्यवस्था का धीरे-धीरे विकेन्द्रीयकरण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि यह काम सहकारी समितियों को सौंपा जा सके?

श्री हनुमन्तैया : इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

अजय नदी परियोजना

+
*1087. **श्री ए० के० साहा :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बीरभूम तथा बर्दवान के बीच अजय नदी परियोजना कार्य को आरम्भ करने की तत्काल आवश्यकता से अवगत है जिससे कि इनके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बाढ़ के आतंक से बचाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल में अजय नदी की निचली पहुंचों में सुरक्षात्मक उपायों की तत्काल आवश्यकता के बारे में सरकार सचेत है । पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इसके लिए परूचा से सगीरा तक नदी के दायें तट पर और नूरपुर से जहानाबाद तक बाएं किनारे पर वर्तमान तटबन्धों के पुनर्रूपण और सुदृढ़ करने का कार्य पहले से ही हाथ में लिया हुआ है । अजय नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांधों के निर्माण की संभाव्यता का बिहार सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है ।

श्री ए० के० साहा : इस बात को दृष्टिगत रखते हुये कि काफी समय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने अजय नदी पर बांध बनाने की योजना सरकार को भेजी थी, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इसे जल्दी निपटाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : बंगाल राज्य की सीमा में किसी बांध का निर्माण नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां कोई ऐसा उप्रयुक्त स्थान नहीं है जहां कि बांध का निर्माण किया जा सके । बहाव की उल्टी ओर जो रास्ता है केवल वही ऐसा स्थान है जहां कि बांध बनाया जा सकता है । इसीलिए हमने बिहार सरकार से स्थानों की जांच करने के लिए कहा है । उन्होंने एक दो स्थानों की जांच भी की है जो जलमग्नता एवं पहाड़ियों की उपयोगिता की दृष्टि से उचित नहीं पाये गये हैं । वह अन्य स्थानों की जांच कर रहे हैं ।

श्री ए० के० साहा : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसे चौथी योजना में शामिल किया जायेगा ?

डा० के० एल० राव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि यह बिहार राज्य द्वारा बांध के लिए उपयुक्त स्थानों का प्रस्ताव करने पर निर्भर करता है । मेरा विचार है कि वह ऐसा करेंगे और तभी इसे चौथी योजना में शामिल करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस परियोजना के बारे में मानसिंह समिति ने क्या सिफारिशें की थीं और अभी तक उन सिफारिशों पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

डा० के० एल० राव : मानसिंह समिति ने तट-बन्धों को पक्का करने और ऊंचे जलाशय का निर्माण करने की सिफारिश की है । यह एक सामांन्य सिफारिश है । जैसा कि मैं पहले निवेदन कर

चुका हूं बांध के लिए उपयुक्त स्थान की खोज करने का कार्य अब बिहार सरकार का है हम उन्हें समिति की सिफारशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो एकदम उनकी सीमा से बाहर की बात है ।

Licence Fee Realised from Licensed Porters of Indian Railways

*1088. **Shri B. R. Shukla** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) The total amount of licence fee realised from licensed porters working on Indian Railways ;

(b) how the above sum is spent ;

(c) whether there is any provision for providing amenities from the above fund for licensed porters ; and

(d) if so, what are those amenities ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : 31-3-1971 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलों में काम करने वाले लाइसेंसशुदा भारिकों से लाइसेंस फीस के रूप में कुल 9,35,738 रु० 55 पै० की राशि वसूल की गयी ।

(ख) उपर्युक्त पूरी राशि भारिकों को सप्लाई की जाने वाली वर्दियों की लागत और पर्यवेक्षण पर खर्च की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० आर० शुक्ल : इसमें से वर्दियों पर कुल कितना रुपया खर्च किया गया है ।

श्री हनुमन्तैया : मेरे विचार से लगभग 3.57 लाख रुपया वर्दियों पर खर्च किया गया है ?

श्री बी० आर० शुक्ल : अवशिष्ट धन का क्या हुआ ?

श्री हनुमन्तैया : अवशिष्ट धन तो सिब्बंदी पर और पर्यवेक्षण पर व्यय हो जाता है ।

श्री बी० आर० शुक्ल : लाइसेंसधारी कुलियों के कल्याण या उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के लिये अवशिष्ट धन में से कुछ भी व्यय नहीं किया गया है । यह धन उन रेलवे कर्मचारियों पर व्यय किया गया है जो कि इन लाइसेंसधारी कुलियों के कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं । क्या मैं इस बात को ऐसे ही मान लूं ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न नहीं है ।

श्री नवल किशोर सिंह : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यह कुली समाज के दलित वर्ग के होते हैं और विशेषतया रेलवे में भी यह सबसे निम्न सेवा के अन्तर्गत आते हैं, क्या सरकार इन लोगों को स्वास्थ्य आदि सम्बन्धी कुछ सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये इस धन का उपयोग करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है ।

श्री नवल किशोर सिंह : उन्होंने केवल तथ्यात्मक उत्तर दिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ?

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य केवल एक सुझाव दे रहे हैं और मैं इसकी जांच करूंगा।

Shortage of Covered Railway Wagons for Cement Factories

*1089. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the cement stockists could not lift cement from cement factories during the rainy season in 1970, because of the shortage of covered Railway wagons ;

(b) whether as a result thereof, the house building activity was held up ; and

(c) the steps taken by Government to meet the shortage of covered wagons this year ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1970 की वर्षा ऋतु में सीमेंट का लदान इससे पूर्व के महीनों और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी अच्छा रहा।

(ख) रेल मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है।

(ग) सभी रेल-प्रशासनों से कहा जाता है कि मानसून के दिनों में लदान के लिये उपयुक्त बनाने के उद्देश्य से बंद माल डिब्बों को जल-रोधी बनाने के लिये अपेक्षित मरम्मत के काम में तेजी लायें और विभिन्न सीमेंट कारखानों की मांगों को अधिक से अधिक सीमा तक पूरा करें।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : I would like to know from the hon. Minister whether Railway wagons could be made available to all cement factories ? How far the directions issued by the hon. Minister have been complied with, which factories have been benifited and what are the figures ?

श्री हनुमन्तैया : इसमें कोई सन्देह नहीं कि सभी सीमेंट फैक्टरियों को उतने रेल के डिब्बे उपलब्ध नहीं करवाये जा सके जितने कि उन्होंने मांगे थे। परन्तु सीमेंट के परिवहन के लिये डिब्बों का आवंटन करने में प्रतिवर्ष प्रगति हो रही है। उदाहरणार्थ वर्ष 1968-69 में हमने 90.40 लाख टन का परिवहन किया तो अगले वर्ष यह 100.70 लाख टन परिवहन किया गया और इसी प्रकार इस वर्ष (1970-71) यह बढ़कर 110.10 लाख हो गया है। अतः परिवहन कार्य में काफी सुधार हुआ है और इस दिशा में अधिक से अधिक कार्य करने की अपेक्षा है और मैं इससे भलीभांति अवगत हूं। कुछ दिन पूर्व सीमेंट उत्पादक संघ के प्रतिनिधि मुझे मिले थे, और मेरे साथ उनकी बातचीत हुई थी। मैं इस बात के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा हूं कि सीमेंट का परिवहन अधिक से अधिक हो सके।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : I would like to know from the hon. Minister about the response of his effort ? How far the response is satisfactory ?

श्री हनुमन्तैया : उत्पादकों के प्रतिनिधि मुझे मिले थे और मैं उनकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं। प्रयत्न का उत्तर संतोषजनक रहा है या नहीं, इसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता। हां, मैं उनकी सहायता करने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं।

Delay in the Electrification of Howrah-Delhi Railway Line

+
*1091. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Narendra Singh Bist :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the date when the work of electrification of Howrah-Delhi Railway line was started and the date by which it was scheduled to be completed ;

(b) the reasons for the delay in its completion and the time by which it would be completed ; and

(c) the benefits to accrue from the complete electrification of this line ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) हावड़ा-बर्दवान खंड जो कि हावड़ा-दिल्ली मार्ग का एक भाग है, का विद्युतीकरण 1954 में शुरू किया गया था ।

(ख) इस काम में कोई विलम्ब नहीं हुआ है । आशा है, हावड़ा-दिल्ली मार्ग का विद्युतीकरण 1975-76 तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) हावड़ा दिल्ली मार्ग के विद्युतीकरण का काम पूरा हो जाने से कर्षण में कोई परिवर्तन किये बिना ही इस मार्ग पर गाड़ियां चलाना सम्भव हो सकेगा जिसके परिणामस्वरूप खर्चे में किफायत के साथ साथ कार्य-कुशलता बढ़ जायेगी ।

Shri Jagannath Rao Joshi : A similar question was asked in Rajya Sabha in March, 1970, and in his answer the hon. Minister had said that the work between Kanpur and Tundla would be completed by 1971-72 but efforts would be made to complete the work between Tundla and Delhi during Fourth Five Year Plan after setting the report of Economic Study Committee and keeping in view the position of foreign exchange and available resources. But there is no mention of that in the present reply and therefore, I think either the economic study has not been done or if it has been done, there are enough resources and foreign exchange because it has been said that it will be completed by 1975-76. I would like to know as to whether in 1954, when this project was started, no target date for its completion was fixed, and if it was fixed, what are the reasons for delay ?

श्री हनुमन्तैया : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, अध्ययन किया गया था । परन्तु महत्व की बात तो यह है कि हमें इसे निश्चित समय में पूरा करना चाहिए । निश्चित समय को हो सकता है फिर से घटाया बढ़ाया गया हो । पर मेरा यह कहना है कि अब जो लक्ष्य रखा गया है उसका कठोरता से पालन किया जायेगा और यदि देरी हुई तो सम्बन्धित अधिकारी पर इसकी जिम्मेदारी डाली जायेगी ।

Shri Jagannath Rao Joshi : In reply to the later part of my question it has been said that it will be completed by 1975-76 and there will be separate traction there, only then the amount of benefit will be known. Now there are separate loco-sheds for electric and steam Engines, which involves more expenditure. Keeping this in view, is it not beneficial to give preference to its completion ?

श्री हनुमन्तैया : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि इस असमानता को दूर किया जाये । मैं इसे ध्यान में रखूंगा और आवश्यक कार्रवाई करूंगा ।

Proposal to Raise Height of Gandhi Sagar Dam

*1093. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Chambal Control Board is contemplating to raise the height of Gandhi Sagar Dam in Madhya Pradesh ;

(b) whether any survey has been conducted in about 100 villages for the purpose ; and

(c) if so, the broad outlines of the scheme and the result of the survey made in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c). There is no proposal for raising the height of the Gandhi Sagar Dam. The investigations mentioned in the question relate to the collection of relevant data in connection with forecasting of floods ; and to assist in the regulation of reservoir to ensure that the maximum level is within designed value.

Dr. Laxminarain Pandey : The hon. Minister has said that there is no proposal to raise the level but efforts are being made to ensure the maximum level within the envisaged cost. Does it not mean that they are thinking of raising the level after reconsideration. I would like to have a categorical assurance from the hon. Minister, whether there is no idea of doing this or it may be said that survey has been done on that very account. Or if any survey has been done for forecasting floods, what are the details thereof ?

डा० के० एल० राव : बांध की ऊंचाई बढ़ाने का कोई प्रश्न नहीं है। चम्बल बड़ी ही अनिश्चित नदी है। उसमें किसी साल बहुत पानी और कुछ वर्षों में बहुत ही कम पानी होता है। गांधी सागर बांध देश का बहुत ही अच्छा बांध है और हम चाहते हैं कि उसमें हर साल काफी मात्रा में पानी इकट्ठा किया जाये जिससे कि जब सबसे कम वर्षा हो उस समय इसका उपयोग हो सके। पानी भण्डार को सुनिश्चित करने के लिए हमें बाढ़ को पूर्व सूचना हेतु कोई तरीका अपनाना होगा। इसके लिए हमने सर्वेक्षण किया है। परियोजना के एक बार पूरा होने पर हम बांध की ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते। ऐसा करना सम्भव नहीं है।

Dr. Laxminarain Pandey : Are there some such villages among the villages surveyed which can be affected by floods ? Is there any scheme to shift them, or any steps are being taken for their safety ?

डा० के० एल० राव : इन दोनों उद्देश्यों से कुछ आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं। पहला यह है कि बाढ़ की पूर्व सूचना देने की बहुत ही उत्तम प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यदि अधिक वर्षा होती है तो हम यह अन्दाज लगा सकते हैं कि कितना पानी आ रहा है और यदि जलाशय पूरा भरा है तो हम पानी आने से पहले उसके दरवाजे खोल सकते हैं। दूसरे हम यह चाहते हैं कि जब जलाशय का स्तर अपनी पूरी ऊंचाई पर हो तो गांवों को कोई हानि न हो। बांध को ऊंचा करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह सम्भव ही नहीं है।

Shri N. K. Sharma : Generally there is less water in Gandhi Sagar Dam, which affects the electricity production adversely. I would like to know as to whether equiry has been done in this respect ? If so, what steps are being taken to remove this shortcoming ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं चम्बल बड़ी ही अनिश्चित नदी है। बाढ़ की पूर्व सूचना देने और अन्य उपायों के पीछे हमारा उद्देश्य यह देखना होता है कि

क्या हम पानी की प्रत्येक बूंदों को इकट्ठा करते हैं जिससे अन्य वर्षों में उसका उचित उपयोग किया जा सके । नदी में जितना पानी आता है उससे अधिक बड़ा जलाशय बनाया गया है ।

Shri Phool Chand Varma : Do the Government have any definite scheme for the supply of more water to Gandhi Sagar Dam so as to provide more water for irrigation and more electricity to the adjoining area ?

डा० के० एल० राव : चम्बल पर कई बांध बनाए गये हैं और वहां गिरने वाली पानी की प्रत्येक बूंद का उपयोग किया जा रहा है । उस अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई अन्य नदी नहीं है, चम्बल ही एक नदी है । चम्बल पर तीन बांध बनाये गये हैं जो पूरे हो चुके हैं । एक बैरेज है । इससे अधिक इस नदी पर और कुछ नहीं बनाया जा सकता ।

Loans Advanced to D. E. S. U.

*1094. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the total amount of loan given by the Central Government to the Delhi Electric Supply Undertaking so far ;

(b) the amount of loan proposed to be granted to the said Undertaking during the financial year 1971-72 ; and

(c) the rate of interest charged on the loans already given and the rate of interest to be charged on the loan proposed to be given to the said Undertaking ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri B. N. Kureel) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The total amount of loan given by the Central Government to the Delhi Electric Supply Undertaking so far from 1939-40 is Rs. 69.14 crores.

(b) A sum of Rs. 6.95 crores is likely to be released as loan to Delhi Electric Supply Undertaking during 1971-72. Against this, a loan of Rs. 1 crore has already been given.

(c) The rates of interest charged on the loans already given were as fixed by the Government from time to time and varied between $3\frac{1}{2}$ to 6% net per annum. The rate of interest for loans given during the year 1971-72 is 6% net per annum.

Shri Hukam Chand Kachwai : In the statement laid by the hon. Minister on the Table of the House it is said that a sum of Rs. 6 crores is likely to be released as loan to them. I wish to know through you from the Government as to how much amount they had demanded and have they submitted any list on which items they are going to spend this amount and if so, what are those items ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : चौथी योजना के दौरान दिल्ली शहर के लिए 42 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिसमें से $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपया नई दिल्ली नगर निगम को आवंटित किया गया है बाकी $39\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को दिए गए हैं । प्रतिवर्ष उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप धन आवंटित किया जाएगा । इस वर्ष दी जाने वाली राशि 6.95 करोड़ रुपये के लगभग है । पहली किश्त ट्रांसमिशन व्यवस्था तथा जनित्रों के रख-रखाव के लिए दी जा रही है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked as to how much amount they had demanded and how much have been sanctioned. Let the answer to this question be given first, then I will put my next question.

डा० के० एल० राव : जैसाकि मैंने पहले बताया, पांच वर्ष के लिए कुल 42 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है और उसमें से 39½ करोड़ रुपये दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को आवंटित किए जाएंगे। हो सकता है चर्चा के दौरान उन्होंने और धन की मांग की हो पर मुझे इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी नहीं है। योजना आयोग ने इस वर्ष के लिए 6.95 करोड़ रुपये की राशि देना स्वीकार किया है और मेरे विचार में यह पर्याप्त है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has said in his statement that they have been charging 3½ per cent to 6 per cent interest on the said loan and now they have fixed this rate at 6 per cent. I want to know through you as to what are the reasons for incresing the rates of interest? Why are they not advancing loans on the previous rates of interest?

डा० के० एल० राव : ब्याज की दर समय-समय पर बदलती रहती है। इस विशेष मामले में ऋण 8¾ प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है और तत्काल अदायगी पर 2¾ प्रतिशत की रियायत दी जा रही है और इस प्रकार ब्याज की दर 6 प्रतिशत के लगभग जाकर बैठती है। यदि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान समय पर ऋण की अदायगी नहीं करेगा तो उसे ब्याज अधिक दर पर देना पड़ेगा।

Shri H. K. L. Bhagat : I want to know from the hon. Minister as to whether DESU is repaying the loan according to shedule or not?

डा० के० एल० राव : जहां तक इन ऋणों की प्राप्ति का सम्बन्ध है इन ऋणों का भुगतान 15 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। प्रथम वर्ष में केवल ब्याज ही देय होता है और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान इसका भुगतान कर रहा है।

बंगलौर में दक्षिण रेलवे के जोनल या डिवीजनल मुख्यालय की स्थापना

*1095. **श्री धर्मराव शरणप्पा :**
श्री अफजल पुरकार :

क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर नगर के औद्योगिक महत्व को ध्यान में रखते हुए वहां दक्षिण रेलवे का जोनल या डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने के बारे में उनके मन्त्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) बेंगलूरू में दक्षिण रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन बेंगलूरू में दक्षिण रेलवे का मण्डलीय मुख्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए हैं।

(ख) मैसूर के अलावा बेंगलूरू में एक अतिरिक्त मण्डलीय मुख्यालय स्थापित करने का औचित्य नहीं समझा जाता ।

श्री के० मालन्ना : क्या बंगलौर के औद्योगिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए बंगलौर से मिराज तथा बंगलौर से गुंटाकल की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने तथा मद्रास से बंगलौर तक के विद्युतीकरण कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री हनुमन्तैया : प्रश्न मूल प्रश्न से संगत नहीं है ।

श्री के० मालन्ना : बंगलौर के औद्योगिक महत्व को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न संगत है ।

श्री हनुमन्तैया : यद्यपि दोनों सदस्य मेरी सहायता करने का प्रयत्न कर रहे हैं क्योंकि वह मेरा चुनाव क्षेत्र है, फिर भी मैं मूल प्रश्न से दूर नहीं जा सकता । माननीय सदस्य द्वारा किया गया प्रश्न संगत नहीं है ।

केरल सेरेमिक्स लिमिटेड कुंडारा का विस्तार

+
*1096. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से जापान सेरेमिक इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड तोक्यों के साथ केरल सेरेमिक्स लिमिटेड कुंडारा के सहयोग के नवीकरण की मन्जूरी देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केरल सेरेमिक्स लिमिटेड के लिये विभिन्न विस्तार योजनाओं का भी प्रस्ताव किया है ;

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस मामले पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख). केरल सरकार ने, टोकियो के मे० जापान सिरेमिक इंजीनियरिंग कं० लि०, के सहयोग से केरल सिरेमिक्स लि० कुंदरा द्वारा सिरेमिक ट्रांसफर पिक्चर्स बनाने की, संशोधित योजना को स्वीकृति देने के लिये मार्च, 1971 में केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया था । केरल सरकार ने चीनी मिट्टी तथा मिट्टी के बर्तन बनाने के लिये तथा एल० टी० इंसूलेटर बनाने के लिये पर्याप्त विस्तार करने हेतु केरल सिरेमिक्स लि० के औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन की भी अक्टूबर, 1970 में सिफारिश की थी ।

(ग) और (घ). सिरेमिक्स ट्रांसफर पिक्चर्स की प्रतिवर्ष 1.35 लाख शीटें बनाने के लिये सहयोग करने की संशोधित योजना 17-5-71 को कुछ परिवर्तन के साथ मन्जूर कर दी गई थी।

संयंत्र और मशीनों का अधिकतम उपयोग करके चीनी मिट्टी तथा मिट्टी का बर्तन प्रतिवर्ष 1,440 मी० टन० की क्षमता (विस्तार के पश्चात्) द्वारा बनाने तथा एल० टी० इंसूलेटरों का प्रतिवर्ष 120 मी० टन० की क्षमता में निर्माण करने के लिए पर्याप्त विस्तार करने हेतु केरल सिरेमिक्स लि० को 10.6.71 को एक आशय पत्र दिया गया है। इस पर्याप्त विस्तार के प्रस्ताव में 30.23 लाख रु० के मूल्य का पूंजीगत माल का आयात तथा विदेशी सहयोग शामिल है। किन्तु किसी तरह के कच्चे माल का आयात शामिल नहीं है। पार्टी उत्पादन का 30 प्रतिशत निर्यात करने के लिये तैयार है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : वक्तव्य में कहा गया है कि केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित सहयोग की योजना कुछ संशोधनों सहित स्वीकार कर ली गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र ने क्या संशोधन किए हैं ?

श्री घनश्याम ओझा : योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं : विदेशी सहयोगकर्ताओं को दी जाने वाली फीस में कमी की गई है तथा केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित तकनीकी विशेषज्ञों की फीस 2,26,500 रुपये (कर मुक्त) से बदल कर 1,51,500 रुपये (कर योग्य) कर दी गई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना में आमूल परिवर्तन कर दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री घनश्याम ओझा : क्योंकि उस योजना को ज्यों का त्यों क्रियान्वित करना हमारे लिए संभव नहीं था। विदेशी सहयोगकर्ताओं तथा केरल सेरेमिक का आपस में कुछ मतभेद था, अतः उनके अनुरोध पर इसमें समय-समय पर परिवर्तन करना पड़ता था। अन्तिम वास्तविक स्थिति यही है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार, तिरुचिरापल्ली और हैदराबाद स्थित कारखानों में उत्पादन

*1098. **श्री एस० एम बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार, तिरुचिरापल्ली तथा हैदराबाद स्थित कारखानों में गत वर्ष उत्पादन बढ़ गया था ;

(ख) यदि हां, तो 1969 के उत्पादन और गत वर्ष के उत्पादन की तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ग) वर्ष 1969 और 1970 में प्रत्येक कारखाने में कितने मूल्य का उत्पादन हुआ ; और

(घ) इन वर्षों में प्रत्येकं कारखाने को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हरिद्वार तथा तिरुचिरापल्ली के भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एककों में पिछले साल उत्पादन बढ़ा है । हैदराबाद एकक में कम हुआ है । विगत वर्ष में सम्पूर्ण कम्पनियों में उत्पादन बढ़ा है । एकक वार उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए जाते हैं :

	(रुपये लाखों में)	
	1969-70	**1970-71**
तिरुचि	2111	2652
हैदराबाद	1459	1254
हरिद्वार	944	1079
कम्पनी का योग	4514	4985

लाभ हानि की स्थिति नीचे दी जाती है :

	(रुपये लाखों में)			
		1969-70		**1970-71†**
तिरुचि	(+)	502	(+)	556
हैदराबाद	(—)	324	(—)	106
हरिद्वार	(—)	328	(—)	426
कम्पनी का योग	(—)	150	(+)	24

†1970-71 के आंकड़े अनन्तिम हैं, क्योंकि अभी लेखे तैयार हो रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि हैदराबाद, हरिद्वार, तिरुचिरापल्ली तथा भोपाल एककों के कर्मचारी इस कारण अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इन सभी एककों में सेवा की शर्तें समान नहीं हैं ? इससे चूंकि उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अतः क्या सरकार यह देखने का प्रयत्न करेगी कि इन सभी एककों में सेवा की शर्तों को समान बनाया जाए ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मेरे विचार में सेवा की समान शर्तों का उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या हरिद्वार में प्रारम्भिक कठिनाइयां दूर हो गई हैं ; यदि नहीं, तो इन समस्याओं को दूर करने तथा उत्पादन में सुधार करने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : हरिद्वार एकक अभी निर्माणाधीन है और अभी यह आधा भी तैयार नहीं हुआ। यद्यपि 1969-70 में इसे 328 लाख रुपये की हानि हुई तथा 1970-71 में यह राशि बढ़कर 426 लाख रुपये हो गई फिर भी···

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने हानि के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया। प्रश्न उत्पादन के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रारम्भिक कठिनाइयां दूर कर ली गई हैं।

श्री मोइनुल हक चौधरी : निश्चय ही इसमें कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां सन्निहित हैं। अभी तक हमें आर्डर ही नहीं मिले थे। अब आर्डर मिल गए हैं और हमने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। आशा है, हम भविष्य में और अधिक उत्पादन करने में समर्थ होंगे।

Shri Paripunanand Painuli : In the note sent by U.P. Government to M.Ps. it is alleged that Bharat heavy electricals of Hardwar and Bhopal have not supplied generators in time for Yamuna Hydel project and Ram Ganga project because of which their work is being incomplete and productions could not be started. The hon. Minister has stated that they did not get orders. I want to know as to which one of the two things is correct?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मेरा यह कथन कि हरिद्वार संयन्त्र को पर्याप्त क्रयादेश नहीं मिले, सही है। मुझे नहीं पता कि माननीय संसद सदस्यों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या टिप्पण दिये गये हैं। अगर वह मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, तो मैं इस प्रश्न की निश्चित रूप से जांच करूंगा और यह देखूंगा कि मेरी सूचना सही है अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का वक्तव्य। अगर दोनों के बीच कोई असंगति है, तो मैं अवश्य ही उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा।

श्री संजीवी राव : विवरण-पत्र से पता चलता है कि हैदराबाद स्थित कारखाने में यद्यपि उत्पादन में कमी हुई है, फिर भी घाटे में भी कमी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कैसे सम्भव है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह बेहतर कार्यकरण के कारण सम्भव हो सका है।

श्री के० के० रामी रेड्डी : हैदराबाद स्थित कारखाने के उत्पादन में कमी हुई है और हरिद्वार स्थित कारखाने के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परन्तु हैदराबाद स्थित कारखाने के घाटे में भी कमी हुई है और हरिद्वार स्थित कारखाने के घाटे में वृद्धि हुई है। क्या इसका हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि जितना ही ज्यादा हम उत्पादन करते हैं, उतना ही ज्यादा घाटा भी होता है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह जरूरी नहीं है कि ऐसा होता ही हो। जैसा कि मैंने कहा, हरिद्वार स्थित कारखाने की निर्माणावस्था अभी पूरी नहीं हो सकी है। हैदराबाद स्थित कारखाना वर्ष 1971-72 में 'न लाभ न हानि' की स्थिति में पहुंच जायेगा और हरिद्वार कारखाना वर्ष 1975-76 में।

गंगा तथा कावेरी को जोड़ने के लिए पटना से तमिलनाडु तक नहर

*1099. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा तथा कावेरी नदियों को जोड़ने के उद्देश्य से पटना से तमिलनाडु तक 2000 मील लम्बी एक बड़ी पोषक नहर का निर्माण करने की योजना के बारे में ब्यौरे की जांच करने तथा स्थल पर अध्ययन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त निर्णय करने से पूर्व इस परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन किया था ;

(ग) इस परियोजना से सिंचाई की कितनी नई क्षमता उत्पन्न हो जाएगी तथा इस पर कितनी लागत हो आएगी ; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा कब तक अपना कार्य आरम्भ कर दिए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्रारम्भिक अध्ययन से यह पता चलता है कि पटना के आस-पास की गंगा के मानसून के पानी को देश के उन अन्य इलाकों में, जहां अतिरिक्त सिंचाई के लिए पानी की बड़ी मांग है, प्राकृतिक जल मार्गों और मौजूदा या प्रभावित जलाशयों का, जहां भी व्यवहार्य हो, उपयोग कर पम्प से या गुरुत्व (ग्रेविटी) नहरों के सम्मिश्रण द्वारा ले जाया जा सकता है । इस प्रकार एकीकृत राष्ट्रीय जल ग्रिड से पेय जल की सप्लाई में वद्धि करने और नौवहन सुविधाओं को सुधारने के लाभों की व्यवस्था भी होगी । परियोजना को व्यवहार्यता का निश्चय करने के लिए विस्तृत जांच कार्य से पहले भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञों की सलाह से लाभ उठाने का निश्चय किया है । भारत सरकार का निवेदन संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्ज कर लिया गया है और आशा है कि विशेषज्ञ लगभग 3-4 महीनों के भीतर अपना कार्य आरम्भ कर देंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वह इस महत्वाकांक्षी योजना को हाथ में लेने जा रहे हैं । इसकी पृष्ठभूमि के रूप में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में सरकार द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है और कितने वर्षों में यह योजना पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : हमने केवल नक्शों के आधार पर प्रारम्भिक अध्ययन किया है । भूमि पर वास्तविक व्यापक सर्वेक्षण करने से पूर्व, जिसमें लगभग 9-10 वर्षों का समय लगेगा, हम राष्ट्र संघ से परामर्श करना चाहते हैं । हमने उनसे चार विशेषज्ञों के एक दल को

भेजने का अनुरोध किया है और हमें उम्मीद है कि आज से लगभग 3-4 महीने की अवधि के अन्दर वे यहां पहुंच जायेंगे। उनके प्रारम्भिक निरीक्षण और सलाह के पश्चात हम अधिक विस्तृत जांच पड़ताल करेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मन्त्री महोदय का कहना है कि राष्ट्र संघ विशेषज्ञ आ रहे हैं। जब तक प्रारम्भिक अनुमान और सर्वेक्षण-कार्य पूरा नहीं होता, यह कैसे हो सकता है ? अगर यह सम्पूर्ण कार्य्य होता है, तो उनके प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार कुल कितना लागत-खर्च आयेगा ? इसके कितने वर्षों में पूरे हो जाने की सम्भावना है ? 100 मील लम्बी नहर दस वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकी है। यह 2000 मील लम्बी नहर है। इसमें कितना समय लगेगा और कितना धन व्यय होगा ?

डा० के० एल० राव : मैंने पहले ही निवेदन किया कि हमने केवल नक्शों के आधार पर ही प्रारम्भिक अध्ययन किया है। अगर मैं माननीय सदस्य को केवल नक्शों के अध्ययन पर आधारित कोई सूचना देता हूं, तो संभव है वह उपयोगी सिद्ध न हो सके। अगर मैं यह कहता हूं कि इस पर लगभग 1000 करोड़ व्यय होंगे, तो इस से माननीय सदस्य व्यग्र हो सकते हैं। जब हम व्यापक जांच-पड़ताल करते हैं, तो नहर की लम्बाई में कमी करना सम्भव हो सकता है ; वास्तविक क्षेत्र-सर्वेक्षण से पता चलेगा कि नहर की लम्बाई कम होगी अथवा ज्यादा। किसी विशिष्ट ऊंचाई तक पम्प द्वारा पानी पहुंचाने की लागत कम हो सकती है। व्यापक सर्वेक्षण से पूर्व लागत अनुमान लगाने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। हमारे पास काफी विस्तृत रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं केवल नक्शों के आधार पर लाये गये लागत अनुमानों का ब्योरा नहीं देना चाहता। हम राष्ट्र संघ से अनुरोध कर रहे हैं कि परियोजना के कुछ विशिष्ट मुद्दों पर हमें जानकारी और सलाह दें और यह भी बतायें कि परियोजना विस्तृत जांच-पड़ताल किये जाने के काबिल है आदि आदि।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या बाद में अन्तर्राज्यीय विवादों से बचने के लिये इस मामले में विभिन्न राज्यों से उन्होंने परामर्श कर लिया है ?

डा० के० एल० राव : इसमें लगभग सात राज्य अन्तर्ग्रस्त हैं और जहां तक मैं समझता हूं विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है; वे परियोजना की जांच-पड़ताल के लिये कुछ धन राशि देने के लिए भी उत्सुक हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी इसका विरोध करेगा।

Shri Bibhuti Mishra : A 2000 miles long canal has to be constructed and navigation has to be undertaken from Calcutta to Allahabad via Patna and all goods have to be supplied through the steamers. In view of the above position, has the Government made any alternative management for navigation when there would be low level of water in Ganges ?

डा० के० एल० राव : मन्त्री महोदय ने बिहार का उल्लेख किया है। बिहार की मुख्य समस्या अधिक पानी की है, कम पानी की नहीं। जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वह यह है कि अधिकतम बाढ़ के तीन चार महीनों के अन्दर पानी ले लिया जाय और पम्प द्वारा उस पानी को पठार के साथ-साथ संग्रह कर लिया जाय। वर्ष के 7-8 महीने के शुष्क मौसम के दौरान पानी नहीं लिया जायेगा। तीन-चार महीने अथवा दो-तीन महीने ही नदी में बाढ़ का पानी होता है। हम तभी उसमें से पानी लेंगे और अन्य महीनों में नहीं। बिहार के माननीय सदस्य के चिन्तित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहां उनके पास काफी पानी है।

श्री जगन्नाथ राव : गंगा और कावेरी को आपस में मिलाने की योजना के अन्तर्गत, क्या महानदी, गोदावरी, कृष्णा आदि जैसी बीच में आने वाली बारहमासी नदियों के फालतू पानी को लेने के प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ?

डा० के० एल० राव : यह सब तो उपलब्ध पानी की मात्रा निर्भर करता है । विशेषकर गर्मी के महीनों में, बारहमासी नदियों में कम पानी होता है । यह अव्यवस्थित बारिश के कारण भी होता है और यही कारण है कि हमें गंगा से संयोजक नहरों का निर्माण करना होगा । गंगा ही एक मात्र ऐसी नदी है जिसमें फालतू पानी होता है और जिसका हम उपयोग कर सकते हैं ।

जहां तक इस परियोजना का सम्बन्ध है, ये नहरें भारत के मैदानों और पठारों से होकर इन विभिन्न नदियों को पार करेंगी । जब भी हम यह पायेंगे कि किसी विशिष्ट नदी अर्थात् नर्मदा, महानदी अथवा कृष्णा में या किसी क्षेत्र विशेष में पानी की कमी है, तो इन नहरों से उनमें पानी की पूर्ति की जायगी । इस प्रकार का विचार है । यह तो नल की तरह है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय तथा रेलवे सेवा आयोग को उड़ीसा में स्थानान्तरित करना

*1085. **श्री एम० एम० जौजफ** :
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय तथा रेलवे सेवा आयोग के कार्यालय को उड़ीसा में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है जैसा कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने हाल में निवेदन किया था; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) इन कार्यालयों के स्थानान्तरण के प्रश्न की जांच की जानी है ।

योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति

*1086. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के कुल केन्द्रीय परिव्यय का कितना भाग योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान व्यय किया जायेगा; और

(ख) योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) चौथी योजना की अवधि में रेलवे क्षेत्र में होने वाले 1275 करोड़ रुपये के कुछ परिव्यय में से लगभग 560 करोड़ रुपये योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान खर्च किये जायेंगे ।

(ख) योजनाधीन परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति और उनके खर्च की रफ्तार पर निरन्तर निगरानी रखने के लिये रेलों पर एक 'कार्य दल' की स्थापना की गयी है ।

उच्चतम न्यायालय में मामलों की पैरवी करने के लिये स्थापित की गई केन्द्रीय एजेन्सी योजना में राज्य सरकारों द्वारा भाग लिया जाना

*1090. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय में दीवानी और फौजदारी के मामलों की पैरवी करने के लिये स्थापित की गई केन्द्रीय एजेन्सी योजना में सभी राज्य सरकारें भाग ले रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत संघ तथा राज्य सरकारों के अलग-अलग कितने मामले उच्चतम न्यायालय के सम्मुख आये हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं । केवल निम्नलिखित राज्य सरकारें ही योजना में भाग ले रही हैं :—

1. पंजाब
2. हरियाणा
3. बिहार (केवल कुछ आपराधिक विषय)
4. जम्मू और कश्मीर
5. महाराष्ट्र
6. गुजरात

(ख) योजना में सम्मिलित होना किसी भी राज्य सरकार के लिये अनिवार्य नहीं है । किन्तु केन्द्रीय एजेन्सी योजना की जानकारी सभी को है । योजना में भाग न लेने वाले राज्यों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपने मुकदमों में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये उच्चतम न्यायालय में प्राइवेट अधिवक्ताओं को नियुक्त करके अपना इंतजाम स्वयं करना पसन्द किया है ।

(ग) उच्चतम न्यायालय के गठन की तारीख से लेकर अब तक के समस्त आंकड़े मंगाने पड़ेंगे तथा उनका संकलन करना होगा । इसलिये यह जानकारी देना संभव नहीं है ।

फिरोजपुर-लुधियाना साखा लाइन को मुख्य लाइन बनाना

*1092. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिरोजपुर-लुधियाना शाखा लाइन को मुख्य लाइन बनाने का है जिससे फिरोजपुर और दिल्ली के बीच शाखा लाइन के स्टेशनों से होती हुई मेल रेल गाड़ियां चल सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) परिचालन और यातायात की दृष्टि से औचित्य नहीं है ।

रेलवे प्रशासन द्वारा दिल्ली में चुंगी कर की वसूली

*1097. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम की ओर से नई दिल्ली, दिल्ली तथा शाहदरा रेलवे स्टेशनों पर चुंगो कर वसूल करना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस वसूली के लिये कितना कमीशन लिया जायेगा ; और

(घ) क्या रेलवे विभाग इसी प्रकार के आधार पर देश के किसी अन्य भाग में चुंगी कर वसूल कर रहा है, और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा कमीशन के रूप में कितनी राशि अर्जित की गई ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) रेलें कुछ स्टेशनों पर स्थानीय निकायों की ओर से तीर्थ यात्रा कर इकट्ठा करती हैं । स्टेशनों के नाम और कमीशन के रूप में अर्जित रकम के बारे में अब तक जो ब्यौरा इकट्ठा हो सका है, वह सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 648/71**]

रेलवे कर्मचारियों के लिये अधिक अवकाश-गृहों की मांग

*1100. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रीष्म ऋतु में भीड़ के समय रेल विभाग के अवकाश-गृहों की भारी मांग रहती है ;

(ख) क्या अवकाश-गृहों की कमी के कारण बड़ी संख्या में आवेदकों की मांगें पूरी नहीं की जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे में अवकाश-गृहों की संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 649/71.]**

Inaction of Flood Forecasting Centres in Bihar, U P. and Assam

*1101. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the flood forecasting centres remained quite inactive and prior caution could not be given to the public at the time of sudden floods in Ganga, Gandak, Bagmati and Bhutliwalan rivers in Bihar and some other rivers in Assam and Uttar Pradesh during the second week of June, 1971 resulting in heavy loss of life and property ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government have found out the reasons for which such flood forecasting centres prove quite often in-effective and the public is not benefited by such centres ; and

(d) if so, the remedial measures contemplated ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) and (b). The Flood Forecasting Centres under the Central Sector have been set up for issue of flood forecasts for vulnerable areas on some of the rivers in the country. These forecasts are issued to the State authorities whenever the rivers rise within 1 metre of the warning stage. The State authorities are responsible for the dissemination of the forecasts to the public. The Flood Forecasting Centres in Assam, Bihar and Uttar Pradesh and the places on the rivers for which arrangements have been made for the issue of forecasts are as follows :

Name of State	Location of Centre	Location of Central Room	River for which forecasting arrangements have been made
Assam	Gauhati	Dibrugarh Jorhat	(1) Brahmaputra river at Dibrugarh, Neamati, Gauhati and Goalpara.
		Nalbari Barpeta Road Goalpara Silchar	(2) Pagladiya at Nalbari.
Bihar	Patna	Muzaffarpur Darbhanga	(1) Ganga at Buxer, Patna Hatidha, Monghyr, and Bhagalpur.
		Monghyr	(2) Kamla Balan at Jhanjharpur.
		Birpur	(3) Burhi Gandak at Chanpatia, Muzaffarpur.
			(4) Gandak at Tribeni.

1	2	3	4
Uttar Pradesh	Lucknow	Allahabad Varanasi Gorakhpur	(1) Ganga at Varanasi. (2) Ghagra at Elgin bridge, Ayodhya and Turtipar. (3) Rapti at Birdsghat. (4) Gomti at Lucknow.

The Flood Forecasting Centres issued forecasts of floods as necessary, on the above rivers during the second week of June to the State authorities. Floods of high magnitude causing heavy loss of life and property did not occur in Assam and Bihar during the second week of June. In Uttar Pradesh loss of life and property was confined to the hill districts of Chamoli and Pithoragarh where 8 human lives were lost and total damage of Rs. 11 lakhs occurred due to floods and land slides in the seeond week of June.

(c) and (d). The working of the Flood Forecasting centres has been quite satisfactory and the forecasts issued have been found very useful by the State authorities in taking timely action for relief and rescue operations wherever necessary. For increasing the period of warning and accuracy of forecasts, further improvements in collection of data and communication system are being made with the experience gained.

बंगला देश के निष्क्रान्तों के लिये खाद्य सामग्री की सप्लाई करने हेतु माल डिब्बों का भेजा जाना

*1102. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगला देश के निष्क्रान्तों के लिये खाद्य सामग्री की सप्लाई करने हेतु कितने रेल के माल डिब्बे भेजे गये हैं ;

(ख) वे किन-किन जोनों से भेजे जाते हैं तथा कितनी अवधि के लिये भेजे जाते हैं ; और

(ग) इसके फलस्वरूप संबंधित जोनों में हुई माल डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के लिये अनाज के संचालन के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि अकेले इस तरह के विस्थापितों के लिये संचलन की मांग अलग से नहीं की जाती। 1 अप्रैल से 30 जून, 1971 तक की अवधि में पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा के लिये, जहां भारी संख्या में विस्थापितों का आगमन हुआ, बड़ी लाइन के 25,112 और मीटर लाइन के 63.90 माल डिब्बों में प्रायोजित अनाज का लदान किया गया।

(ख) और (ग). भारतीय रेलों के सामान्य सेवा वाले सभी माल डिब्बों को माल के परिवहन के लिये मांग के अनुसार सभी क्षेत्रों में पूल में रख लिया जाता है। इसलिये यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि पूर्वी बंगाल के विस्थापितों के लिए अनाज के संचलन के निमित्त किस सीमा तक अथवा कितनी अवधि के लिए माल डिब्बों का मार्ग-परिवर्तन किया जाता है। विस्थापितों के लिये संचलन के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते।

शिशु आहार के मूल्य में वृद्धि

*1103. **श्री सी० चित्तिबाबू** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिशु आहार के मूल्य में चार प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) क्या उत्पादन लागत कम करने के लिये सरकार ने शिशु आहार निर्माताओं को सपरेटा पाउडर की सप्लाई की थी ; और

(ग) यदि हां, तो शिशु आहार के मूल्य में चार प्रतिशत की वृद्धि की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कारण निम्नलिखित हैं :–

(1) तरल दूध की कीमत में हुई वृद्धि ;

(2) आयातित सपरेटा दुग्ध पाउडर के मूल्य में हुई वृद्धि ;

(3) प्रक्रिया और अन्य वस्तुओं पर हुई वृद्धि ।

महाराष्ट्र की सिंचाई योजनाओं के लिये मंजूरी न दिया जाना

*1104. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र की कितनी सिंचाई योजनाओं की मंजूरी इस आधार पर नहीं दी है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों सम्बन्धी जल-विवाद का निर्णय करने के लिये नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई रोकादेश दिया है ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपनी योजनाओं की मंजूरी रोक रखने पर विरोध किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर के बीच कृष्णा पर जल विवाद और आंध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच गोदावरी पर जल विवाद, अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के अधीन 19 अप्रैल, 1969 को निर्मित न्यायाधिकरणों को न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट कर दिये गए हैं । न्यायनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही प्रगति कर रही है ।

कृष्णा और गोदावरी बेसिनों में महाराष्ट्र की स्कीमें, जोकि केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग में जांच के लिये प्राप्त हुई हैं, उपबन्ध में बताई गई हैं । भारत सरकार ने योजना आयोग के साथ

सलाह करके यह ठीक नहीं समझा कि इन परियोजनाओं को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया जाय जबकि कृष्णा और गोदावरी नदियों तथा उनकी घाटियों से सम्बन्धित जल विवाद पर न्यायाधिकरण न्यायनिर्णय लें रहा है। नई परियोजनाओं को स्वीकृति के प्रश्न को न्यायाधिकरणों को निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

(ग) जी, हां।

विवरण

	बृहद् स्कीमें	**मध्यम स्कीमें**
कृष्णा बेसिन	1. हिरण्यकेशी (पश्चिम की ओर व्यपवर्तन)	1. खण्डाला
	2. कसारो -वही-	2. पानगांव (हिंगी)
	3. दूधगंगा	3. नजारे
	4. चस्कामन	
गोदावरी बेसिन	1. अपर वार्धा	1. दसरवाडी
	2. अपर पेनगंगा	2. भोजापुर
	3. लेंडी	3. डेनगर गांव
	4. पेंच सिंचाई	4. करपारा
	5. लोअर पेनगंगा (सहस्रकुंड परियोजना का सिंचाई भाग)	5. कल्याणगिर्जा
		6. धमना
		7. चारगांव
	6. अपर प्रवरा	8. टकली
	7. लोअर दूधना	9. गिरोली
		10. चुलवंद
		11 पर्दोटक्मोरे
		12. पंचादारा
		13. करडखेड
		14. टीरू
		15. अमलनाला
		16. पानगांव (चटसिल)
		17. मसोली
		18. तवार्जा
		19. चन्द्रभागा
		20. बोधेगांव

उद्योगों का वर्गीकरण

*1105. **श्री इराज्मुदसेकेरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों को गैर-प्राथमिकता वर्ग में रखने के भेद-भाव को दूर कर दिया है जो किसी प्राथमिकता प्राप्त उद्योग के सहायक या पोषक उद्योग के रूप में कार्य करते हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : यद्यपि प्राथमिकता प्राप्त 59 उद्योगों और अन्य उद्योगों (जिन्हें गैर-प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है) के बीच लाइसेंस की प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है फिर भी गैर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों का अधिकार क्षेत्र व्यापक बना दिया गया है ताकि वह अपनी पूरी उत्पादन क्षमता अथवा लाइसेंसकृत क्षमता के 125 प्रतिशत तक का जिसे भी उपयुक्त समझे पूरा पूरा उत्पादन कर सके ।

तार के एनेमल के उत्पादन के लिये लाइसेंसों का दिया जाना

*1106. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिनको तार के एनेमल के उत्पादन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) अपनी स्वयं की खपत के लिये तथा बिक्री के लिए एनेमल का उत्पादन करने वाले निर्माताओं की अलग अलग संख्या कितनी है ;

(ग) क्या तार के एनेमल के निर्माण के लिये सरकार ने किन्हीं आवेदन-कर्ताओं को लाइसेंस जारी करने से इन्कार किया है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और उन आवेदन-कर्ताओं के नाम क्या हैं ;

(घ) 1969-70 में कुल लाइसेन्स प्राप्त क्षमता कितनी थी तथा वास्तव में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ङ) क्या सरकार ने तार के एनेमल की क्षमता का पता लगाया है और यदि हां, तो क्या लाइसेंस प्राप्त क्षमता उसी के अनुसार निर्धारित की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). —

1. मे० डा० वेक एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि०, पूना
2. मे० इनेमल्ड वायर प्रा० लि०, बम्बई
3. मे० गन्जप्पा केब्ल्स लि०, हैदराबाद,
4. मे० हिन्दुस्तान ट्रांसमिशन प्राडक्ट्स, बम्बई,
5. मे० अजीत इन्डस्ट्रीज, बम्बई,
6. मे० भारत इन्सुलेशन कम्पनी बम्बई,
7. मे० देवी दयाल केबल इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई,
8. मे० शक्ति इन्सुलेटेड वायर्स प्रा० लि०, बम्बई,
9. मे० इलेक्ट्रिकल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन, बम्बई,

इनमें से केवल मे० डा० वेक एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि० पूना, बिक्री और देश में उपयोग

के लिये तथा विदेशों को निर्यात करने के लिये एनेमल वायर (तार) का उत्पादन करते हैं। शेष आठ पार्टियां अपने केप्टिव कंजम्पशन के लिये ही एनैमल तार बनाती हैं।

(ग) जी, हां, 1969 और 1970 में मे० एशियन पेन्ट्स, (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई से एनैमल तारों का (नई वस्तु के रूप में) उत्पादन करने के लिए और मे० भारत इन्सुलेशन कम्पनी बम्बई से वायर एनैमल बनाने के लिये पर्याप्त विस्तार करने के लिये एक-एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। मे० एशियन पेन्ट्स का आवेदन-पत्र अगस्त 1970 में इस वस्तु की देश की आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी क्षमता का लाइसेंस पहले ही जारी कर दिये जाने के कारण रद्द कर दिया गया। मे० भारत इन्सुलेशन कम्पनी के मई, 1971 में आवेदन रद्द कर दिये जाने का कारण यह है कि उन्होंने इसी वस्तु के लिये 1969 में जारी किये गये लाइसेंसों को पूरी तौर पर अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है।

(घ) कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता 6,245 मी० टन प्रतिवर्ष है। इसके अलावा एक अन्य पार्टी को केवल केप्टिव कंजम्पशन के लिये 10 मी० टन की वार्षिक क्षमता का एक आशय-पत्र जारी किया गया है। मे० डा० वेक एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लि० पूना का एनैमल वायरों का 1969 और 1970 में उत्पादन क्रमश: 2740 और 3636 मी० टन रहा। देश के केप्टिव कंजम्पशन के एनैमल तारों के कुल उत्पादन का लेखा अलग नहीं रखा जाता है।

(ङ) जी, हां। इस वस्तु की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्षमता का लाइसेंसीकरण किया गया है।

हीराकुड जलाशय उड़ीसा में गाद का जमा होना

*1107. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार उड़ीसा में हीराकुड जलाशय में वास्तव में गाद किस दर से जमा हो रही है ;

(ख) क्या गाद के जमा होने के फलस्वरूप हीराकुड जलाशय का 'जीवनकाल' कम हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो कितना ; और

(घ) क्या गाद को जमा होने से रोकने के लिए सरकार का विचार कोई उपाय करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (घ). परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित 20 मिलियन घन मीटर (16700 एकड़ फुट) की अपेक्षा गाद जमा होने की औसतन वार्षिक दर प्रेक्षण के आधार पर 30 मिलियन घन मीटर (25000 एकड़ फुट) आंकी गई है। गाद जमा होने के फलस्वरूप हीराकुड जलाशय के जीवनकाल का विश्वसनीय अनुमान लगाना तभी संभव है जबकि गाद जमा होने संबंधी सर्वेक्षण, जो इस समय प्रारंभिक चरणों में हैं, पूर्ण हो जायेंगे। गाद के प्रवाह को कम करने के लिये हीराकुड बांध के वाह्यक्षेत्र में भू-संरक्षण उपाय हाथ में लिये गये हैं। ऐसी भी संभावना है कि बांध में बड़ी संख्या में स्लूसों की व्यवस्था कर देने से जलाशय में आने वाली गाद के एक बड़े भाग को निकालने में सहायता मिलेगी।

सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि के लिये अनुरोध

*1108. **श्री एस० राधाकृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों से सीमेंट के मूल्यों में और वृद्धि करने के बारे में हाल में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) मामला विचाराधीन है।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के सामग्री आयोजन कक्ष (मैटेरियल प्लानिंग सेल) का अलौह धातुओं सम्बन्धी प्रतिवेदन

*1109. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के सामग्री आयोजन कक्ष द्वारा अलौह धातुओं सम्बन्धी किये गये अध्ययन में क्या मुख्य बातें बताई गई हैं ;

(ख) दुर्लभ कच्चे माल की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ; और

(ग) उनका स्वदेश में उत्पादन करने के लिए क्या विशेष आयोजन किया गया है तथा उसकी क्रियान्विति किस अवस्था में है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) इस मंत्रालय के सामग्री योजना कोष्ठ ने अब तक जस्ता, निकिल, टीन, शीशा तांबा, एल्युमीनियम, सल्फर तथा रॉक फास्फेट के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्ययन द्वारा इस मुख्य बात का पता चला है कि फिलहाल देश में इन अलौह धातुओं की मांग उनके उत्पादन से बहुत अधिक है।

(ख) जहां कहीं भी कमी है, उसको पूरा करने के लिए दुर्लभ कच्चे मालों के आयात की अनुमति दी जा रही है।

(ग) इन धातुओं के देश में अधिकतम उत्पादन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। ऐसी आशा की जाती है कि चालू योजना के अन्त तक एल्युमीनियम उद्योग में आत्मनिर्भरता प्राप्त करली जायेगी और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को हाथ में. लेने के परिणामस्वरूप तांबा, जस्ता तथा निकिल में पर्याप्त वृद्धि करली जायेगी।

सीमेंट के नये कारखानों को लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध का प्रभाव

*1110. **श्री के० के० रामी रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हाल में हुई बैठक में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि उन राज्यों

में, जहां उत्पादन तो अतिरिक्त होता है किन्तु वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सीमेंट के नये कारखानों के लिये लाइसेंस देने पर कठोर प्रतिबन्ध के कारण सीमेंट का अधिक उत्पादन करने तथा उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने में बाधा आई है ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप चौथी योजना के अन्त तक उत्पादित होने वाली सीमेंट अन्तर्देशीय आवश्यकता से 12.5 लाख मीट्रिक टन कम पड़ेगी ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की पहली नीति के प्रभाव को दूर करने के लिये कौन से प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां। सीमेंट सम्बन्धी लाइसेंस देने के बारे में सरकार की सामान्य नीति कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने को प्रोत्साहन देने और अधिकता वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त क्षमता को हतोत्साहित करने की रही है। फिर भी पिछड़े क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर वहां अधिकता होने के बावजूद उचित विचार किया जायेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चौथी योजना के अन्त तक होने वाली सीमेंट की सम्भावित मांग को पूरा करने के उद्देश्य से सीमेंट उत्पादन में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस देने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

इलाहाबाद डिवीजन (उत्तर रेलवे) की टिकट निरीक्षण शाखा के कर्मचारियों के दुराचार के मामले

4569. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन की टिकट निरीक्षण शाखा के कर्मचारियों के गम्भीर दुराचार के कुछ मामले 1968-70 में वाणिज्य शाखा के निहित स्वार्थ रखने वाले अधिकारियों ने वित्तीय लाभ और मामलों को दबाने के उद्देश्य से नष्ट कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों की संख्या क्या है ;

(ग) इन मामलों में कितना धन अन्तर्ग्रस्त है ; और

(घ) इन मामलों को नष्ट करने के लिये कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं ; और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

रल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). रिकार्ड नष्ट करने के तीन सन्दिग्ध मामले नोटिस में आये हैं।

(ग) कागज-पत्रों की अनुपस्थिति में इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(घ) इस मामले की जांच-पड़ताल के आधार पर मुख्य निरीक्षक (टिकट), इलाहाबाद और इलाहाबाद मण्डल की वाणिज्य शाखा के एक क्लर्क के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

खोमचों और जलपान गृहों के ठेके

4570. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 और 1970 के दौरान इलाहाबाद डिवीजन और भारतीय रेलों में अलग-अलग, खोमचों और जलपान गृह के ऐसे कितने ठेके दिये गये जिनमें जमानत जमा नहीं की गई थी ;

(ख) जमानत जमा न किये जाने के कारण रेलों को कितने राजस्व की हानि उठानी पड़ी ; और

(ग) दोषी कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध, अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) वर्ष 1968-70 में इलाहाबाद मण्डल और समूची भारतीय रेलों पर बिना जमानत जमा कराये खोमचे और जलपानगृह का कोई ठेका नहीं दिया गया ।

(ख) इस कारण रेलों को राजस्व की कोई हानि नहीं हुई ।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन के श्रमिकों का दुरुपयोग

4571. **श्री अजीज इमाम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों, विशेषकर उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में श्रमिकों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है जिससे राजकोष की बहुत हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बुराई को समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या श्रमिकों के दुरुपयोग का एक विशिष्ट मामला 27 मार्च, 1971 को मिर्जापुर में हुई एक यूनियन की बैठक में यूनियन के एक अधिकारी द्वारा उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के ध्यान में लाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी नहीं, लेकिन श्रमिकों के कथित दुरुपयोग के सम्बन्ध में जब तब शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं । जैसे ही शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी जांच-पड़ताल की जाती है । इलाहाबाद मण्डल में श्रमिकों के दुरुपयोग की एक शिकायत की इस समय जांच की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा पेंशन सम्बन्धी विकल्प

4572. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों से 13-9-1968 को, जब कि महंगाई भत्ते का वेतन में विलय करने सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन था, पेंशन का विकल्प करने के लिये कहा गया था;

(ख) कितने रेलवे कर्मचारियों ने 13.9.68 से 30.11.68 तक पेंशन के बारे में विकल्प किया था ;

(ग) जब पेंशन की सुविधा के लिये 1.12.68 से मंहगाई भत्ते का वेतन में विलय करने सम्बन्धी अनुच्छेद 468 सी० (सी० एस० एस०) पुनरीक्षित किया गया था तो उक्त अवधि के दौरान सेवा निवृत्त होने वाले रेलवे कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखने के क्या कारण हैं ;

(घ) 13.9.68 और 30.11.68 के बीच सेवा निवृत्त कर्मचारियों को यदि यह सुविधाएं दी जायें तो सरकार को कितना धन व्यय करना पड़ेगा ; और

(ङ) कर्मचारियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, दूसरा विकल्प देने का विनिश्चय संयुक्त वार्तातिन्त्र की राष्ट्रीय समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार किया गया था। जिन रेल कर्मचारियों ने राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदायी) के लाभों को अपनाया था और जिन कर्मचारियों ने 1.5.1968 को या इसके बाद नौकरी छोड़ दी थी, उन सभी रेल कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया था।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) 468 सी० (सिविल सर्विस रेगुलेशन) जैसा कोई अनुच्छेद नहीं है। इसलिए, उसमें संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों की शेयर पूंजी में जनता का भाग लेना

4573. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्तमान सरकारी उपक्रमों और भावी परियोजनाओं के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की दृष्टि से उनमें जनता का धन लगाने सम्बन्धी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता की इस बीच जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उन वर्तमान और भावी सार्वजनिक उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिनकी अंश पूंजी में जनता के योगदान के बारे में निर्णय किया गया है ; और इनमें प्रत्येक सरकारी उपक्रम में यह योगदान किस सीमा तक होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). विभिन्न मंत्रालयों से उपलब्ध हो जाने पर जानकारी दी जायेगी ।

लोको वर्कशाप दाहोद पश्चिम रेलवे से पीतल तथा ताम्बे के टुकड़ों की चोरी

4574. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मई, 1971 को इस आशय का कोई समाचार मिला है कि एक माल डिब्बा

जिसमें कूड़ा कर्कट भरा बताया गया था पश्चिम रेलवे को दाहोद वर्कशाप से बाहर भेजा गया था परन्तु उसमें पीतल और ताम्बे के टुकड़े पाये गये ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उक्त वर्कशाप से कूड़े कर्कट से भरे 10 से 20 माल डिब्बे सामान्यतया प्रतिमास बाहर निकाले जाते हैं और इस प्रकार पीतल एवं ताम्बे के अनेक बहुमूल्य टुकड़े वहां से बाहर निकाले जाते हैं ; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । लेकिन 31.5.1971 को कूड़ के नीचे दबे हुए कुछ पीतल और ताम्बे के टकड़े पाये गये थे ।

(ख) जी हां । जब ऐसी सूचना मिली तो इस मामले की जांच को गयी । लेकिन क्योंकि वे टुकड़े कूड़े के हो अंग थे, अतः इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं पाया गया ।

(ग) और (घ). लोको और रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों की देख-रेख में हर महीने कूड़े से भरे हुए 5-6 माल-डिब्बे बाहर भेजे जाते हैं । पीतल और ताम्बे के टुकड़ों को कूड़े में मिलाये जाने की रोकथाम के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं ।

लोको वर्कशाप दाहोद के लिये कोयला राख की नीलामी

4575. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे पर रेलवे अधिकारियों द्वारा लोको-वर्कशाप, दाहोद में कोयला राख की नीलामी करने की प्रथा समाप्त कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्यास-सतलुज परियोजना

4576. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्यास-सतलुज परियोजना के अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि उन्हें निर्विघ्न रूप से धन मिलता रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो ब्यास नदी का जल सतलुज नदी में कब तक मिल जायेगा ;

(ग) इस परियोजना के माध्यम से कितने बिजली घरों की स्थापना की जायेगी ;

(घ) ये बिजली घर कब तक चालू हो जायेंगे ;

(ङ) इन बिजली घरों में कितनी बिजली तैयार होगी ; और

(च) इस परियोजना से राज्यवार कितनी भूमि की सिंचाई की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) ब्यास-सतलुज लिंक के लिये अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था की जा रही है । इस परियोजना की वित्त व्यवस्था पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सरकारों द्वारा की जा रही है और यह उनकी अपनी-अपनी योजनाओं का अंग है । केन्द्रीय सहायता सम्बन्धित राज्यों को ब्लाक अनुदानों/ऋणों के रूप में दी जा रही है । बहरहाल, इस परियोजना के लिये योजना आयोग द्वारा परिव्ययों को पृथग्-रक्षित किया जा रहा है ।

(ख) वर्तमान अनुसूची के अनुसार, दिसम्बर, 1973 तक ब्यास के जल का सतलुज में व्यपवर्तन होना संभावित है ।

(ग) सर्व प्रथम 120-120 मैगावाट की चार उत्पादन यूनिटों को प्रतिष्ठापित करना है । इतनी ही क्षमता की भविष्य में दो और यूनिटों का प्रबन्ध भी किया गया हैं ।

(घ) वर्तमान अनुसूची के अनुसार प्रथम यूनिट का मार्च, 1974 में चालू होना संभावित है और शेष यूनिटों का उसके बाद में ।

(ङ) पूर्ण होने पर, 100 प्रतिशत भार अनुपात पर 264 मैगावाट की पक्की विद्युत् उपलब्ध हो जायेगी । इस परियोजना से 100% भार अनुपात पर भाखड़ा पर 148 मैगावाट की पक्की विद्युत् का उत्पादन भी बढ़ जायेगी ।

(च) इस परियोजना द्वारा व्यपवर्तित जल अधिकतर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में वर्तमान सिंचाई का विस्तार और सुधार करने में इस्तेमाल किया जायेगा ।

Discussion by Chief Minister of Uttar Pradesh with Minister of Industrial Development for setting up of Industries and Car factory in U. P.

4577. **Shri Ram Chandra Vikal** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether he visited Lucknow during May, 1970 and during the visit the Chief Minister of Uttar Pradesh had raised some demands for industrial development of U. P. ;

(b) whether the matter relating to the setting up of a car factory in U. P. was also discussed ; and

(c) if so, the outcome of the discussions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The Chief Minister was informed that the proposed public sector project for the manufacture of passenger cars had not yet reached the stage for taking a decision on the question of location of the project. It was also explained to him that several other State Governments had also approached the Central Government for location of the project in their States and that the request of the U. P. Government would be considered, along with similar requests received from other States, at the appropriate time.

क्षेत्रीय रेलवे के लेखा विभाग के ग्रेड 1 के क्लर्कों की पदोवनति

4578. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
डा० कर्णी सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेखा विभाग में ग्रेड 1 के उन क्लर्कों की कुल संख्या क्या है जो 25 सितम्बर, 1969 को क्लर्क ग्रेड 1 में स्थानापन्न कार्य कर रहे थे किन्तु जिन्हें बोर्ड के 25 सितम्बर, 1969 के पत्र संख्या ई० (एन० जी०) 168 पी० एम० आई०/99 के द्वारा पश्चिम रेलवे में प्रत्येक वरिष्ठता एकक में पदावनत कर दिया गया था तथा अन्य क्षेत्रीय रेलवे में (क्षेत्रवार) ऐसे क्लर्कों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में इस बीच कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार सताये गये कर्मचारियों को पुनः पदोन्नत करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) दक्षिण और पश्चिम रेलों को छोड़कर ग्रेड 1 के लिपिकों का परावर्त्तन और कहीं नहीं हुआ है । इन दो रेलों में स्थिति इस प्रकार है :—

(I) **दक्षिण रेलवे**	10
(II) **पश्चिम रेलवे**	
(1) यातायात लेखा वरिष्ठता यूनिट, अजमेर	2
(2) माल लेखा वरिष्ठता यूनिट अजमेर	6
(3) सामान्य लेखा वरिष्ठता यूनिट, अजमेर	6
(4) वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एफ टी ए) दिल्ली वरिष्ठता यूनिट	7

(ख) पश्चिम रेलवे के 7 कर्मचारियों और दक्षिण रेलवे के 6 कर्मचारियों की ओर से उनके परावर्त्तन के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ग) चूंकि उपर्युक्त कर्मचारी उन अल्पावधिक रिक्त स्थानों के समाप्त हो जाने पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार परावर्त्तित हुए थे जिन पर वे स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे थे, अतः उनकी बहाली का प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा स्नातक इंजीनियरों की भर्ती

4579. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा योग्यता-प्राप्त स्नातक इंजीनियरों को श्रेणी-कृत वेतनमान के स्थान पर दैनिक मजूरी पर भर्ती किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इंजीनियरी व्यवसाय वालों ने इस प्रकार की नियुक्ति पर विरोध प्रकट किया है और नियोक्ताओं पर इंजीनियरों में बेरोजगारी की वर्तमान विषम स्थिति का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया है ; और

(ग) क्या अन्य व्यवसायों के लिये भी दैनिक मजूरी के आधार पर नियुक्ति की जाती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी हां। बोर्ड की गतिविधियों का विस्तार होने पर इन इंजीनियरों को बाद में नियमित सेवा में रख लिया जाएगा। बोर्ड का विचार है कि इस प्रकार की नौकरी से आवश्यक अंतः सेवाकालीन अनुभव प्राप्त हो जाता है।

(ख) और (ग). हमको इसकी जानकारी नहीं है।

Irrigation Pumps Energised in Madhya Pradesh

4580. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of irrigation pumps energised by the State Government of Madhya Pradesh for irrigational purposes during the last one year ;

(b) the details of the power supplied division-wise in Madhya Pradesh ; and

(c) the number of villages division-wise likely to be supplied with power for irrigational pumps during the next year in Madhya Pradesh ;

The Deputy Minister of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) In Madhya Pradesh, 20920 irrigation pumpsets were energised during 1970-71.

(b) and (c). A statement giving the requisite information is attached.

Statement

S. No	Name of Division	Energy sold during 70-71 for agricultural purposes (in million units)	Number of villages to be electrified in 1971-72	Number of pumpsets to be energised in 1971-72
1.	Raipur	2.67	195	3865
2.	Bilaspur	0.79	113	2555
3.	Jabalpur	8.29	324	6410
4.	Rewa	2.52	136	2660
5.	Indore	35.72	480	9500
6.	Bhopal	9.61	174	3480
7.	Gwalior	5.47	78	1530
	Total :	64.87	1500	30000

रायमा सोरमा, त्रिपुरा से सहवासियों का निकाला जाना

4581. **श्री दशरथ देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रायमा सोरमा (त्रिपुरा) के बहुत से सहवासियों को डुमबुरा पन-बिजली परियोजना के लिये भूमि खाली करने के लिये नोटिस दिये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितने परिवार अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ग) रायमां सोरमा से निकाले गये अथवा भविष्य में निकाले जाने वाले परिवारों के लिये कौन से दूसरे व्यवसाय की व्यवस्था की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) जी, हां। डुमबुरा जल-विद्युत परियोजना द्वारा रायमा सोरमा में जलमग्न होने वाले क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को नोटिस दिए जा रहे हैं।

(ख) लगभग 300 परिवार।

(ग) वैकल्पिक भूमि और सम्पत्ति का मुआवजा देने के अतिरिक्त, सरकार रायमा सोरमा से विस्थापित हुए अथवा विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए वैकल्पिक जीवन निर्वाह की व्यवस्था करने की भी कोशिश कर रही है।

Hardships caused to the people due to Dowry System

4582. **Shri Ram Bhagat Paswan :** Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the 'Tilak and Dahej' (Dowry) systems cause great hardship to the people ; and

(b) if so, the steps taken by Government to impose restrictions on them ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b). The Dowry Prohibition Act, 1961 has been enacted with a view to prohibit the giving or taking of dowry.

Functioning of State Electricity Boards

4583. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether State Electricity Boards functioning in various States are not working satisfactorily ;

(b) whether the Venkataraman Committee had been set up in 1964 to go into the question of their proper functioning and other matters ; and

(c) if so, the main recommendations of the Committee and the steps taken by Government to implement them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) A statement showing the rate of return on the average capital base achieved by the various State Electricity Boards indicating the financial results of the working of the Boards for the years, 1967-68 to 1969-70 is attached. **[Placed in the Library. See No. LT—650/71].**

(b) The Venkataraman Committee was set up in 1964 to suggest (i) ways and means of improving the revenues of the various State Electricity Boards and also the income from electricity duty ; and (ii) the pattern of relationship between the tariff and electricity duty.

(c) The main recommendations of the Venkataraman Committee Report relating to the earning of the reasonable return by the State Electricity Boards were accepted and conveyed to the

States concerned in the Government of India's Resolution No. EL. II—3(1)/64, dated the 3rd March, 1965 copy attached [**Placed in the Library. See No. LT—650/71**]. In pursuance of these recommendations most of the State Electricity Boards have revised their tariffs from time to time to adjust their revenue earning in order to achieve the recommended targets of return, in a phased manner. The achievement of the target of returns, by the State Electricity Boards is being reviewed by the Government of India.

जल के संसाधनों के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अन्तरक्षेत्रीय गोष्ठी

4584. **श्री पी० के० देव** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार विकासशील देशों के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जल के संसाधनों के बारे में आयोजित अन्तरक्षेत्रीय गोष्ठी में भाग ले रही है ;

(ख) इससे पहली गोष्ठी कहां आयोजित की गई थी ; और

(ग) उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई थीं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). जल संसाधनों पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित अन्तरक्षेत्रीय गोष्ठी के भारत में होने के प्रश्न पर भारत सरकार विचार कर रही है । जल संसाधनों पर पिछली अन्तरक्षेत्रीय गोष्ठी फरगाना (सोवियत रूस) में 1966 में हुई थी । इस गोष्ठी ने जल संसाधनों के उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न देशों से आए विशेषज्ञों के बीच विचार विनिमय का एक अवसर प्रदान किया । विकासशील देशों के लिए सामान्यत: ये समस्याएं थीं : धन की कमी, पैसा अदा करने में कठिनाइयां, तकनीकी शिक्षा की कमी, द्रववैज्ञानिक आंकड़ों का न मिलना, जल प्रबन्ध के लिए एक संस्था की स्थापना, संचय स्कीमों की आवश्यकता, जल संसाधन विकास में सुधार लाने के लिए जल सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तन और जल प्रदूषण ।

दक्षिण रेलवे के रेलवे कुली संघ का ज्ञापन

4585. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1969 में दक्षिण रेलवे के रेलवे कुली संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में उठाये गये मामलों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गौहाटी (पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे) में 12 नवम्बर, 1971 को घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस मामले वापस लेना

4586. **श्री एम० कतामुत्तु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी में 12 नवम्बर, 1970 की घटनाओं के बाद रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध दायर किये गये पुलिस मामले उस बीच वापस लिये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या जो अधिकारी घटना स्थल पर मौजूद था तथा जोकि उन घटनाओं के लिये उत्तरदायी था उसकी पदोन्नति कर दी गई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । अभी तक पुलिस मामलों की छान-बीन कर रही है । रेल प्रशासन न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता ।

(ख) फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता ।

पहलेजाहघाट-समस्तीपुर-नरकटियागंज सवारी गाड़ी में तीसरे दर्जे के शायिका यान

4587. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहलेजाघाट-समस्तीपुर-नरकटियागंज सवारी गाड़ी में पहलेजाघाट से बैरागनिया तक तीसरे दर्जे का शायिकायान जोड़ने के लिये स्थानीय जनता लगातार मांग कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगला देश में मार्शल ला अधिकारियों द्वारा चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में बाढ़ लाने के कथित प्रयास

4588. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में मार्शल ला के अधिकारी चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों में कपताई के स्थान पर कर्नाफुली पन-बिजली परियोजना के 16 जल कपाटों को जानबूझकर तथा जबरन बन्द करके चटगांव पर्वतीय क्षेत्रों तथा आसाम के समीपवर्ती क्षेत्रों अर्थात् मिजो पर्वतीय जिले में बाढ़ लाने का प्रयास कर रहे हैं ;

(ख) क्या इन सभी जल कपाटों के बन्द हो जाने से हाल्दा, संखा तथा मतामुदुरी नदियों में पानी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाता है तथा फलस्वरूप मिजो जिले में बाढ़ आ गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) कापताई में कर्णफुली जल-विद्युत् परियोजना के जलकपाटों (स्लूस गेटों) के बन्द करने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) असम सरकार ने सूचित किया है कि जल-स्तर में कोई खास तब्दीली नहीं आई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के न्यायालयों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कार्यवाही

4589. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीचे के न्यायालयों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिये कुछ उपाय किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार को दूर करने में ये उपाय कहां तक सहायक होंगे ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). दिल्ली उच्च न्यायालय को यह समस्या और दिल्ली के अधीनस्थ न्यायालयों की परिस्थितियां अच्छी तरह मालूम हैं । उच्च न्यायालय ने दो ज्येष्ठ न्यायाधीशों का एक सतर्कता-सेल बनाया है जो इस बाबत उचित कार्रवाई कर रहे हैं । किन्तु इस सम्बन्ध में जिस प्रकार के उपाय किए गए हैं या करने का विचार है उन्हें प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा ।

इंजीनियरिंग उद्योग के लिए किस्म विकास एकक

4590. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान के केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि किस्म नियंत्रण को बढ़ावा देने हेतु निर्यात के लिए विशेषकर इंजीनियरिंग उद्योग के लिए बाजार विकास एकक के समान एक किस्म विकास एकक की स्थापना की जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखबारी कागज की माँग, उत्पादन तथा आयात

4591. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अखबारी कागज की आन्तरिक मांग कितनी रही और इसका देशीय उत्पादन तथा आयात कितना रहा ; और

(ख) देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों की अवधि अर्थात 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 में अखबारी कागज की विशेष रूप से आन्तरिक मांग का निर्धारण नहीं किया गया किन्तु यह 1.1 लाख टन से 1.8 लाख टन के बीच रही। विगत तीन वर्षों में अखबारी कागज का उत्पादन और आयात इस प्रकार था :

वर्ष	उत्पादन	आयात (टन में)
1967-68	30806	81610
1968-69	35303	114458
1969-70	37341	182300

(ख) नेपा मिल की क्षमता 30,000 टन से 75,000 टन तक बढ़ाई जा रही है। गैर सरकारी क्षेत्र में 179500 टन की क्षमता स्थापित करने की एक योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा, हिन्दुस्तान कागज निगम केरल में 75000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता का अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करेगा।

मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड और मैसर्स एल्कांक एशडान एंड कम्पनी लिमिटेड के कार्यों की जांच करने के लिये समिति की स्थापना

4592. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड बम्बई और मैसर्स एल्कांक एशडांन एंड कम्पनी लिमिटेड भावनगर के कार्यों की जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति अनुमानतः कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 को धारा 15 के अनुसार 3 जून, 1971 को मे० मेकजाइन लि० बम्बंई और मैं० अलकाक ऐश डाउन एण्ड कम्पनी लि० भावनगर के कार्यों की जांच करने को आदेश दिया है। समिति को अपना प्रतिवेदन दो महीने की अवधि में प्रस्तुत करने को कहा गया है।

मनीपुर में सीमेंट का मूल्य

4593. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मनीपुर में खुले बाजार में सीमेंट का मूल्य बहुत ही बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). रेल प्राधिकारियों द्वारा मालगाड़ी के डिब्बों पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण इम्फाल बाजार में सीमेंट

के स्टाक की भारी कमी हो गई जिसकी वजह से विक्रेताओं ने अधिक मूल्य सम्भवतः वसूल किये होंगे। रेलवे ने मणिपुर के लिये सीमेंट वैगनों पर से नियंत्रण हटा लिया है और आशा है कि सीमेंट का नया स्टाक पहुंचने पर सप्लाई की स्थिति शीघ्र ही सुधर जायेगी।

Fixation of Prices of Commodities under Essential Commodities Act

4594. **Dr. Laxminarain Pandey**: Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state:

(a) the names of the commodities whose prices have been fixed by Government under the Essential Commodities Act;

(b) the criteria adopted by Government to declare a particular commodity as an essential commodity; and

(c) whether Government propose to bring certain other commodities within the purview of this Act in addition to those already covered?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) The information is being collected from the various administering authorities and will be laid on the Table of the House.

(b) Government declare a commodity as an essential commodity under the Essential Commodities Act, 1955, whenever it is considered necessary or expedient so to do for maintaining or increasing supplies of any commodity or for securing their equitable distribution and availability at fair prices or for securing any commodity for the defence of India or the efficient conduct of military operations.

(c) The list of essential commodities is kept under continuous watch and additional commodities are declared as essential commodities whenever the circumstances so warrant.

भारतीय रेलवे की सिगनल तथा दूर संचार शाखा के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

4595. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे की सिगनल तथा दूर संचार शाखा के कर्मचारियों ने 19 अप्रैल, 1971 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन के सामने प्रदर्शन किया गया था तथा अधिकारियों को मांग पत्र दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी विभिन्न मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार थीं—उनकी संख्या को मान्यता देना, एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना, पदनामों में एक रूपता, निरीक्षकों को भण्डार सम्बन्धी उत्तरदायित्व से मुक्त करना, कर्मचारी क्वार्टर, विश्रामदाता और छुट्टी रिजर्व की व्यवस्था, स्थायीकरण, कार्य घंटा विनियम के अधीन वर्गीकरण, कार्य-विश्लेषण, वर्दियां, वेतनमान और प्रशिक्षण सुविधाएं। इन मांगों पर विचार किया गया था और इन पर समुचित कार्रवाई की गई है।

पटना और दानापुर के कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर क्षतिपूर्ति भत्ते का भुगतान न किया जाना

4596. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पटना को बी-2 श्रेणी का नगर घोषित कर दिया है ;

(ख) क्या वे रेलवे कर्मचारी जो पटना में रहते हैं और पटना या दानापुर में काम करते हैं अब उस दर पर मकान किराया और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता पाने के हकदार हैं जिस दर यह अन्य बी-2 श्रेणी के नगरों के रहने वाले कर्मचारियों को दिया जाता है ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित कर्मचारियों को, उनको मिलाने वाली दर पर मकान किराया और नगर क्षतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जा रहा है ;

(घ) क्या पटना में रहने वाले अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये भत्त उनकी ग्राह्य दरों पर दिए जाते हैं ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख), (ग) और (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उनकी उचित भत्ते और बकाया राशि देगी और यदि हां, तो कब तक ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) पटना में काम करने वाले और प्राइवेट मकानों में रहने वाले रेल कर्मचारियों को बी-2 श्रेणी वाले नगरों के समान नगर (प्रतिकर) भत्ता और मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है ।

जो कर्मचारी पटना में काम कर रहे हैं लेकिन सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं उन्हें बी-2 श्रेणी के नगरों के समान नगर (प्रतिकर) भत्ता दिया जा रहा है ।

जो कर्मचारी पटना में रह रहे हैं लेकिन दानापुर में काम कर रहे हैं उन्हें बी-2 श्रेणी के नगरों के समान मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है । इन कर्मचारियों को नगर (प्रतिकर) भत्ता देने के बारे में मंजूरी-आदेश जारी किया जा रहा है ।

(घ) इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) बकाया राशि, यदि कोई होगी, तो उसका भुगतान अगस्त, 1971 के अन्त तक कर दिया जायेगा ।

खगौल में रेलवे क्वार्टरों के किराये में वृद्धि

4597. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खगौल (दानापुर) रेलवे बस्ती में रहने वाले रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों के किराये में अक्टूबर, 1970 से वृद्धि कर दी गई है, और उक्त बढ़ाये गये किराये को सर्वप्रथम उनके मई, 1970 के वेतन-बिलों से काट लिया गया है ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन का विचार क्वार्टरों के बढ़े हुए किराये की बकाया राशि को कर्मचारियों से वसूल करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं जबकि ये क्वार्टर वर्षों पहले बनाए गए थे और उस समय उन पर आई लागत के हिसाब से ही किराया निर्धारित किया गया था ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस वृद्धि को वापस लेने तथा पुनः यथापूर्व स्थिति स्थापित करने का है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) खगौल (दानापुर) के रेलवे क्वार्टरों सहित पूर्व रेलवे के रेलवे क्वार्टरों के निर्धारित किराये में 1-10-1970 से संशोधन किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में किराये में बृद्धि हुई है। संशोधिन किराये मई, 1971 के वेतन बिलों से वसूल किए जा रहे हैं।

(ख) जी हां।

(ग) रेलों पर किराया हर क्वार्टर अथवा किसी एक स्टेशन के क्वार्टरों के लिए अलग से नियत नहीं किया जाता। एक कोटि में पूल किए हुए क्वार्टरों का निर्धारित किराया निकालने के लिए उस कोटि के सभी क्वार्टरों की कुल लागत को ध्यान में रखा जाता है। इस तरह से नियत किराये में समय समय पर संशोधन किया जाता है ताकि पिछली बार संशोधन होने के बाद बने नये क्वार्टरों की लागत का समावेश किया जा सके। वर्तमान वृद्धि इसी तरह के एक संशोधन का परिणाम है।

(घ) जी नहीं। जैसा कि ऊपर (ग) में कहा गया है, पूल के आधार पर निर्धारित किराया निकालने के परिणामस्वरूप ही संशोधन करना पड़ता है। यह प्रणाली समग्र रूप से कर्मचारियों और प्रशासन दोनों के लिए उचित और लाभप्रद समझी जाती हैं।

हावड़ा तथा बर्दवान डिवीजनों में काम करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिये बीमा योजना अथवा चिकित्सा सुविधायें

4598. **श्रीमती विभा घोष :**
डा० सरदीश राय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में, हावड़ा, तथा बर्दवान डिवीजनों में कार्य करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेताओं के लिये कोई बीमा योजना अथवा चिकित्सा सुविधायें नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजना बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). हावड़ा मण्डल या किसी अन्य मण्डल में खान-पान विक्रेताओं के लिए कोई बीमा योजना नहीं है। बर्दवान में कोई अलग मण्डल नहीं है, यह स्टेशन हावड़ा मण्डल में स्थित है। खान-पान विभाग में कमीशन के आधार पर काम करने वाले खान-पान विक्रेता जिन में हावड़ा मण्डल में काम करने वाले विक्रेता भी शामिल हैं, रेलवे अस्पताल / डिस्पेंसरी और स्वास्थ्य यूनिट के बहिरंगरोगी विभाग में निःशुल्क डाक्टरी चिकित्सा कराने के पात्र होते हैं और

दुर्घटनाओं में घायल होने की दशा में रेलवे अस्पताल / डिस्पेन्सरियों के अंतरंग रोगी विभाग में निःशुल्क भोजन और निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा पाने के पात्र होते हैं। ये सुविधाएं केवल खान-पान विक्रेताओं को ही दी जाती हैं, उनके परिवार को नहीं।

सिगरेट एककों की स्थापना के लिए लायसेंस जारी करना

4599. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिगरेट एकक स्थापित करने के लिये हाल ही में कोई लायसेंस जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो किन फर्मों को लाइसेंस दिये गये थे तथा किन स्थानों पर इन कारखानों को स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सिगरेटों का उत्पादन करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों / आशय पत्रों के विवरण

क्रमांक	यूनिट का नाम	स्थापना स्थल	स्वीकृत क्षमता (10 लाख में)
†1.	मै० यूनिवर्सल टोबेको कं० लि०	हैदराबाद	1800
†2.	मै० गोल्डन टोबेको कं० लि०	बड़ौदा	4500
3.	श्री के० एल० नाराण्यणसा	बंगलौर	4500
4.	मै० नेशनल टोबेको कं० आफ इण्डिया	वही	4500
5.	श्री कृष्ण मोहन गोयल	कलकत्ता	4500
6.	श्री एम० वी० राव, मद्रास	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	4500
7.	ईस्ट इण्डिया टोबेको कं० प्रा० लि० गन्टूर	तमिलनाडू	4500
8.	तमिलनाडू इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० मद्रास	तमिलनाडू	4500
9.	जम्मू एण्ड काश्मीर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० श्री नगर	जम्मू के निकट (जे एण्ड के स्टेट)	4500
10.	हरियाणा स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन चण्डीगढ़	सोनीपत (हरियाणा)	4500

†1 और 2 औद्योगिक लाइसेंस हैं, शेष आशय पत्र हैं।

1	2	3	4
11.	केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, त्रिवेन्द्रम	केरल	4500
12.	मै० नव भारत एन्टरप्राइजेज प्रा० लि० हैदराबाद ।	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	3600
13.	गोल्डेन टोबेको कं० लि०	हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	4500

भ्रष्टाचार के आधार पर रेलवे रक्षा दल के निरीक्षण कर्मचारियों का स्थानान्तरण (उत्तर रेलवे)

4600. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे जोन में रेलवे सुरक्षा दल के कुछ निरीक्षण-कर्मचारियों को भ्रष्टाचार तथा सन्देहपूर्ण चरित्र के आरोप पर हाल ही में अन्य जोनों में स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनको पद-मुक्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां, प्रशासनिक कारणों से ।

(ख) 9 निरीक्षक । उपनिरीक्षकों में से 6 को भारमुक्त कर दिया गया है । लेकिन भारमुक्त उपनिरीक्षकों में से एक ने बाद में उच्च न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त कर लिया और पुनः ड्यूटी पर आ गया ।

(ग) बाकी तीन उपनिरीक्षकों में से दो ने बीमार होने की सूचना दी है और तीसरा स्थानान्तरण आदेश मिलने से पहले ही छुट्टी पर चला गया था ।

दिल्ली स्टेशन (उत्तर रेलवे) के रेलवे सुरक्षा बल के एक सिपाही के विरुद्ध चोरी का आरोप

4601. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन पर पार्सलों की चोरियां बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) क्या 13 जून, 1971 को दिल्ली के बड़े स्टेशन पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल का एक सिपाही पी० डब्ल्यू० बिल संख्या 391298 के अन्तर्गत खुर्जा से नई दिल्ली के लिए बुक की गई साइकिल को रंगे हाथों चुराता हुआ पकड़ा गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उसके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया था और उसको मुअत्तिल कर दिया गया है ; और

(घ) क्या मामले की इस बीच जांच कर ली गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली पुलिस अभी इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

कुमार नदी परियोजना का निर्माण

4602. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :**
श्री रेणुपद दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्दवान तथा बीरभूमि के बीच वहां के सीमावर्ती क्षेत्रों के ग्रामीणों को बाढ़ के संकट से बचाने के लिये कुमार नदी परियोजना का निर्माण करना स्वीकार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उनके पास बाढ़ से क्षेत्रों के बचाव के लिए कुनुर नदी पर किसी वृहत् परियोजना का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, राज्य सरकार ने कुनुर नदी द्वारा लाये गये वर्षा के पानी से 770 हेक्टेयर निचले क्षेत्र की रक्षा के लिए बर्दवान जिले में कुनुर नदी जल-निकासी स्कीम का प्रस्ताव किया है। इस स्कीम को अंतिम रूप देने के लिए और भी जल-वैज्ञानिक आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

ए० एम० आई० ई० की डिग्री प्राप्त असिस्टेन्ट इंजीनियरों की पदोन्नति

4604. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी रेलवे में वर्ष 1970 में सिविल इंजीनियरिंग विभाग में ए० एम० आई० ई० की डिग्री प्राप्त तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की असिस्टेन्ट इजीनियरों के पदों पर पदोन्नति की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था ;

(ग) क्या उस वर्ष मध्य रेलवे में इस डिग्री प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेद भाव के क्या कारण हैं ; और क्या मन्त्रालय इस डिग्री प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति की सभी क्षेत्रीय रेलवे में एक समान प्रणाली आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख). जी हां। ए० एम० आई० ई० अर्हता वाले तीसरी श्रेणी के नौ कर्मचारियों को सहायक इंजीनियर (श्रेणी II) के पदों के लिए चुना गया था और उनकी पदोन्नति कर दी गयी।

(ग) जी, हां, क्योंकि ए० एम० आई० ई० डिग्री प्राप्त कोई भी व्यक्ति प्रवरण में सफल नहीं हुआ ।

(घ) कोई असमानता नहीं है । वर्तमान आदेशों के अनुसार, सभी क्षेत्रीय रेलों में चयन का क्षेत्र प्रत्याशित रिक्तियों के छः गुने तक सीमित होता है । इसके अलावा, इंजीनियरी या समकक्ष डिग्री वाले स्थायी कर्मचारियों को, जिनको तीसरी श्रेणी में तीन वर्ष की नौकरी हो जाती है, द्वितीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए प्रवरण में सम्मिलित होने का मौका दिया जाता है । जब तक उनका चयन न हो जाये और उनके नाम पैनल में न रख दिये जायें तब तक वे द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे ।

रेलवे में ए० एम० आई० ई० डिग्री-धारियों के लिये श्रेणी II सेवा में पदोन्नति हेतु आरक्षण

4605. **श्री पी० गंगादेव :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में ए० एम० आई० ई० डिग्रीधारी श्रेणी III के कर्मचारियों के लिये श्रेणी II सेवा में पदोन्नतियों के लिये कोई कोटा आरक्षित है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जी नहीं । लेकिन उन स्थायी कर्मचारियों को जो इंजीनियरी की डिग्री रखते हों और श्रेणी—3 में तीन वर्ष तक सेवा कर चुके हों, श्रेणी—2 की सेवा में पदोन्नति के लिए प्रवरण में बैठने का अवसर दिया जाता है ।

न्यु बांगेइगांव से फरक्का तक चलने वाली रेलगाड़ियों के साथ एक अतिरिक्त डिब्बे के जोड़ने के बारे में अभ्यावेदन

4606. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये कूचबिहार स्टेशन से चढ़ने वाले तथा वहां उतरने वाले यात्रियों के लिये न्यु बांगईगांव तथा फरक्का के बीच बड़ी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के साथ एक-एक अतिरिक्त डिब्बा जोड़ने के लिये उनके मन्त्रालय को कोई अभ्यावेदन पेश किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) न्यू कूच बिहार और खजूरियाघाट के बीच 6 डाउन/5 अप एक्सप्रेस गाड़ियों में, जो कि खजूरियाघाट को न्यू कूच बिहार से मिलाने वाली अकेली गाड़ियां हैं, खण्डीय सवारी डिब्बा चलाना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इन गाड़ियों में गुंजाइश नहीं है और न्यू कूच बिहार स्टेशन पर सवारी डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाएं भी नहीं हैं । न्यू कूच बिहार से 6 डाउन एक्सप्रेस द्वारा खजूरियाघाट को तथा फरक्का के रास्ते पूर्व रेलवे के स्टेशनों को जाने वाले थ्रू यात्रियों की सुविधा के लिए न्यू कूचबिहार स्टेशन को कुछ शायिकाओं/सीटों का कोटा आबंटित है ।

करीमगंज से कूच बिहार तथा अन्य स्थानों को (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिये माल डिब्बों की कमी

4607. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा माल डिब्बों की कम सप्लाई के कारण स्थानीय व्यापारियों को विशेषत: करीमगंज से कूच-बिहार तथा कूच-बिहार से अन्य स्थानों को माल बुक कराने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को रेलवे कैसे सुधारना चाहती है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के करीमगंज और कूच बिहार स्टेशनों से यातायात के लदान में कोई कठिनाई नहीं रही है। अप्रैल से जून, 1971 तक की अवधि में करीमगंज और कूच बिहार से क्रमश: 22 और 188 माल डिब्बों का लदान किया गया और जून, 1971 के अन्त में कूच बिहार में 26-6-1971 को दर्ज केवल 6 मांगपत्र बकाया पड़े थे और करीमगंज में कोई मांगपत्र बकाया नहीं पड़ा था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कूचबिहार से सियालदह तक बैठने तथा सोने के आरक्षित स्थान

4608. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के नये कूचबिहार स्टेशन के लिये सभी श्रेणियों के बैठने तथा सोने के आरक्षित स्थानों की संख्या में वृद्धि करने के लिये बहुत से अभ्यावेदन दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय बैठने तथा सोने के वर्तमान आरक्षित स्थानों को दुगना करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ग) क्या अधिकांशत: सोने तथा बैठने के स्थान फरक्का तक के लिए आरक्षित किये जाते हैं सियालदह तक के लिये नहीं ; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार बैठने तथा सोने के स्थानों को कूचबिहार से सियालदह तक आरक्षित करने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) इस प्रकार के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सियालदह/हावड़ा तक सीधे आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए न्यू कूच-बिहार स्टेशन को आरक्षित सीटों और शायिकाओं का पर्याप्त कोटा पहले से आंबटित है।

कांगसाबाटी सिंचाई परियोजना पश्चिम बंगाल की प्रगति

4609. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में कांगसाबाटी सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य कितना पीछे चल रहा है ; और

(ग) क्या इस देरी के कारण परियोजना का परिव्यय बढ़ गया है, यदि हां, तो कितना ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कांसवती परियोजना को क्रियान्विति के लिये 1956 में हाथ में लिया गया था और इसका चतुर्थ योजना के अंत तक पूर्ण होना अनुसूचित था। परन्तु अपर्याप्त धनराशि की वजह से, परियोजना के पूर्ण होने में एक या दो वर्ष की और देरी हो सकती है।

(ग) जी, हां। अतिरिक्त परिव्यय का मूल्यांकन करना संभव नहीं है क्योंकि बढ़ोत्तरियां मजदूरों, सामग्री और सिब्बंदी के कारण होंगी।

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी (इलाहाबाद) में निर्माण कार्य

4610. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड नैनी (इलाहाबाद) का सिविल निर्माण कार्य कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है ;

(ख) क्या उक्त फर्म यह सारा निर्माण कार्य स्वयं ही कर रही है अथवा इसने गैर-सरकारी ठेकेदारों को भी उप-ठेके दिये हैं ; और

(ग) उक्त फर्म ने कितने श्रमिक काम पर लगाये हैं तथा उन्हें कितनी दैनिक मजूरी दी जाती है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संयंत्र के कार्यक्रम के अतिरिक्त सारा भवन निर्माण कार्यक्रम इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है। संयंत्र कार्यालय का काम मार्च/अप्रैल 1972 तक पूरा हो जाने की आशा हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अशिक्षित, अर्धशिक्षित तथा शिक्षित कर्मचारियों की कुल संख्या 186 है। अशिक्षित कर्मचारियों को प्रतिदिन सवा तीन रुपये से साढ़े तीन रुपये तक दिये जा रहे हैं, जबकि अर्ध-शिक्षित/शिक्षित कारीगरों को प्रतिदिन 5.50 रुपये से लेकर 12.00 रुपये तक दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, फुटकर कारीगरों की औसत संख्या 20 है।

भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी (इलाहाबाद) में काम कर रहे कर्मचारी

4611. **श्री प्रताप सिंह नेगी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर लिमिटेड में कितने व्यक्ति काम पर लगाए गए हैं ; और

(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) निन्यानवे ।

(ख) नौ प्रतिशत ।

विज्ञापन के क्षेत्र में एकाधिकार गृह

4612. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन वाणिज्यिक विज्ञापन एजेन्सियों के क्या नाम हैं जिनका स्वामित्व/नियंत्रण 20 सबसे बड़े व्यापार गृहों में से किसी एक के हाथ में है ;

(ख) क्या उक्त एजेन्सियों को अनेक सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से निरन्तर संरक्षण प्राप्त हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उन सरकारी कम्पनियों के क्या नाम हैं जो अपना विज्ञापन तथा बिक्री संवर्द्धन कार्य इन एजेन्सियों से कराते हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार, विज्ञापन के क्षेत्र में, इन एकाधिकार गृहों के प्रभाव में वृद्धि पर रोक लगाने का है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बड़े व्यापार गृहों में इंजीनियरिंग सलाहकार फर्में

4613. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े व्यापार गृहों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी स्वयं की इंजीनियरिंग सलाहकार फर्में खोल रखी हैं ;

(ख) क्या यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सलाहकार स्वतंत्र होने चाहियें ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसे सलाहकारों को कोई भी सरकारी क्षेत्र की परियोजना न सौंपने का निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कई बड़े व्यापार गृहों ने जैसे किर्लोस्कर समूह, साराभाई, टाटा, यूनियन कारबाइड आदि ने अपनी स्वयं की इंजीनियरिंग सलाहकार सेवाएं स्थापित की हुई हैं ।

(ख) विकास की वर्तमान स्थिति में दोनों प्रकार परामर्शों अर्थात् स्वतंत्र और संयुक्त को देश में विकसित करने के लिये अनुमति दी हुई है तथापि स्वतंत्र परामर्श इंजीनियर पनपेंगे और महत्व प्राप्त करेंगे ।

(ग) सामान्यतः सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को सरकारी क्षेत्र के स्वतंत्र परामर्शदाताओं को सौंपा जाता है ।

हुगली और कारवाड के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने हेतु दी गई प्राथमिकता

4614. **श्री बाल कृष्ण वेंकन्ना नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में भारतीय रेलवे के तकनीकी सम्मान्यता सर्वेक्षण दल लाइनों का अधिकतम, मध्यम कम, और असम्भावित के आधार पर निर्धारण करते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो निवेश पर अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से योजना में सीमित साधन किस आधार पर रखे गये हैं ; और

(ग) हुगली कारवाड रेल सम्पर्क की श्रेणी एवं प्राथमिकता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं । सर्वेक्षणों के परिणाम के आधार पर नयी लाइनों के प्रस्तावों को अलाभप्रद अथवा लाभप्रद, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

(ख) जब तक कि रक्षा अथवा सर्वोच्च अग्रता वाले विकास-कार्य आदि अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण कारण न हों, तब तक सामान्यतः केवल लाभप्रद लाइनों का निर्माण-कार्य ही शुरू किया जाता है बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

(ग) हुगली कारवाड़ रेल सम्पर्क के लिए हाल ही में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी हैं । सर्वेक्षण के परिणाम के आधार पर ही लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायगा ।

Electrification of Bundi Road Railway Station

4615. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether electric line is provided by Government upto Bundi Road Railway Station, which is situated near Kotah Railway Station ;

(b) if so, the reasons for which the said Railway Station has not been electrified ; and

(c) the time by which the said Railway Station would be Electrified ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) and (c). Bundi Road Station could not be electrified so far, as the service connection charges demanded by the Rajasthan Electricity Board were exorbitant. The Rajasthan State Electricity Board have now, after negotiations, reduced the service connection charges to a reasonable limit and the Station is likely to be electrified by March'72.

Report regarding overloading of stone in Railway wagons at Kotah Station

4616. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a few days back, the Vigilance Inspector had submitted a 42-page report in regard to overloading of the stone wagons at Kotah Station ; and

(b) if so, the action being taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) A report dated 20.5.71 regarding overloading of stone wagons from some Stations on the Kota Division of the Western Railway, has been submitted by a Vigilance Inspector of the Railway. The report is in 22 pages.

(b) Steps are being taken to ensure weighment at weighbridge stations of the wagons loaded with stone and recovery of under-charges wherever due.

Cooperative Societies of Vendors and Vending and Catering Contractors on Railways

4617. **Shri Genda Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cooperative societies of vendors operating on the Railways in the country ; and

(b) the number of individual vending and catering contractors on the Railways ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) 33.

(b) 6,201.

केरल में इडिक्की पुर्नविलोकन बोर्ड

4618. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी केरल में 14 मई, 1971 को हुई इडिक्की रिव्यू बोर्ड की बैठक के बारे में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक सदस्य के साथ बातचीत हुई थी और राज्य में तथा इडमलयार परियोजना के सम्बन्ध में नहर-प्रणाली के बारे में अग्रेतर जांच पड़ताल सम्बन्धी चर्चा की गई थी ; और

(ख) क्या जांच पड़ताल कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने, जब वे केरल में 14-5-71 को हुई इडिक्की पुनरीक्षण बोर्ड की बैठक में भाग लेने गए थे तो राज्य के अधिकारियों के साथ एडमालायर परियोजना के बारे में विचार-विमर्श किया था और परियोजना की लागत में कमी करने के उद्देश्य से परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई नहर प्रणाली के आगे अनुसंधान के बारे में सुझाव दिया था। राज्य सरकार द्वारा पहले से ही आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

तिरुपति स्टेशन, (दक्षिण रेलवे) में प्लेटफार्म का निर्माण

4619. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में तिरुपति में बड़ी लाइन पर प्लेटफार्म बनाने की स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य को कब तक कार्य-रूप दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). तिरुपति पूर्व स्टेशन पर बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिये पटरी की ऊंचाई वाला एक प्लेटफार्म पहले से ही मौजूद है। इसे ऊंची सतह का बनाने के काम की स्वीकृति दे दी गयी है। यह काम शीघ्र ही शुरू किया जायेगा और आशा है चालू वर्ष में पूरा हो जायेगा।

खट्टे नींबू आदि (लाइम फ्रूट्स) फलों की परिवहन सुविधाओं के सम्बन्ध में नेल्लोर जिले के वेंकटगिरि नगर के व्यापारियों से अभ्यावेदन

4620. **श्री टी० बालकृष्णैया** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला नेल्लोर (आंध्र प्रदेश) में वेंकटगिरि नगर के व्यापारियों से खट्टे नींबू आदि फलों के लिये पर्याप्त सुविधा प्राप्त करने में सामने आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो खट्टे नींबू आदि(लाइम फ्रूट्स) बेचने वालों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) व्यंकटगिरि पर होने वाले खट्टे नींबू के लदान का कोटा 14-4-1971 से 100 बोरी से बढ़ाकर 150 बोरी प्रतिदिन कर दिया गया है।

रेनीगुंटा के निकट रेलवे फाटक पर उपरि-पुल

4621. **श्री बालकृष्णैया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तिरुपति नगर के लोगों ने रेनीगुंटा-त्रिचूर जाने वाली रेल लाइन के फाटक पर तीर्थ यात्रियों तथा आम लोगों का अत्यधिक आवागमन रहने के कारण एक उपरि-पुल बनाने के लिये रेल अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) तिरुपति पूर्व स्टेशन के पास स्थित समपार के बदले एक सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार के अनुरोध पर दक्षिण रेलवे के 1967-68 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को छोड़ दिया। रेलवे द्वारा

आगे की कार्रवाई तभी प्रारम्भ की जायेगी जब वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव मिलने के साथ-साथ सड़क प्राधिकरण के हिस्से का खर्च वहन करने का वचन भी प्राप्त हो जाएगा।

Floods in Badayun U. P. Caused by Breach of Dam on Ganga River

4622. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the Dam on the Ganga River in Badayun District of Uttar Pradesh has breached and hundreds of families rendered homeless by floods as a result thereof; and

(b) if so, the scheme proposed to be formulated by Government to repair the said dam ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b). The Uttar Pradesh Government have reported that there has been no breach so far in the Ganga Mahewa Bund in Badaun District. However a spill of the Ganga is flowing very close to the bund eroding a part of the bund in a length of about 150 metres. The State Government had proposed to construct a retired bund in the affected reach but due to opposition by the local people, this had to be given up. The State Government have, therefore, alerted the people in the area of the possibility of a breach which may cause shallow water flooding for short duration.

भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित गोष्ठियां और सम्मेलन

4623. **श्री एम० एम० हाशिम :** क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विधि संस्थान द्वारा गत तीन वर्षों में कितनी गोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित किये गये तथा उनमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ख) संस्था के नियंत्रण पर कितने ख्याति प्राप्त विदेशी विधि-वेत्ताओं ने भाषण दिये और भाषण के विषय क्या थे ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) 1968 की जुलाई 1 से 1971 के जून 30 तक की अवधि में भारतीय विधि संस्थान ने निम्नलिखित विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया :—

1. 1969 के मार्च में, "प्राइवेट उद्यमों का सरकारी विनियमन"।
2. 1969 की मई में, "अपकृत्य विधि"।
3. 1969 की दिसम्बर में, "तुलनात्मक विधि"।
4. 1970 की अप्रैल में, "भारत में केन्द्र तथा राज्यों के बीच संबंध"।
5. 1970 की मई में, "कम्पनी विधि"।
6. 1971 की फरवरी 26 से 1971 की फरवरी 28 तक भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट संस्थान के सहयोग से आयोजित, "कम्पनी विधि, एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार पद्धतियां"।
7. 1971 की अप्रैल 24 से 1971 की अप्रैल 26 तक आयोजित, "भारत में विधि और अल्पसंख्यक"।

8. 1971 की मई 10 से 1971 की मई 15 तक आयोजित, "श्रम विधि"।

(ख) इसी अवधि में निम्नलिखित विधिवेत्ताओं ने भाषण दिए :—

नाम	विषय
1. श्री सी० क्लाइड फरगुसन डीन, हावर्ड ला स्कूल, सं० रा० अ०।	"संयुक्त राज्य में सिविल अधिकार विधान," 31 अगस्त, 1968
2. प्रो० जरोमी हाल, इंडियाना ला० स्कूल, सं० रा० अ०	"दण्ड विधि का विज्ञान और नैतिकता," 4 सितम्बर, 1968.
3 प्रो० रिचर्ड डी० श्वार्ट्ज, प्राध्यापक समाजशास्त्र, नार्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय, सं० रा० अ०।	"संयुक्त राज्य में विधि समाजशास्त्र," 10 दिसम्बर, 1968.
4. राइट आनरेबुल लार्ड डेनिंग, मास्टर आफ दि रोल्स।	'हमारे युग में विधि और जीवन," 9 जनवरी. 1969.
5. राइट आनरेबुल लार्ड जस्टिस जान पासमोर वाइडगेरी, ओ० बी० ई० टी० डी०,	"यूनाइटेड किंगडम में विधि विषयक सहायता," 8 जनवरी, 1969.
6. राइट आनरेबुल सरफ्रेड्रिक एलविन जोन्स, क्वीन्स काउन्सेल, एम० पी० महान्यायवादी, यू० के०।	"इंगलण्ड में विधि सुधार," 13 जनवरी, 1969.
7. श्री० विलियम फेलडसमैन, सालिसिटर, नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड, सं० रा० अ०।	"सामूहिक सौदाकारी के अनिवार्य विषय," 24 जनवरी, 1969.
8. श्री चार्ल्स एच० लीब अमरीकी वकील।	"अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार और उसकी विवक्षाएं," 20 फरवरी, 1969.
9. डा० के० एच० होफिग, न्यायाधीश, ड्यूसेलडार्फ, जर्मनी।	"जर्मन न्यायाधीश की हैसियत," 6 मार्च, 1969.
10. श्री बरनर्ड जी० सेगल, अध्यक्ष अमरीकन बार एसोसिएशन।	"अमरीकन ला इंस्टीट्यूट", 2 सितम्बर, 1969.
11. जस्टिस मोती टीकाराम, चीफ जस्टिस, फीजी।	"फीजी में विधिक और न्यायिक व्यवस्था," 30 सितम्बर, 1969.

12.	श्री हटले, क्वींस काउंसेल लेक्चरर, सिडनी ला स्कूल।	"कामनवेल्थ औद्योगिक न्यायालय," 15 अक्तूबर, 1969.
13.	प्रो० सी० जे० हैमसन, प्राध्यापक, तुलनात्मक विधि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय।	"अपकृत्य में सरकार का दायित्व, विशेष रूप से फ्रांस के संदर्भ में", 1 जनवरी, 1970.
14.	प्रो० डा० वालटर रूडाल्फ, बोकम विश्वविद्यालय जर्मनी।	"जर्मनी में फेडरलिज्म की वर्तमान समस्याएं," 19 फरवरी, 1970.
15	श्री मार्टिन एनल्स, महासचिव, ऐमनेस्टी इण्टर्नेशनल।	"एमनेस्टी इण्टर्नेशनल और उसके उद्देश्य," 10 अगस्त, 1970.
16.	कु० ग्रेस डीकाक्स, अमरीकी वकील।	"अमरीकी न्याय-प्रणाली में नारियों की भूमिका," 12 अगस्त, 1970.

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विदेशी विधिवेत्ताओं का भी भारतीय विधि संस्थान में आगमन हुआ तथा उन्होंने संस्थान के अनुसंधान कर्मचारिवृन्द के सामने निम्न प्रकार भाषण दिए :–

1. 1970 के अगस्त 26 को प्रो० ई० आई० साइक्स, प्राध्यापक, विधि, मेलबोर्न विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया।
2. 1970 के नवम्बर, 7 को प्रो० सी० सिमंद्रिरास, प्राध्यापक, सिविल विधि, आरिस्टोटिलियन विश्वविद्यालय, थेसालोनिकी, यूनान।
3. 1970 के नवम्बर 26 को प्रो० आई० आई० लूकाशुक, अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय विधि विभाग, कीव राज्य विश्वविद्यालय सो० स० गणराज्य संघ।

Non-Payment of Overtime Allowance to Assistant Station Masters and Levermen Allahabad Division (Northern Railway)

4624. **Shri Jagannathrao Joshi :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Assistant Station Masters and Levermen, working in Allahabad Division, who have not been paid their Overtime Allowance from 1968 and 1969 respectively ;

(b) the amount of Overtime Allowance to be paid to them ;

(c) the reasons for delay in payment of Overtime Allowance to them and the steps being taken to check such delays ; and

(d) the time by which the said Assistant Station Masters and Levermen would be paid their overtime allowance ?

The Minister for Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा व्यय की गई राशि

4625. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण पर अब तक कितनी राशि खर्च कर दी गई है ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां बाढ़ नियंत्रण ढांचे अब भी विद्यमान हैं और उनकी वर्तमान कीमत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों पर ब्रह्मपुत्र नियन्त्रण आयोग द्वारा जून, 1971 के अंत तक 102 लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्यों की और उन कार्यों की जो कार्यान्वयनाधीन हैं कुल लागत 5.05 करोड़ रुपये है। मुख्य स्कीमें नीचे दी जाती हैं :—

	लाख रुपये में
1. देसंगमुख से दिखोमुख तक ब्रह्मपुत्र के डाइकों को पीछे हटाकर बनाना।	88.1
2. लेही में ब्रह्मपुत्र के डाइकों को पीछे हटा कर बनाना।	24.4
3. धुबरी उप-मण्डल में झोगरुचार पर रिंग बंध का निर्माण।	27.5
4. खरमुजा से फकीरगजं तक ब्रह्मपुत्र के डाइकों को पीछे हटाकर बनाना।	18.2
5. माइजान ठोकर के प्रतिप्रवाह से डिब्रुगढ़ सुरक्षा कार्यों का विस्तार।	23.1
6. पगलाडिया नदी के कटाव से किनारों की सुरक्षा।	41.5
7. अलिकाश में ब्रह्मपुत्र के डाइक की सुरक्षा।	34.1
8. धुबरी नगर सुरक्षा कार्य।	152.1

1954 से लेकर मार्च 1971 तक ब्रह्मपुत्र घाटी में मुख्य ब्रह्मपुत्र पर 771 किलोमीटर लम्बे तटबंधों, उसकी सहायक नदियों पर 2030 किलोमीटर लम्बे तटबंधों, 26 नगर सुरक्षा कार्यों ; जिसमें डिबरुगढ़, ग्वालापाड़ा और नवगांव सम्मिलित हैं, और 774 किलोमीटर लम्बी निकास नालियों का निर्माण हो चुका है। इन कार्यों पर कुल व्यय लगभग 32 करोड़ रुपये हुआ है।

नये रेलवे स्टेशन खोलना

4626. **श्री महेन्द्र सिंह गिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 से अब तक प्रत्येक रेलवे क्षेत्र में कुल कितने-कितने नये स्टेशन खोले गये हैं ; और

(ख) वर्ष 1968 से अब तक जिला फिरोजपुर (पंजाब) में कुल कितने नये रेल स्टेशन खोले गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 1-1-68 से 31-5-71 की अवधि में प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे में जितने नये रेलवे स्टेशन खोले गये हैं उनकी कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

रेलवे का नाम	खोले गये स्टेशनों की कुल संख्या
1. मध्य रेलवे	7
2. पूर्व रेलवे	9
3. उत्तर रेलवे	46
4. पूर्वोत्तर रेलवे	17
5. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	7
6. दक्षिण रेलवे	32
7. दक्षिण मध्य रेलवे	14
8. दक्षिण पूर्व रेलवे	15
9. पश्चिम रेलवे	20
जोड़	167

(ख) 1-1-68 से 31-5-71 की अवधि में पंजाब में फिरोजपुर जिले में खोले गये नये रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 2 है ।

मोगा पंजाब में ऊपरी पुल

4627. **श्री महेन्द्र सिंह गिल** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोगा, जिला फिरोजपुर (पंजाब) में सरकार का विचार एक ऊपरी पुल का निर्माण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) और (ख). जी हां । मोगा के वर्तमान समपार के बदले एक ऊपरी अथवा निचला पुल बनाने के लिए राज्य सरकार से एक अन्तिम प्रस्ताव मिला है । इस प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है ।

तस्कर व्यापारियों द्वारा दिल्ली-बम्बई जनता एक्सप्रेस को बोटाद स्टेशन पर रोका जाना

4628. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर व्यापारियों के एक गिरोह ने दिल्ली—बम्बई जनता एक्सप्रेस को बम्बई के निकट बोटाद स्टेशन पर रोका था और क्या रेल ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे चोटें पहुंचाई थीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन ने इस सम्पूर्ण घटना के बारे में जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हां । तस्कर व्यापारियों ने इंजन के कर्मीदल के साथ हाथापाई नहीं की थी लेकिन झगड़ा करने वाले दो दलों के एक दूसरे पर पत्थर फेंकने से ड्राइवर और फायर मैन को मामूली चोटें आयी थीं ।

(ख) जी नहीं । 6-6-1971 को बलसाड़ की सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 332, 337 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 108, 127 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच कर रही है । अब तक एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) रेल प्रशासन द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है क्योंकि यह घटना सरकारी रेलवे पुलिस के क्षेत्राधिकार में हुई जो इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है ।

भवानी मंडी, राजस्थान का सिविल अधिकार क्षेत्र सुरेन्द्रनगर (गुजरात) में दिखाया जाना

4629. **श्री लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे सम्मेलन एसोसियेशन की भारत में रेलवे स्टेशनों की वर्णानुक्रम सूची में भवानी मण्डी का सिविल अधिकार क्षेत्र सुरेन्द्रनगर (गुजरात) में दिखाया गया है ;

(ख) क्या भावनी मंडी गुजरात में नहीं है, राजस्थान में है ;

(ग) क्या रेलवे अधिकारियों की असावधानी के कारण बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अब तक किसी भी पेचीदगी का पता नहीं चला है ।

(घ) भूल सुधारने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं ।

Stoppage for Southern Express and Punjab Mail at Morena Junction

4630. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Southern Express and the Punjab Mail running between Delhi and Madras and Delhi and Bombay respectively do not stop at Morena Railway Junction ; and

(b) if so, whether Government propose to have a halt of the said trains at Morena junction for the convenience of the people of that area ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) No, as the existing 5 trains each way, including 3 pairs of Express trains, stopping at Morena station are considered adequate for the present level of traffic offering there.

Income from Passenger and Goods Traffic at Gwalior, Morena, Bhind and Guna Stations (Madhya Pradesh)

4631. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the income earned by Government from passenger and goods traffic at Gwalior, Morena, Bhind and Guna Railway Stations in Madhya Pradesh during the financial years 1969-70 and 1970-71 ; and

(b) the total expenditure incurred by Government on providing facilities to the passengers and on other items at the aforesaid Railway Stations during the said financial years ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) The earnings derived from passenger and goods traffic at Gwalior, Morena, Bhind and Guna stations during the years 1969-70 and 1970-71 are given below :

Name of stations	1969-70		1970-71	
	Passenger	Goods	Passenger	Goods
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Gwalior	65,16,678	53,83,562	67,40,625	47,48,391
Morena	6,13,299	11,70,950	6,83,695	9,10,136
Bhind	2,04,576	7,71,750	2,17,922	6,96,938
Guna	5,67,952	17,22,448	6,65,176	19,42,792

(b) The total expenditure incurred by the Government on providing facilities to the passengers and on other items at the aforesaid stations was as under :

	1969-70	1970-71
	Rs.	Rs.
Gwalior	7,093	—
Morena	295	391
Bhind	—	
Guna	1,000	10,000

Railway Lines Running at Loss

4632. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number and the names of the Railway lines of Indian Railways (metre gauge and branch lines) running at loss at present ;

(b) the total amount of loss suffered by Government on these Railway lines during the financial years 1969-70 and 1970-71 ;

(c) the estimated amount of loss likely to be suffered by Government during the financial year 1971-72 ; and

(d) the action proposed to be taken by Government in future in this regard ?

The Minister for Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) As per our present reckoning the number of branch lines running at loss is 75. A list containing the names of these lines is attached. **[Placed in the Library. See. No. LT—651/71].**

(b) The loss was Rs. 7 crores in 1969-70. The accounts for 1970-71 are not yet finally closed. The loss for this year is estimated to be generally more than in the previous year.

(c) Approximately Rs. 8 crores.

(d) Various measures are taken from time to time to minimise loss in working of these lines. These include strict control on the number of staff and train services, provision of cheap improvised goods sheds and approach roads, provision of better connections with main line trains etc. with a view to attract more traffic, prevention of ticketless travelling and other leakage of revenue. Such measures will be continued in future also.

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग

4633. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिये क्या मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये हैं ; और

(ख) क्या उक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों को लाइसेंस समिति को भविष्य में उनके प्रयोग के लिये दे दिया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुये जिलों तथा क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिये विशेष सुविधाओं के रूप में निश्चित मार्गदर्शी सिद्धांतों को नीचे दिया जा रहा है ।

(1) इन क्षेत्रों में स्थापना करने के आशय-पत्रों, औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी । इस बात को लाइसेंस समिति के मार्गदर्शी सिद्धान्त में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(2) इन जिलों तथा क्षेत्रों में वित्तीय तथा ऋण संस्थाओं द्वारा रियायती दरों पर उद्योगों को धन स्वीकृत किया जायेगा ।

(3) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के प्रत्येक दो चुने हुये जिलों के और प्रत्येक अन्य राज्यों तथा संघ शासित राज्यों के एक जिले के ऐसे नये एककों को जिनका निर्धारित पूंजी निवेश 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है का दसवां हिस्सा केन्द्र द्वारा सीधी सहायता अथवा आर्थिक सहायता के रूप में दिया जायेगा ।

(4) इन पिछड़े क्षेत्रों में से अनेक क्षेत्रों में औद्योगिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेष सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ।

(5) राज्यों तथा संघ शासित राज्यों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकासार्थ पहले से ही दिये जा रहे प्रोत्साहनों को उन चुने हुए जिलों में बढ़ा दिया जायेगा जिन्हें वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर ऋण मिल सकता है ।

(6) राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों को अपने प्रयास केवल मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं जैसे बिजली, परिवहन, तक ही केन्द्रित नहीं करने चाहिए बल्कि रियायती वित्त के

लिए चुने हुए जिलों में अन्य सुविधायें जैसे रेलवे साइडिंग, औद्योगिक श्रमिकों के आवास विकसित औद्योगिक स्थान, चिकित्सालय अथवा अस्पताल, प्रीशिक्षण केन्द्र, बैंक एवं अन्य सुविधाओं आदि की ओर भी ध्यान देना चाहिए ; और

(7) राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रों को तथा वित्तीय संस्थाओं को उद्यमियों द्वारा अपेक्षित ऋण सुविधाओं के लिए आये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए तकनीकी तथा अन्य जानकारी तुरन्त प्राप्त करने के लिए विशेष विभाग का गठन करना चाहिए ।

इन सबके अलावा अधिक दूरी वाले क्षेत्रों को परिवहन सहायता देने का प्रश्न भी विचाराधीन है ।

Scheme for quick disposal of cases pending in Courts

4634. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Law and Justice** be pleased to state :

(a) whether it takes a long time to decide the criminal or civil cases in the High Courts and in the Supreme Court ; and

(b) if so, the outlines of the scheme being formulated by Government to effect reforms in this matter ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Justice (**Shri Nitiraj Singh Chaudhary**) : (a) It is true that certain types of civil and criminal cases take a long time to be decided depending upon their complexity and the state of work in the Court. Sometimes the delay in disposal is also due to the parties themselves.

(b) The Judge strength of each High Court and the Supreme Court is reviewed and refixed from time to time taking into account the institutions and disposals and the arrears to be cleared. To the extent the delay in disposal is attributable to procedural laws, steps are being taken to amend the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure in the light of the recommendations made by the Law Commission. A Committee of Judges which is presently looking into the problem of arrears in the High Courts is also expected to suggest such changes in the procedures and practice in the High Courts as may be necessary for the speedy disposal of cases.

New Industries in Champaran District of North Bihar

4635. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Champaran District in North Bihar is a very backward area and the per capita income in this district is very low ; and

(b) if so, the names of industries proposed to be set up in the said district for the development of this area ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (**Shri Siddheshwar Prasad**) : (a) and (b). Taking into account the per capita income and other factors, Government have selected certain districts for grant of concessional finance by financial institutions for starting industries there. Champaran, in the State of Bihar, is one of the districts selected for the purpose. The following small scale industries in the private sector are being encouraged by the State Directorate of Industries in the Champaran District :

(i) Saltpetre Refinery.

(ii) Straw Board and Card Board.

(iii) Insecticide and Pesticides Formulation.

(iv) Rerolling Mills.

(v) Plastic Goods.

(vi) Simple Pharmaceuticals.

(vii) Ferrous and Non-ferrous Castings.

(viii) Bonemeals.

(ix) Mixed Fertilize.

(x) Soap.

(xi) Paint and Varnish.

(xii) G. I. Pipe.

(xiii) Power Looms.

(xiv) Cycle Parts.

(xv) General Fabrication.

(xvi) Mechanised Bricks.

(xvii) P. S. C. Poles.

(xviii) Sawing of Wood.

(xix) Bucket.

(xx) Optical Lenses and Frames.

(xxi) Book Binding and Exercise Books.

(xxii) Modern Rice Mills.

(xxiii) Khari Salt Refinery.

(xxiv) Matchbox Industry.

The concessions and the facilities to be allowed by the financial institutions will help to accelerate the pace of industrial development in this district and it is hoped that entrepreneurs would take full benefit of the various concessions.

Change of name of Narhan Station to Singhia Ghat Station on N. E. Railway

4636. **Shri Ram Bhagat Paswan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the public have been requesting for changing the name of Narhan station on North Eastern Railway to Singhia Ghat station ;

(b) whether Government are aware that the said station is situated on Singhia Ghat and Narhan is seven miles away from it ;

(c) whether Government are also aware that 300 acres of the land belonging to the Singhia Ghat is given to it ; and

(d) whether Government propose to change the name of the said station from Narhan to Singhia Ghat, and if so, by what time ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) One representation from the public headed by the Mukhia of Gram Panchayat, Rajsingiha-Buzurg was received in April last requesting for a change in the name of the Railway station.

(b) and (c). Narhan station is situated in village Singiha Buzurg and not in Singiha Ghat. The entire area of the station yard measuring 18.89 acres falls in village Singiha-Buzurg.

(d) No.

रेलों के विकास में केरल का भाग

4637. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन योजनाओं के दौरान रेलवे पर किये गये व्यय में से केरल राज्य को वहां की जनता के अनुपात में उचित भाग नहीं मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) रेलों द्वारा शुरू किये गये निर्माण कार्य और उन पर किया गया खर्च यातायात और परिचालन की आवश्यकताओं पर आधारित होता है जो किसी निर्माण कार्य को शुरू करने की मुख्य कसौटी है। ऐसा न तो राज्य के आधार पर किया जाता है, न जनसंख्या के आधार पर। इस दृष्टिकोण से देखने पर यह मालूम होगा कि भारत के किसी भी भाग के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सार्वजनिक क्षेत्रों में सिगरेटों के उत्पादन हेतु लाइसेंस देना

4638. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट उत्पादन के लिये तीन लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) क्या देश तथा विदेशों में सिगरेटों की मांग में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के उस उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करने के क्या कारण हैं, जिसका संचालन गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक सफलता-पूर्वक कर रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 450 करोड़ सिग्रेटों का प्रतिवर्ष प्रत्येक नए उपक्रम में उत्पादन करने हेतु नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, जम्मू तथा काश्मीर, हरियाणा तथा केरल राज्य औद्योगिक विकास निगमों को आशय पत्र स्वीकृत किए गए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे कर्मचारियों को मुआवजे के दावों की राशि का वितरण

4639. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में 14 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दावों के भुगतान से बचने वाली राशि कर्मचारियों में वितरित करने की पेशकश की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रोत्साहन योजना के लिये बनाई गई योजना का स्वरूप क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 17.6.71 को राज्य सभा में रेल मंत्री ने अपने भाषण में ट्रेड यूनियनों के सम्मुख इस आशय का एक प्रस्ताव रखा था।

(ख) यह योजना ट्रेड यूनियनों के परामर्श से बनायी जानी है, जिसका आधार यह होगा कि वे चोरी, क्षति और उठाईगीरी रोकने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें।

लोहे की छड़ों के लिए केरल सरकार द्वारा किया गया अनुरोध

4640. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य बिजली बोर्ड के उपयोग के लिए तत्काल लोहे की छड़ें देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). इस्पात की सभी दुर्लभ कोटियों जिसमें लोहे की छड़ें (एम० एस० राऊंड्स) सम्मिलित हैं, के लिये अग्रतायें के वास्ते केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के जरिये प्रायोजित होती हैं और भारत सरकार द्वारा देशी उत्पादन से आवंटन किये जाते हैं। केरल राज्य बिजली बोर्ड को वरीयता के आधार पर 1435 मीट्रिक टन एम० एस० राऊंड्स पहले ही आवंटित किये जा चुके हैं ; इस मात्रा में से लगभग 460 मीट्रिक टन जून, 1971 से सितम्बर, 1971 की अवधि के लिये हैं। इसके अलावा, केरल राज्य बिजली बोर्ड की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बिलेट रि-रालर्स से सप्लाई के लिये 510 मीट्रिक टन आवंटित किये गये हैं।

इंडियन रेलवेज इंजीनियरिंग इंसपेक्टर्ज, एसोसियेशन का सम्मेलन

4641. **श्री जी० वेंकटास्वामी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेलवेज इंजीनियरिंग इंसपेक्टर्ज एसोसिएशन के हाल ही में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में सरकार से वेतन का पुनरीक्षण करने और सेवा की दशा में सुधार करने के लिये अनुरोध किया था ;

(ख) एसोसिएशन द्वारा की गई मांगों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एसोसिएशन की मांगें, वेतनमान, भण्डार के उत्तरदायित्व से मुक्ति कार्य-भार में कमी, स्थिरता, निष्पक्ष प्रवरण, स्थायीकरण, कुंजरू समिति और प्रशासन सुधार आयोग आदि की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित हैं। इन मांगों पर विचार किया जायेगा और उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

उत्तर रेलवे में 'ए' ग्रेड नर्सों के पदों का दर्जा घटाया जाना

4642. **श्री लीलाधर कटकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 'ए' ग्रेड नर्सों के पदों का दर्जा घटाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों में असन्तोष है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) 'ए' ग्रेड की नर्सों के तीन पदों का दर्जा अस्थायी तौर पर घटा कर 'बी' ग्रेड कर दिया गया है।

(ख) 'ए' ग्रेड की नर्स का पद वरिष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर भरा जाता है जिसके लिए 'बी' ग्रेड की नर्सों को उपयुक्तता परीक्षा पास करनी पड़ती है। उत्तर रेलवे की कुछ नर्सों ने, जिन्होंने 'ए' ग्रेड में पदोन्नति के लिए सफलता प्राप्त कर ली थी, पदोन्नति अस्वीकार कर दी क्योंकि उन्होंने अपनी वर्तमान जगहों से उन स्थानों के लिए, जहां खाली जगहें हुई थीं ; जाना पसन्द नहीं किया। अतः उपयुक्त नर्सों के उपलब्ध न होने के कारण, 'ए' ग्रेड की नर्सों के तीन पदों का दर्जा घटा कर 'बी' ग्रेड कर देना पड़ा। ज्योंही उपयुक्त नर्सें उपलब्ध हो जायेंगी, इन पदों का दर्जा बढ़ा दिया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

गोविन्दपुरी स्टेशन कानपुर, पर मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना

4643. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में गोबिन्दपुरी स्टेशन लोगों द्वारा बार-बार मांग करने पर स्थापित किया गया था ;

(ख) क्या दिल्ली से कानपुर और कानपुर से दिल्ली आने वाली कोई भी मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ी इस स्टेशन पर नहीं रुकती है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) यातायात की दृष्टि से औचित्य न होना। क्योंकि कानपुर, जहां सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं, इस स्टेशन से केवल 3 किलोमीटर दूर है।

कंक्रीट के स्लीपरों का उपयोग

4644. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाड़ियों की गति और बढ़ाने के लिये कंकरीट के स्लीपरों का उपयोग करने के लिये अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) भारतीय रेलों ने बड़ी लाइन के कुछ मार्गों पर कंक्रीट स्लीपर लगाने का विनिश्चय किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Requirement of Power in Madhya Pradesh

4645. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government conduct annual assessments in regard to the increasing requirement of power ;

(b) if so, whether the availability of power in Madhya Pradesh is sufficient to meet the requirement ; and

(c) if not, the steps taken by Government to increase the generation of power in that State ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) Yes, Sir. Annual assessments of power requirements in the vorious States and Union Territories are being conducted in consultation with the State Authorities by the Annual Power Survey Committees appointed by the Government of India.

(b) At present the power available in Madhya Pradesh is sufficient for meeting its requirements ; besides some power is being supplied by Madhya Pradesh to Rajasthan and Uttar Pradesh. However, by the end of 1973-74, some deficit is anticipated.

(c) To mitigate the above shortage of power, the extension of the Korba Thermal Power Station by 120 MW has been approved.

राजस्थान में उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के मीटर गेज सेक्शनों का नया जोन

4646. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में मीटर गेज सेक्शनों पर दोहरी प्रशासन व्यवस्था के कारण तालमेल नहीं है ; और माल के लाने ले जाने में रुकावटें आ रही हैं जिससे उस राज्य के औद्योगिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ख) क्या सरकार ने प्रशासन में निपुणता लाने तथा कार्य को सुचारुरूप से चलाने के लिये उत्तर तथा पश्चिम रेलवे के मीटर गेज सेक्शनों का एक जोन बनाने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) उत्तर और पश्चिम रेलों के मीटर लाइन के खंडों को मिलाकर एक जोन बनाने की वांछनीयता की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की गयी है और यह समझा जाता है कि इन दो जोनों के विभाजन की अभी जरूरत नहीं है।

Construction of Kunjeria Dam for Irrigation in Udaipur, Rajasthan

4647. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a scheme for constructing Kunjeria dam for providing irrigation facilities to thousands of acres of fertile land of Chari-ke-rail in Udaipur District in Rajasthan has been formulated ; and

(b) if so, when the said work will be undertaken and what will be the expenditure involved ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) No such scheme has been received from the Rajasthan Government.

(b) Does not arise.

Irrigation Facilities for Udaipur (Rajasthan)

4648. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether thousands of acres of cultivable land are lying unutilised in Udaipur District in Rajasthan for want of irrigation facilities and some schemes formulated to construct dams at certain places for irrgation purposes have since been cancelled ;

(b) if so, the arrangement made by Government for providing irrigation facilities for the said land ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Brij Nath Kureel) : (a) to (c). The Government of Rajasthan have indicated that no sanctioned scheme for construction of any irrigation dam in Udaipur district was cancelled or abandoned.

सियालदह और हावड़ा डिवीजन के लोको-कोयला ठेकेदारों के मजदूरों द्वारा हड़ताल

4649. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सियालदह और हावड़ा डिवीजन के लोको कोयला ठेकेदारों के कर्मचारियों ने 12 जून, 1971 को अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री के० हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य मांग यह है कि भारतीय रेलों पर कोयला और राख की उतराई-चढ़ाई के लिए ठेकेदारों द्वारा लगाये गये मजदूरों को नियमित रेल कर्मचारी माना जाय ।

(ग) भारतीय रेलों पर कोयला और राख की उतराई-चढ़ाई का काम बहुत पहले से ही ठेकेकार के मजदूरों को सौंपा जाता रहा है । यह काम उनसे लेकर विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत नियमित रेल कर्मचारियों से कराया जाय, यह बात केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय पर निर्भर करती है कि ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत उपयुक्त सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस प्रकार के काम के लिए ठेके पर श्रम को प्रतिषिद्ध किया जाय अथवा नहीं ।

उत्तर प्रदेश में चौथी योजना में लघु उद्योगों का विकास

4650. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले लघु उद्योगों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना भेजी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में लघु उद्योगों के विकास के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गैर-सरकारी और सरकारी परियोजनाओं में विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति

4651. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री गैर-सरकारी और सरकारी परियोजनाओं में विदेशी परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में 15 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2246 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन गैर-सरकारी और सरकारी फर्मों के नाम क्या हैं, जिनमें विदेशी परामर्शदाता इस समय काम कर रहे हैं ;

(ख) उन्हें प्रति मास कितना वेतन दिया जा रहा है ; और

(ग) वे किस-किस कार्य के विशेषज्ञ हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Conference of All India Railway Guards Council held at Agra

4652. **Shri Krishna Chandra Pandey** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Conference of All India Railway Guards Council held at Agra have made new suggestions for bringing about improvements in the working of the Railways ; and

(b) if so, the action being taken by Government thereon ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दक्षिण-पूर्व रेलवे में उड़िया कर्मचारी

4653. **श्री देवेन्द्र सतपथी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में कुल कितने आदमी काम कर रहे हैं ;

(ख) इनमें उड़िया कर्मचारियों की संख्या क्या है ; और

(ग) राज्य में रेलवे लाइनों के फैलाव को देखते हुए क्या उक्त रेलवे में उड़िया कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : 31-3-1970 को दक्षिण-पूर्व रेलवे में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 1,71,518 है ।

(ख) राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Bridge at Thana Bihpur Railway Station (North Eastern Railway)

4654. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide facilities to the passengers by constructing a crossing bridge at Bihpur Railway Station on North Eastern Railway or by extending the existing bridge there ; and

(b) if so, by what time ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) There is already a foot-over bridge connectiong main and island platforms. There is no proposal to provide a new foot-over bridge or to extend the existing one.

(b) Does not arise.

Ticket collectors of Mahadevpur Ghat and Barari Stations caught by Vigilance Inspector (North Eastern Railway)

4655. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Ticket Collectors posted at Mahadevpur Ghat and Barari Stations on North Eastern Railway demand 50 paise from each passenger to allow them to move to and from the steamer without charging for the same ;

(b) whether an Inspector of the Vigilance Department of Railways caught one of the Ticket collectors red-handed ; and

(c) if so, the steps taken to punish the employees found guilty ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b). Checks were made on 28.11.70 at Mahadeopur Ghat and on 12.5.71 at Barari, jointly by the Inspectors of the Vigilance Branch of the North Eastern Railway and the Special Police Eastablishment, Patna on the Steamer service operating between the two points. During these checks, instances of alleged collection of a sum of Rs. 0.50 p. per head from some of the passengers not in possession of valid authority for travel, by the Ticket Collector at Barari and Mahadeopur Ghat came to notice.

(c) The report in respect of the check done on 28.11.70 has been sent to the authority concerned for appropriate action under the Discipline and Appeal Rules against the Ticket Collector involved. Similar action is being taken in respect of the check made on 12.5.71.

Construction of waiting rooms at Narainpur Station on North Eastern Railway

4656. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct First and Second Class waiting rooms at Narainpur station on North Eastern Railway ; and

(b) if so, the time by which this work would be completed ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

Breach of Dam under Charge of Water-ways Department Katihar

4657. **Shri G. P. Yadav :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the dam under the charge of the Waterways Department in Katihar sub-Division in Purnea district in Bihar breached near Kant-nagar village due to the sudden floods in the Ganga river ;

(b) whether entire area has been submerged in water as the Reeng Dam has not been completed so far and standing crops of farmers have been destroyed as a result thereof ; and

(c) whether Government propose to formulate any scheme for the said area, and if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (c). The State Government have informed that the left embankment on the Ganga near Village Sawalia, in Katihar Sub-Division of Purnea District has been eroded. A ring bund has been constructed behind the eroded reach and at present there is no inundation of the area by the floods in the river. The State Government have also undertaken the construction of a retired embankment.

भीलवाड़ा (राजस्थान में) रेलवे स्टेशन के निकट उपरि पुल

4658. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन के निकट एक उपरि पुल बनाने की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) क्या मध्यावधि चुनाव के दौरान वहां शिलान्यास रखा गया था ; यदि हां, तो अब तक कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त उपरि पुल के निर्माण पर कुल कितना खर्च आयेगा और राजस्थान सरकार उसमें से कितना खर्च वहन करेगी ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) रेलवे ने किसी निर्माण कार्य की मंजूरी नहीं दी है ।

(ख) मालूम हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा नींव 21-6-1971 को डाली गयी है ।

(ग) योजना के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही सम्भावित खर्च और राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाली लागत के बारे में पता लग पायेगा ।

Shuttle Train between Ajmer and Bijainagar on Western Railway

4659. **Shri Hemendra Singh Banera :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a shuttle train is run between Ajmer and Bijainagar on the Western Railway ;

(b) if so, whether any scheme is under consideration to run the said train between Ajmer and Bhilwara ; and

(c) if so, the time by which the said scheme would be implemented ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) Yes.

(b) No. Neither is the extension justified by the present level of traffic nor is it operationally feassible to extend the train to Bhilwara.

(c) Does not arise.

Railway Line between Chittorgarh and Kotah

4660. **Shri Hemendra Singh Banera :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to lay a Railway line from Chittorgarh to Kotah ;

(b) if so, the date by which the said work is likely to be taken up ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Traffic Surveys carried out for the construction of this line in the recent past have shown that there is no immediate justification for this rail link.

Progress of Banas Feeder for Meza Dam in Bhilwara

4661. Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the work on the Banas Feeder for Meza Dam in Bhilwara is in progress ;

(b) if so, the amount of money earmarked for the purpose, the amount actually given and proposed to be given by the Central Government ; and

(c) the time by which the work on this feeder is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel): (a) to (c). Work on Meja Feeder for Banas Dam across river Banas in Bhilwara District, estimated to cost about Rs. 166 lakhs, was commenced in 1970-71 and is expected to be completed during the Fourth Plan. Full provision has been made for the scheme during the Fourth Plan.

बिजली की दर में वृद्धि का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

4662. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिजली की दरों में उत्तरोत्तर वृद्धि का अधिक गहराई से पानी निकाल कर सिंचाई करने वाले क्षेत्रों के कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बिजली बोर्ड कृषि सम्बन्धी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से साधारणतया कृषि पम्पों के लिए प्रोत्साहनात्मक दर लेते हैं। टैरिफ दरों में लघु वृद्धि होने के बावजूद भी पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि सम्बन्धी पम्पों के लिये विद्युत की खपत में वृद्धि से कृषि-उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा दिखाई नहीं देता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि कार्यों के लिये बिजली के उपयोग के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अपेक्षित गारंटी

4663. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा कृषि-कार्यों

के लिए बिजली के उपभोग के लिए अधिक न्यूनतम गारंटी का सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उठाऊ सिंचाई में बिजली के उपयोग में बाधक सिद्ध हो रही है ; और

(ख) क्या न्यूनतम गारंटी को कम करने की दृष्टि से स्थिति का अध्ययन करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करने के लिये बोर्डों द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुकूल खपत के किसी एक स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई पम्प-सेटों के लिए न्यूनतम खपत गारंटी शुल्क बिजली बोर्डों द्वारा नियत किए जाते हैं। आमतौर से कृषि उपभोक्ताओं ने न्यूनतम खपत गारंटी में निर्धारित मात्रा से अधिक ऊर्जा की खपत की। उत्तर प्रदेश के मामले में न्यूनतम खपत गारंटी शुल्क अन्य राज्यों की अपेक्षा ऊंचा है। उत्तर प्रदेश सरकार शुल्क को कम करने के प्रश्न की जांच कर रही है।

आंध्र प्रदेश में जब भी सूखे की स्थिति होती है, न्यूनतम खपत गारंटी नहीं लगाई जाती है। अन्य राज्यों में से अधिकांश के मामले में भी, जब सूखे की स्थिति होती है और न्यूनतम खपत गारंटी की सीमा तक पम्पसेटों के उपयोग के लिए कुओं में काफी मात्रा में पानी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होता, न्यूनतम खपत गारंटी के शुल्क में राहत दी जाती है।

मनीपुर में बाढ़

4664. **श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाढ़ नियंत्रण उपायों के न होने के कारण इम्फाल मोरेह सड़क पर वांगजिंग और खोंगजोम के बीच के क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आती है जिसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष फसल को हानि पहुंचती है ;

(ख) यदि हां, तो इस बाढ़ के नियंत्रण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो क्या मनीपुर सरकार का इस मामले में शीघ्र ही कोई जांच करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). बाढ़ द्वारा क्षति को ध्यान में रखते हुए मणिपुर प्रशासन ने वांगजिंग नदी की बाढ़ों से सुरक्षा के लिए 4.4 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक स्कीम तैयार की है जिसमें तटबंधों का निर्माण, वर्तमान तटबंधों का दृढ़ीकरण और कपाटों की व्यवस्था शामिल है। इस स्कीम को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है और इसकी कार्यान्विति हो रही है।

मनीपुर के न्यायिक पदों पर स्थानीय एडवोकेटों की भर्ती के लिये नियम

4665. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने इस प्रकार के कोई नियम बनाये हैं, जिनके अन्तर्गत स्थानीय एडवोकेटों को मनीपुर के उच्चतम न्यायिक पदों पर भर्ती किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो नियमों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तीसरे दर्जे के डिब्बों में भीड़ कम करना और डाकेजनी रोकना

4666. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलगाड़ियों में भीड़ कम करके और डाकेजनी को रोक कर तीसरे दर्जे के डिब्बों में सुविधाओं को बढ़ाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). जहां किसी मार्ग में गाड़ियों में भीड़भाड़ होती है, वहां चल स्टाक, खण्डीय और टर्मिनल क्षमता के रूप में साधनों की सीमित उपलब्धता के अन्तर्गत गाड़ियों की संख्या बढ़ाकर या अधिक भारी इंजन लगाकर गाड़ियों में और अधिक डिब्बे जोड़कर, यात्रियों के लिए अधिकाधिक स्थान की व्यवस्था करना सरकार का निरंतर प्रयास रहा है। प्रभावित खण्डों में रात में चलने वाली सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के मार्गरक्षी तैनात किये जाते हैं। रेलों पर अपराधों की रोक-थाम के लिए रेल प्रशासन और राज्य पुलिस (जिसमें सरकारी रेलवे पुलिस भी शामिल है) के बीच निकट सम्पर्क कायम रखा जाता है।

Benefits from Kosi River Projects in Bihar

4667. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether farmers are not benefited as much as they should be from the canals drawn from Kosi River Project, as there is water-logging in the catchment areas on both sides of the canals ;

(b) if so, whether Government have formulated any scheme to check water logging there at an early date ; and

(c) if so, the manner in which the said scheme is being implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) to (c). Difficulties are being experienced in developing irrgation in Kosi canal Command on account of blocked drainages in certain pockets. The Government of Bihar have planned some drainage schemes and further investigations are in progress.

बिहार के तिरहुत और भागलपुर डिवीजनों में नये उद्योग

4668. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को तिरहुत और भागलपुर डिवीजनों में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन डिवीजनों में किन-किन उद्योगों को चालू करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : सरकार ने कुल जिलों/क्षेत्रों में, उद्योगों को शुरू करने के लिए वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त प्रदान करने के लिए चुना है। बिहार के तिरहुत और भागलपुर प्रभाग के निम्न जिलों जैसे चम्पारन, दरभंगा, सारन

संथाल परगना, पूर्णिया और सहरसा को इस प्रयोजन के लिये चुना गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ज़िलों को सरकार ने नये एककों की स्थापना पर उनके अचल पूंजी निवेश के दशवें भाग के बराबर कुछ जिलों को केन्द्रीय आर्थिक सहायता देने के लिए चुना है। बिहार के दरभंगा और भागलपुर जिले जोकि दोनों ही तिरहुत और भागलपुर प्रभाग में हैं, इस आर्थिक सहायता के हकदार हैं। केन्द्रीय आर्थिक सहायता के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा दी गई रियायतें और सुविधायें इस राज्य के पिछड़े हुए जिलों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगी और आशा है कि उद्यमी विभिन्न रियायतों का पूरा लाभ उठा सकेंगे।

टायरों का आयात

4669. **श्री वी० मयावन : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम सम्बन्धी कठिनाइयों और बिजली की भारी कमी के कारण गत एक वर्ष में टायर उद्योग के उत्पादन में कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिये सरकार का टायरों का आयात करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 में कितनी संख्या में टायरों का आयात किया गया ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : श्रम सम्बन्धी कठिनाइयों और बिजली की भारी कमी के कारण आटोमोबाइल टायर उद्योग के उत्पादन में 1970 और 1971 की अवधि में क्रमशः 3 लाख और 1,50,000 नग टायर को हानि उठानी पड़ी।

(ख) स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट अण्डरटेकिंग और वेहिकल मैन्यूफैक्चरर्स को जितनी कमी हुई है, उतने टायरों का आयात करने की भी अनुमति दी जा रही है।

(ग) 1970-71 (अप्रैल से नवम्बर) तक आयात किये गये टायरों की संख्या निम्न प्रकार है—

टायर की किस्म	नवम्बर 1970 तक की आयातित मात्रा
1. एयर क्राफ्ट के लिये टायर केसिस	1733
2. मोटर गाड़ियों के लिये टायर केसिस	464
3. मोटर साइकिलों के लिये टायर केसिस	4502
4. आफ दी रोड गाड़ियों के लिये टाये केसिस	109
5. ट्रैक्टरों के लिये टायर केसिस	7037
6. ट्रक और बस के लिये टायर केसिस	115
7. अन्य गाड़ियों के लिये टायर केसिस	3808
8. मोटर गाड़ियों के लिये सोलिड रबड़ टैरिंग	184
9. टायर्स फेलेपस	396
10. सौलिड रबड़ टैरिंग जो कहीं नहीं दिया गया	202 (टन्स)

रेलवे कर्मचारियों और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों में दी जाने वाली सुविधाओं में समता स्थापित किया जाना

4670. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के टाइप II के क्वार्टरों में केवल एक छत का पंखा लगा है **और** टाइप I के क्वार्टरों में एक भी पंखा नहीं लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने दिल्ली क्षेत्र की रेलवे बस्तियों का एक बार निरीक्षण करते समय इस बात पर सहमति प्रकट की थी कि ये सुविधाएं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टरों के अनुरूप ही होनी चाहियें ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा इस बारे में कब आदेश जारी किये जायेंगे ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे अस्पताल (उत्तर रेलवे) में बाहर के रोगियों का फीस देकर इलाज

4671. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अस्पतालों में बाहर के रोगियों को फीस देकर इलाज करवाने की **अनुमति** है;

(ख) क्या रेलवे डाक्टरों को प्रैक्टिस बन्दी भत्ता दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या बाहर के रोगियों से वसूल की गई धनराशि का 40 प्रतिशत डाक्टरों को दे दिया जाता है और निम्न वर्ग के कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया जाता ;

(घ) गत दो वर्षों में उत्तर रेलवे के सेण्ट्रल अस्पताल और अन्य रेलों के इसी प्रकार के अन्य अस्पतालों में ऐसे कितने रोगियों का इलाज किया गया ; और

(ङ) क्या रेलवे कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली चिकित्सा सुविधाओं की कमी को देखते हुए सरकार का इस प्रथा को समाप्त करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) सभी भारतीय रेलों में 7918, जबकि केवल उत्तर केन्द्रीय अस्पताल में 110 मामले।

(ङ) जी नहीं।

दुमंजिले रेलवे क्वार्टरों में पार्किंग के स्थान की व्यवस्था

4672. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बस्तियों के दुमंजिले क्वार्टरों में रह रहे मोटर साइकिल/स्कूटर रखने वाले रेलवे कर्मचारियों की कठिनाइयों की रेलवे बोर्ड को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड अन्य सरकारी क्वार्टरों को दी जाने वाली सुविधाओं की व्यवस्था के लिये कब तक स्वीकृति देगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). मामले पर विचार किया जा रहा है।

Accidents on Central Railway

4673. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of accidents on the Central Railway from 1st January, 1970 to the 30th April, 1971 ; and

(b) the estimated loss of life and damage to Railway property as a result thereof ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) During the period 1.1.70 to 30.4.71 there were 115 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Central Railway.

(b) In these accidents 5 persons were killed. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 45,91,700/-.

Introduction of New trains on Itarsi Bhusaval Section

4674. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is huge crowd of passengers on the Itarsi-Bhusaval section and despite that the demand for running an additional train on that line has not been conceded on the plea of shortage of coaches ;

(b) whether a train running on this section has been withdrawn recently ; and

(c) if so, the steps Government propose to take to introduce new trains on this section ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No, the demand for an additional train has not been agreed to for want of adequate traffic.

(b) Yes, No. 349/350 Bhusaval-Itarsi passenger has been withdrawn since August, 1968 but alternative service has been provided to some stations either by stoppage of express trains or by adjustment of timings of other passenger trains.

(c) Not at present.

Sheds over platforms at stations on Bhusaval Itarsi station

4675. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there are no sheds over both Up and Down platforms at Khirkiya Railway Station (Central Railway) ;

(b) the names of the stations situated between Bhusaval and Itarsi where sheds have been provided over Up and Down platforms ; and

(c) the names of the stations between Bhusaval and Itarsi where platform shelters have been provided ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) No. Two waiting sheds, one measuring 506 sq. ft. on the Up platform and the other measuring 2816 sq. ft. on the down platform already exist, at this station.

(b) and (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

रेलवे वर्कशाप, जामनगर (पश्चिम रेलवे) का बन्द किया जाना

4676. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की जामनगर स्थित रेलवे वर्कशाप को बन्द करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उक्त वर्कशाप को बन्द करने की बजाये उसको जारी रखने के वैकल्पिक सुझाव दिये गये हैं ; और

(घ) क्या उक्त वर्कशाप को बन्द किये जाने की दशा में उसके कर्मचारियों के लिये वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी हां ।

राज्य सरकारों द्वारा स्टेट सेक्टर में सिग्रेट के कारखानों का लगाया जाना

4677. **श्री मुरुजान्नतम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में (स्टेट सेक्टर) सीग्रेट के कारखाने स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं तथा उन प्रस्तावों के ब्यौरा क्या है ; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) . (क) और (ख). तमिलनाडू, जम्मू और काश्मीर हरियाणा, और केरल के राज्य उद्योग विकास निगमों को प्रति निगम 450 करोड़ सिगरेट प्रति वर्ष बनाने के लिए नए उपक्रम स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किए गए हैं । आसाम औद्योगिक विकास निगम का 300 करोड़ सिगरेट प्रति वर्ष और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का 450 करोड़ सिगरेट प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता का आवेदन पत्र अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

गुण्टकल डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में हैड क्लर्क तथा सिनियर क्लर्कों को निम्न वेतनमान में पदावनति

4678. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुण्टकल के इंजीनियरिंग विभाग के कुछ हेडक्लर्कों तथा सीनियर क्लर्कों की 1 अप्रैल, 1971 से निम्नवेतनमान में पदावनति कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पदावनति के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों तथा उनके कार्मिक संघ ने इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां। 210-380 रुपये वेतन मान के चार हेड क्लर्कों और 130-300 रुपये वेतनमान के ग्यारह वरिष्ठ क्लर्कों को निम्न ग्रेडों में परावर्तित कर दिया गया था।

(ख) ये परावर्तन कुछ निर्माण कार्यों के पूरे हो जाने और परिणामस्वरूप उन निर्माण कार्यों को प्रभारित पद समाप्त कर दिये जाने के कारण करने पड़े।

(ग) और (घ). दक्षिण रेलवे मजदूर यूनियन ने इस विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था और उसे सूचित कर दिया गया है कि परावर्तन के आदेश कुछ निर्माण कार्यों के पूरे हो जाने के कारण दिये गये थे, तथा इन परावर्तनों के आदेश जारी करने से पहले प्रभावित कर्मचारियों को अन्य निर्माण कार्यों को प्रभारित पदों में उसी ग्रेड में बनाये रखने की संभावना की पूरी जांच कर ली गयी थी।

कच्छ में तापीय बिजली घर की स्थापना

4679. **डा० महिपतराय मेहता** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का कच्छ में वहां पर पाए जाने वाले लिग्नाइट के आधार पर तापीय बिजली घर स्थापित करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : जी, नहीं। चूंकि लिग्नाइट के गुण और मात्रा के संबंध में अनुसंधान हो रहा है, इसलिए इस समय सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कच्छ में पाए जाने वाले लिग्नाइट के आधार पर वहां पर किसी ताप-विद्युत संयंत्र की स्थापना की जाए।

मद्रास तथा ट्रीवेंलौर के बीच स्थानीय रेलगाड़ियों का आवागमन बढ़ाना

4680. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री यातायात में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार मद्रास और ट्रीवेंलौर के बीच स्थानीय रेलगाड़ियों का आवागमन बढ़ाने का है ; और

(ख) क्या रेलगाड़ियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के समय को कम करने के लिये सरकार का विचार मद्रास सेन्ट्रल और आर्कोणम के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं, क्योंकि मद्रास सेन्ट्रल में अतिरिक्त गाड़ियों को सम्हालने के लिए और क्षमता उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं। रेल पथ और कर्षण के अनुरूप इस खण्ड पर गाड़ियां पहले से ही अनुमत रफ्तार पर चल रही हैं।

टम्बरम में रेलगाड़ी का रुकना

4681. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार टम्बरम क्षेत्र के आसपास के लोगों के लिये यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिये रेलगाड़ी संख्या 119/120 और 117/118 को टम्बरम में रोकने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : क्षेत्रीय समय-सारणी समिति ने इस प्रस्ताव पर विचार किया था और इसे अस्वीकार कर दिया था ।

महाराष्ट्र में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने सम्बन्धी योजनाएं

4682. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में समुद्र द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए कौन सी योजनाएं आरंभ की गई हैं या केंद्रीय सरकार ने उनके लिए सहायता दी है ; और

(ख) उक्त योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). समुद्री भू-क्षरण विरोधी निर्माण कार्य बाढ़-नियंत्रण-कार्यक्रम के ही एक अंग हैं और ये राज्य सैक्टर में ही सम्मिलित हैं । चौथी योजना से लेकर अब तक राज्य सरकारों को अपनी योजना की स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में की जाती है और इसे किसी विशेष परियोजना या विकास के शीर्ष से नहीं जोड़ा जाता । इसलिए समुद्री -भूक्षरण रोधी स्कीमों को हाथ में लेने या केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें वित्तपोषित करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

मकान किराया काटने के लिये संगचल भत्ते के बारे में विचार

4683. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों द्वारा लिये जा रहे वेतन को ध्यान में रखते हुए मकानों का आवंटन किया जा रहा है ;

(ख) क्या संगचल कर्मचारियों के मामले से किराये की वसूली संगचल भत्ते पर विचार करने के बाद की जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे प्रत्येक मामले में संगचल भत्ते को एक भाग को जोड़कर 'पे स्लैब' पर विचार किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो आवास के लिये पात्र संगचल कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) लोको संगचल कर्मचारियों को दिये जाने वाले आवास का ब्यौरा क्या है और डिवीजनवार उसका वर्गीकरण क्या है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) विभिन्न टाइप के क्वार्टरों का आवंटन विभिन्न टाइप के क्वार्टरों के लिए इस आशय से निर्धारित विशिष्ट वेतन मानों के अनुसार किया जाता है ।

(ख) और (ग). जी हां । प्राधिकृत वेतनमान में वेतन पाने वाले कर्मचारियों के मामले में रेलवे क्वार्टर का किराया नियत करने के प्रयोजन के लिए वेतन में उनके वेतन का 40 प्रतिशत और जोड़ दिया जाता है । यह 40 प्रतिशत रंनिग भत्ते में वेतन के अंश का द्योतक है ।

(घ) और (ङ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

धर्मजयगढ़ (मध्य प्रदेश) में सारिया नाले का सर्वेक्षण

4684. **श्री उमेद सिंह राठिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़ तहसील में सारिया नाले का इस बीच सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) . सराय नाले पर अनुसंधान कार्य कर लिये गए हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने 2360 हैक्टेयर की सिंचाई के लिए 29 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम को राज्य के चतुर्थ योजना प्रस्तावों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में अम्बिकापुर से रायगढ़ के बीच रल सम्पर्क

4685. **श्री उमेद सिंह राठिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अम्बिकापुर और रायगढ़ जिला के बीच सुरगुजा और लालटर्नगंज होते हुए कोई रेल सम्पर्क नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पिछड़े क्षेत्र को रेल लाइनों द्वारा जोड़ने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां।

(ख) धन की कमी और यातायात के पर्याप्त औचित्य के अभाव में, फिलहाल, इस क्षेत्रों में किसी लाइन के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ में सिंचाई और विद्युतीकरण सम्बन्धी योजनाएं

4686. **श्री उमेद सिंह राठिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 में मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सिंचाई और विद्युतीकरण के सम्बन्ध में क्या नई योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी ; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). सिंचाई राज्य का मामला है। सिंचाई परियोजनाओं की जांच करने, उन्हें तैयार करने और क्रियान्वित करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारें अपने साधनों की स्थिति को ध्यान में रखकर करती हैं। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र की नई सिंचाई और ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :—

कुंवरपुर परियोजना के अलावा, जिस पर 85.64 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है और योजना आयोग ने जिसकी मंजूरी दे दी है, महानदी जलाशय चरण । और पैरी चरण-1 के

सम्बन्ध में रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में उनकी जांच की जा रही है।

ग्राम-विद्युतीकरण और लिफ्ट सिंचाई के लिए केन्द्रीय सरकार की नीचे लिखी स्कीमों को मंजूरी दे दी गई है—

स्कीम का नाम	1971-72 के लिए परिव्यय (अनुमानित)
1. महानदी और जोंक नदियों के लिए रायपुर स्कीम	रु० 79.22 लाख
2. हासदेव और मंद नदियों के लिए बिलासपुर स्कीम	रु० 41.03 लाख
3. छत्तीसगढ़ के छः जिलों में अतिरिक्त पारेषण लाइनें	रु० 256.08 लाख

दक्षिण पूर्व रेलवे में दंडकारण्य-बैलाडिला कोतांबलासा लाइन पर यात्री गाड़ी का चलाया जाना

4687. **श्री के० प्रधानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व रेलवे में दंडकारण्य-बैलाडिला-कोतंबलासा लाइन पर यात्री गाड़ियां चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग

4688. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में पैदा की जा रही बिजली का सिंचाई परियोजनाओं के लिए पूरी तौर पर उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार सिंचाई के लिए बिजली का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केरल राज्य को पर्याप्त सहायता दे रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) से (ग). देश भर की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में जिस बात पर बल दिया गया है, वह खेती के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए पम्प सेटों को बिजली से चलाना है। ऐसी स्कीमों के लिए वित्त व्यवस्था राज्य की योजनाओं में की जाती है। केन्द्रीय सरकार ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से संयोज्य (ऐडीटिव) वित्त की व्यवस्था करती है। केरल राज्य में, ऊर्जित सिंचाई के भार की मांग पूर्णतः पूरी की जा रही है। फिर भी, अभी अतिरिक्त पंपिंग सेटों को बिजली से चलाने की गुंजाइश है। पम्प सेटों को बिजली से

चलाने की दिशा में प्रवृति रखते हुए ग्राम-विद्युतीकरण की स्कीमों में तेजी लायी जा रही है। केरल में चौथी योजना के प्रारम्भ में लगभग 13,900 पम्प सेटों को बिजली से चलाया गया, इसके मुकाबले चौथी योजना के दौरान सिंचाई के लगभग 20,000 पम्प सेटों को बिजली से चलाने का प्रस्ताव है। ग्राम विद्युतीकरण निगम ने केरल में तीन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अब तक लगभग रुपया 155 लाख की मंजूरी दी हैं और सिंचाई के 3,400 पम्प सेटों को बिजली से चलाने का लक्ष्य है।

केरल में नदी जल परियोजनाएं

4689. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ करने के लिए केरल के लिए स्वीकार की गई नदी जल परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक स्वीकृत परियोजना पर कुल कितनी धन राशि खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) उन परियोजनाओं की संख्या तथा नाम क्या है जिन पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) से (ग). योजना आयोग ने चौथी योजना के दौरान केरल में किसी भी नई नदी घाटी परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।

मैसूर, महाराष्ट्र, और गोआ में बिजली का बिक्री मूल्य

4690. **श्री इराज्यु द सक्वैरा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर तथा महाराष्ट्र द्वारा अपने-अपने राज्यों में बिजली का अत्यधिक उपयोग करने वालों को बिजली किस दर पर दी जाती है ;

(ख) मैसूर तथा महाराष्ट्र द्वारा गोआ को बिजली की सप्लाई किस दर पर की जाती है ; और

(ग) यदि गोआ को अधिक दर पर बिजली सप्लाई की जाती है तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) मैसूर और महाराष्ट्र राज्य विद्युत् बोर्डों द्वारा 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 15 मैगावाट के किसी भार के लिए अपने थोक उपभोक्ताओं के हाथ बेची गई विद्युत् की औसत दरें इस प्रकार हैं :—

मैसूर-5.49 पैसे प्रति यूनिट

महाराष्ट्र- क्रमशः जल और तापविद्युत् के लिए 9.28 पैसे प्रति यूनिट और 10.91 पैसे प्रति यूनिट।

(ख) मैसूर और महाराष्ट्र गोआ के हाथ विद्युत् की बिक्री नीचे लिखी दरों से करते हैं :—

मैसूर —30 मैगावाट विद्युत् की सप्लाई तक 6.25 पैसे प्रति यूनिट और सप्लाई 30 मैगावाट से अधिक की हो और सभी तरह की सप्लाई के लिए 5.75 पैसे प्रति यूनिट

महाराष्ट्र	—प्रथम 5 लाख यूनिट प्रति माह	= 8 पैसे प्रति यूनिट
	तदनंतर 5 लाख यूनिट प्रति माह	=6 पैसे प्रति यूनिट
	इससे अधिक सब के लिए	= 5 पैसे प्रति यूनिट

(ग) मैसूर द्वारा गोआ के ऊपर लगायी गई दर उस दर के समकक्ष नहीं है जो उस राज्य के अंतर्गत थोक उपभोक्ताओं के लिए लगाई जाती है। इसका कारण यह है कि मैसूर गोआ को सीमा पर विद्युत् उपलब्ध कराता है और इसमें पारेषण पर काफी खर्चा हो जाता है। इन दरों पर दोनों सरकारों में परस्पर सहमति हो गई थी।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में तकनीकी अधिकारियों के निम्न श्रेणी के संवर्ग

4691. **श्री एस० बी० पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में तकनीकी अधिकारियों के निम्न श्रेणी के अनेक संवर्ग हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न निम्न श्रेणी के संवर्गों को कभी मिलाने पर कभी विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या चम्बल नियंत्रण बोर्ड के फरक्का नियंत्रण बोर्ड के तकनीकी संवर्गों में केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के संवर्गों में विलय कर दिया गया है ; और

(घ) उन अन्य निम्न श्रेणी के संवर्गों के नाम क्या हैं जो पृथक रह गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) से (घ). सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के नीचे लिखे संगठनों में छोटे तकनीकी काडर हैं :–

(1) खास मंत्रालय में सिंधु-स्कंध ;

(2) खास मंत्रालय में गंगा बेसिन स्कंध ;

(3) गंगा बेसिन जल-साधन-संगठन।

इन छोटे काडरों को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के उपयुक्त काडरों के साथ मिलाकर एक बनाने के प्रश्न पर कुछ समय पहले विचार किया गया था। लेकिन चूंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि इन्हें एक में मिलाने से कुछ प्रशासनिक उलझनें पैदा हो जाएंगी, ज्यों की त्यों स्थिति ही बनाये रखने का निश्चय किया गया।

(ग) चम्बल नियंत्रण बोर्ड और फरक्का बराज नियंत्रण बोर्ड दोनों में तकनीकी अधिकारियों के ही सिर्फ दो-दो पद हैं। इन्हें 15-9-1969 से केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के उपयुक्त काडर में ला दिया गया।

जयपुर डिवीजन में शन्टर की ड्राइवर के रूप में पदोन्नति

4692. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 1959 के बाद से शन्टर 'ए' और 'बी' से ड्राइवरों के पद पर पदोन्नति 1 और 4 के अनुपात के आधार पर होती है ;

(ख) क्या वर्ष 1967 में अजमेर डिवीजन में शन्टर 'ए' की पदोन्नति का कारण यह था कि उनकी पदोन्नति निर्धारित कोटे से अधिक हुई थी ;

(ग) क्या 14 जुलाई, 1959 के बाद जयपुर डिवीजन में शन्टर 'ए' की पदोन्नति निर्धारित कोटे से अधिक हुई ;

(घ) क्या शन्टर 'ए' की पदोन्नति निर्धारित कोटे से अधिक किये जाने का, काम करने वाले कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसरों पर बुरा असर पड़ा है ;

(ङ) क्या एक ही रेलवे पर एक ही प्रकार के मामलों में विभिन्न प्रक्रिया का पालन किया गया था ; और

(च) यदि हां, तो उक्त मामलों में समान प्रक्रिया अपनाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं, क्योंकि 'बी' ग्रेड के उपयुक्त और अर्ह शंटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, इसलिए 'ए' ग्रेड के शंटरों को 'सी' ग्रेड के ड्राइवर के रूप में पदोन्नत कर दिया गया ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन में 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति

4693. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी रेलवे में 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों की पदोन्नति के क्या आधार हैं ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड के आदेशों के अनुसार 30 दिन तक के रिक्त स्थानों पर तदर्थ पदोन्नतियां की जा रही हैं तथा 30 से अधिक दिनों के रिक्त स्थानों पर वरिष्ठता के अनुसार नियमित पदोन्नतियां की जा रही हैं ;

(ग) क्या कनिष्ठतम ड्राइवर 'ए' ग्रेड के ड्राइवरों के रूप में कार्य कर रहे हैं जबकि वरिष्ठ ड्राइवर 'बी' ग्रेड में कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या जयपुर डिवीजन में जो ड्राइवर 'बी' ग्रेड ड्राइवर नहीं चुने गये थे उनको 'ए' ग्रेड में पदोन्नति कर दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति को नियमित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) प्रवरण द्वारा ।

(ख) 30 दिन तक की रिक्तियों के लिए शेडों के आधार पर स्थानीय व्यवस्था कर ली जाती है । 30 दिन से अधिक की रिक्तियों को नियमित प्रवरण होने तक ग्रेड बी के वरिष्ठतम ड्राइवर को तदर्थ आधार पर तैनात करके भर लिया जाता है, बशर्ते वह अन्यथा उपयुक्त हो ।

(ग) और (घ). जी नहीं । केवल ग्रेड 'ए' के पैनल वाले ड्राइवरों को ही नियुक्त किया जाता है और यदि कोई पैनल मौजूद न हो तो ग्रेड 'बी' के वरिष्ठतम ड्राइवरों को तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया जाता है, बशर्ते वे अन्यथा पात्र हों ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

ड्राइवरों द्वारा मार्ग नियमों और स्टेशनों के कार्य संचालन नियमों को सीखने में अधिक समय लेने के लिये उन्हें दण्ड दिया जाना

4694. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **रेल** मंत्री ड्राइवरों द्वारा मार्ग नियमों तथा स्टेशनों के कार्य संचालन के नियमों को सीखने के लिये प्रक्रिया के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2368 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर डिवीजन पर दो ड्राइवरों को दण्ड दिया गया था ;

(ख) क्या इस विषय पर आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन ने पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर से 11 जुलाई, 1970 को अजमेर में विचार-विमर्श किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिये गये ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Basis for Categorisation of less and highly perishable Vegetables for bookings on Railways

4695. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2216 on 15th June, 1971 regarding outstanding amount of undercharges on the consignments and state :

(a) the principles laid down by Government in regard to categorisation of 'less perishable' and 'highly perishable' commodities ;

(b) which of the vegetables among green chillies, cauliflower, cabbage, tomato, lady finger, brinjal, carrot, radish and pumpkin is considered "less perishable", indicating the basis thereof ;

(c) whether Government have published it in any Manual that a particular vegetable be charged under a particular head after it is booked as parcel and if so, in which publication ; and

(d) if it has not been published, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b). No principles for categorisation of 'less perishable' and 'highly perishable' commodities have been laid down. However, vegetables in the form of fruits and flowers are considered to be more perishable than those growing underground such as potatoes, onions, etc.

(c) Yes, in Indian Railway Conference Association Coaching Tariff No. 20, Part I.

(d) Does not arise.

हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में "न्यूक्लीयर टरबाइनों" का निर्माण

4696. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडू के कलपक्कम में न्यूक्लीयर पावर स्टेशन के लिये हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में न्यूक्लीयर टरबाइनों के निर्माण में कम प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस संविदा का कार्य, कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

आसाम तथा मेघालय में नमक तथा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4697. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम तथा मेघालय में नमक की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या समूचे आसाम तथा मेघालय में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नमक के मूल्य अत्यधिक बढ़ गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो नमक की कमी तथा इसके मूल्यों में असाधारण वृद्धि के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सूचना मिली है कि दो राज्यों में नमक के संभरण की कुछ कमी है तथा बंगला देश के विस्थापितों के आगमन के कारण नमक के विक्रय मूल्य भी पर्याप्त बढ़े हैं ।

पश्चिम रेलवे के जयपुर डिवीजन के 'सी' ग्रेड ड्राइवरों की वरिष्ठता

4698. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चयन करने से पहले लागू नियमों के अनुसार पश्चिम रेलवे के लोको चल कर्मचारियों की वरिष्ठता को नियमित किया जाना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या निम्न पदों से आने वाले तथा सीधी भर्ती वाले कर्मचारियों की संख्या में अनुपात बनाए रखा गया था ;

(ग) क्या वरिष्ठता सूची में अनुपात न रखने के कारण एक वर्ग के कर्मचारियों को जयपुर डिवीज़न में हाल में हुए सलेक्शन में उपस्थित होने से वंचित कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो वरिष्ठता में तथा सलेक्शन में दोनों वर्गों को उचित अनुपात देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । अनुपात नहीं बनाये रखा जा सका क्योंकि डीजल-प्रशिक्षण के लिए निचले पदों वाले (ग्रेड 'बी' के शंटर) कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे । ग्रेड 'बी' के 27 शंटरों की कमी थी और अब यह कमी घट कर 19 हो गयी है ।

(ग) हाल में जयपुर मण्डल में ग्रेड 'बी' के ड्राइवरों का जो प्रवरण हुआ था उसमें भाग लेने के अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया गया । केवल ग्रेड 'सी' के ड्राइवर ही इसके पात्र थे और उन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुसार प्रवरण के लिए बुलाया गया था ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

अजमेर डिवीजन के ड्राइवर 'बी' ग्रेड की पदोन्नति तालिका

4699. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर डिवीजन में हुये 'बी' ग्रेड के ड्राइवरों के चयन को रद्द कर दिया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त चयन के रद्द किये जाने के परिणामस्वरूप अब वरिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति नियमित करनी पड़ेगी ; और

(ग) क्या 'बी' ग्रेड ड्राइवरों की तालिका की घोषणा किये बिना ही पदावनतियां कर दी गई थीं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ग). जी हां । प्रवरण रेलवे की यथावत् वर्तमान हिदायतों के अनुसार नहीं किया गया था ।

(ख) नया प्रवरण होने तक इन्हें तदर्थ पदोन्नतियां माना गया है ।

अलीगढ़ में रामघाट फाटक पर उपरि पुल

4700. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा कुछ समय पूर्व अलीगढ़ में रामघाट फाटक पर उपरिपुल बनाने का निर्णय कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय के क्रियान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां पर कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और पिछले तीन वर्षों में इनमें से कितनी दुर्घटनाएं घातक सिद्ध हुई हैं ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) और (ख). अलीगढ़ स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास समपार नं० 109 की जगह उपरि सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी सम्बद्ध राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी से निश्चित प्रस्ताव और साथ ही सड़क प्राधिकारी के हिस्से का खर्च उठाने की आवश्यक सहमति प्राप्त होने पर ही रेलवे द्वारा अगली कार्रवाई की जा सकती है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस समपार पर केवल एक दुर्घटना हुई है जिसमें शंटिंग इंजन से एक महिला कुचलकर मर गयी थी और एक व्यक्ति घायल हो गया था। दुर्घटना के समय ये व्यक्ति रेलपथ को अनियमित रूप से पार कर रहे थे जबकि समपार के फाटक सड़क यातायात के लिए बन्द कर दिये गये थे।

गोदावरी तथा कृष्णा के डेल्टा क्षेत्रों में जल निकासन सम्बन्धी प्रणाली के लिए आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय ऋण

4701. **श्री बी० एस० मूर्ति : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी और कृष्णा डेल्टा क्षेत्रों में जल निकासन सम्बंधी योजनाओं की क्रियान्विति के लिए किसी ऋण के लिए आवेदन-पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्र किस तिथि को दिया गया था ;

(ग) क्या कोई ऋण मन्जूर किया गया है और यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो चालू वर्ष के लिए ऋण के कब तक मंजूर किए जाने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 23 मई, 1971 को केन्द्रीय वित्त मन्त्री से 1971-72 के दौरान 2 करोड़ रुपये की ऋण सहायता के लिए प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना पर विचार किया गया किन्तु राज्य सरकार को विशेष ऋण सहायता देना सम्भव न पाया गया।

"अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर" उपकरण का चलाया जाना

4702. **श्री बशवेश्वर नाथ भार्गव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्ट्रासोनिक फ्ला डिटेक्टर उपकरण के चलाये जाने के बारे में विभिन्न रेलों में असंगति है ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्रीय रेलों में यह उपकरण ग्रेड 325-575 (रु०) के "लेबोरेट्री सुपरिन्टेंडेंटों" द्वारा चलाया जा रहा है परन्तु अन्य में ग्रेड 210-425 (रु०) केमिकल तथा मेटालर्जिकल असिस्टेंटों द्वारा चलाया जा रहा है जबकि अर्हताओं, कर्तव्यों तथा दायित्व का स्वरूप समान है ;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड का विचार निकट भविष्य में इस असंगति को दूर करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) रेलों पर अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टरों का इस्तेमाल अभी कुछ ही वर्ष पहले से शुरू किया गया है । अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टरों को मंगा लेने पर, विभिन्न क्षेत्रीय रेलों ने इन उपकरों के परिचालन के लिए जिस प्रकार की ड्यूटी और जिम्मेदारियां अपेक्षित हैं, उनके लिए पर्याप्त समझते हुए 325-575 (प्रा०) ग्रेड के प्रयोगशाला अधीक्षकों अथवा 210-425 रु० (प्रा०) ग्रेड के रासायनिक और धातुकर्म सहायकों के पदों का सृजन किया ।

(घ) चलस्टाफ के धुरों की खराबियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टरों के उपयोग का विस्तार किया जा रहा है और परीक्षण कार्यविधियों का मानकीकरण किया जा रहा है । अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टरों का परिचालन 325-575 रु० (प्रा०) ग्रेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाये इस प्रश्न पर तब विचार किया जायेगा जब तीसरे वेतन आयोग की अन्तिम सिफारिशें मिल जायेंगी और सरकार उन पर विचार कर लेगी ।

समस्तीपुर वर्कशाप (पूर्वोत्तर रेलवे) में स्वास्थ्य एकक

4703. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर वर्कशाप के कर्मचारी काफी समय से स्वास्थ्य एकक खोले जाने के लिये आंदोलन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हां । केवल एक गैर मान्यता-प्राप्त यूनियन ने कारखाने के परिसर में एक हेल्थ यूनिट खोलने का मामला उठाया था ।

(ख) कारखाने में लगभग 500 रेल कर्मचारी हैं जिनकी चिकित्सा समस्तीपुर स्थित वर्तमान मण्डलीय अस्पताल द्वारा उचित रूप से हो जाती है । यह अस्पताल कारखाने के फाटक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है । मण्डलीय अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था भी की गयी है । वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है और समस्तीपुर कारखाने में एक हेल्थ यूनिट की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है ।

Posting of Gateman at first Level Crossing on Orwara-Basti line (North Eastern Railway)

4704. **Shri A. P. Dhusia :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the first railway crossing on Orwara-Basti rail line on North Eastern Railway is un-manned and its key is always with the Station Master, Orwara ; and

(b) whether permanent arrangements would be made to post a Gateman there for the convenience of the general public ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) and (b). Presumably, the Hon'ble Member is referring to the level crossing No. 194 C at the West of Orwara Station. If so, the position is as under :

The level crossing is interlocked with signals and controlled by the Station Master. The gates of the level crossing remain normally open to road traffic and are closed during the period of tarin movement. Steps have also been taken to ensure that the gates are closed for minimum period whenever there are intensive train movements. A recent census of traffic has revealed that except during the cane season, there is no justification to provide a regular gateman at this level crossing. During the cane season, a gateman is posted to cope with the seasonal traffic.

अप्रयुक्त लाइसेंस/आशय पत्र

4705. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 और 1970 में जिन औद्योगिक एककों को क्रमश: 221 और 338 औद्योगिक लाइसेंस और 331 तथा 423 आशय पत्र दिये गये थे, उनमें कितने एकक स्थापित हो गये हैं अथवा निर्माणधीन हैं ;

(ख) मुख्य उद्योग कौन-कौन से हैं तथा इससे कितनी क्षमता बढ़ी है ; और

(ग) लाइसेंसों तथा आशय पत्रों का उपयोग न किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). आवेदक पार्टियों को आशय पत्र इसलिए जारी किये जाते हैं जिससे कि वे जान जायें कि उन्हें पूंजीगत सामान का आयात, विदेशी सहयोग की शर्तें, यदि कोई हैं, तथा प्रावस्था बद्धउत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन सरकार औद्योगिक लाइसेंस देने को तैयार हो जायेगी। आशय पत्र में दी गई शर्तों के पूरा हो जाने के पश्चात् आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर लिया जाता है। इसके पश्चात् ही कोई उद्यमी परियोजना के स्थापनार्थ "प्रभावशाली कदम" उठा सकता है।

सामान्यत: आशय पत्र छ: मास अथवा एक वर्ष की वैध अवधि के लिये दिये जाते हैं जिससे उसमें दी गई शर्तें पूरी की जा सकें तत्पश्चात् ही लाइसेंस स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार औद्योगिक लाइसेंस में छ: मास अथवा एक वर्ष की वैध अवधि दी गई होती है जो परियोजना के कार्यान्वियन के समय पर निर्भर करती है। अत: 1969-70 में जारी किये गये आशय पत्र और लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न स्थितियों के अन्तर्गत होंगे।

जारी किये गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का ब्यौरा जिसमें उन उद्योगों सहित जिनसे वे सम्बन्धित हैं, उनकी क्षमता आदि को वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस, इम्पोर्ट लाइसेंस एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस, वीकली इंडियन ट्रेड जरनल तथा मंथली जरनल आफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

ऐसे मामलों में जिनमें निर्दिष्ट अवधि के अन्दर आशय पत्रों अथवा लाइसेंसों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो वैध अवधि को बढ़ाने के लिए सामान्यत: अनुरोध प्राप्त होते हैं और उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। बिना प्रयोग में लाये हुए आशय-पत्रों अथवा लाइसेंसों के मामले में, जहां कहीं आवश्यक होता है उद्योगों से सम्बन्धित प्रशासनिक मन्त्रालय/विभागों में कार्यवाही करने के लिए आशय-पत्रों तथा लाइसेंसों के कार्यान्वियन के ऊपर निगरानी रखने के लिए व्यवस्था है।

दक्षिण पूर्वी रेलवे के भुसन्दपुर रेलवे स्टेशन पर बिजली लगाया जाना

4706. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे के खुर्दा डिवीजन के भुसन्दपुर रेलवे स्टेशन में अभी तक बिजली नहीं लगायी गयी है हालांकि वहां बिजली का कनेक्शन पास में ही है ; और

(ख) इस स्टेशन पर कब तक बिजली लगाये जाने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) जी हां। उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने हाल ही में बिजली की सप्लाई भुसुन्डपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचा दी है। पता चला है कि राज्य बिजली बोर्ड की योजना इस सप्लाई को स्टेशन की ओर ले जाने की है।

(ख) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से सर्विस कनेक्शन का अनुमान और शुल्कदर बताने के लिए कहा गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

Use of Hindi in the office of Central Water and Power Commission

4707. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of reports and publications brought out by the. Central Water and Power Commission during the current year and the number out of them brought out in Hindi ;

(b) the progress made in the use of Hindi in the said Commission ;

(c) the number of employees of the Commission who have been imported Hindi training during the last three years ; and

(d) the steps being taken to implement the provisions of the Official Languages Act by the Commission ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) Ten reports and publications have been brought out by the Central Water and Power Commission during the current year. Of these, one has already been brought out in Hindi and one is under print.

(b) All Notifications, important general orders etc., are being issued in Hindi in addition to English. Hindi Sections have been set up in both the Wings of the Central Water and Power Commission under a full-time Hindi Officer. The staff are encouraged to use Hindi in official work.

(c) and (d). 340 employees of the Commission have been imparted Hindi training during the last three years. The progress in regard to implementation of the provisions of the Official Languages Act is reviewed from time to time by the Official Languages Implementation Committee set up in the Ministry of Irrigation and Power.

Implementation of Official Languages Act in the Ministry of Irrigation and Power

4708. **Shri Yamuna Prasad Mandal**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the progress made in the implementation of the Official Languages Act in his Ministry ; and

(b) the extent of correspondence in Hindi exchanged during the last year and the progress made in the use of Hindi in his Ministry and in the Offices under his Ministry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) and (b). In accordance with the provisions of the Official Languages Act, progressive use of Hindi is being made in the Ministry's work. Replies to letters received in Hindi in the Ministry are sent in Hindi. All Resolutions, Notifications, Administrative Reports, etc. are being issued in Hindi in addition to English. The staff are encouraged to use Hindi in official work. The progress made in this regard is reviewed from time to time by the Official Languages Implementation Committee set up in the Ministry.

Publications in Hindi brought out by Ministry of Irrigation and Power

4709. **Shri Yamuna Prasad Mandal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether 'Bhagirath' and other informative literature are brought out by his Ministry in English only ;

(b) the names of the publications brought out by the Ministry language-wise ;

(c) whether efforts for bringing out 'Bhagirath' in Hindi have been given up and if so, the reasons therefor ; and

(d) the arrangements being made for bringing out reports and other publications etc. of his Ministry in Hindi and other Indian languages with a view to acquainting the rural people with the development works as they are directly concerned with the development of irrigation and power in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Baij Nath Kureel) : (a) At present Bhagirath (a quarterly journal) is published in English only. Selected publicity literature is also published in English, Hindi and regional languages.

(b) The names of the publications are given in the Statement enclosed. [**Placed in the Library. See. No. LT—652/71**].

(c) No, Sir.

(d) The Annual Report and Performance Budget of this Ministry are published in Hindi also. As for other publications and literature, only such of them as are of general interest and non-technical in nature are published in Hindi and other regional languages.

अजमेर और ब्यावर के बीच चलने वाली शटल गाड़ी में यात्रियों की असुविधा

4710. **श्री बशवेश्वर नाथ भार्गव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे की अजमेर और ब्यावर के बीच चलने वाली शटल गाड़ी में भारी भीड़ के कारण यात्रा करने वाली स्थानीय जनता को बहुत कठिनाई होती है ;

(ख) क्या रेलवे अधिकारियों के पास अनेक बार पहुंचने और अभ्यावेदन देने के बावजूद भी उन्होंने उक्त शटल गाड़ी में तीसरी श्रेणी के कुछ और डिब्बे नहीं लगाये हैं ; और

(ग) रेलवे अधिकारियों का इस गाड़ी में भीड़ को कम करने के लिये तीसरी श्रेणी के कुछ और डिब्बे किस तारीख तक जोड़ने का विचार है ?

रेल मन्त्री (श्री हनुमंतैया) : (क) से (ग). नवम्बर, 1970 में की गयी गणना के अनुसार, अजमेर और ब्यावर के बीच चलने वाली दो जोड़ी शटल गाड़ियों में से एक अर्थात् नं० 182/183 पर कुछ भीड़-भीड़ देखी गयी थी। इन शटल गाड़ियों में सामान्यतः 5 सवारी बोगियां और अधिक से अधिक 6 सवारी बोगियां लगती हैं। 28-6-1971 से इस गाड़ी में 6 बोगियां लगायी जा रही हैं। यातायात के वर्तमान स्तर को देखते हुए और अधिक डिब्बे लगाने की आवश्यकता नहीं दिखायी देती।

Blockade of Roads passing though Railway Colonies by the Railway authorities at Kotah

4711. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Kotah Railway colony and Workshop are surrounded by old villages and the footpaths leading to these villages pass through the Railway colonies ;

(b) whether the railway authorities have blocked the footpaths to the villages by erecting angle-iron and if so, the reasons therefor ;

(c) whether the Railway employees constitute 60 per cent of the population of these villages ; and

(d) if so, the arrangements made by Government for the movement to and from these villages during the rainy season ?

The Minister of Railways (Shri Hanumanthaiya) : (a) There is only one village named Sugharia situated on the east side of the Railway Colony and Workshop. On the west side, Kota City is situated while on the north and south there are open fields. The approach to this village is by a fair weather road connecting the level crossing at the north end of Kota Junction station.

(b) No.

(c) Some of the Railway employees stay in the village. The exact percentage is not known.

(d) Does not arise in view of reply to part (b) above.

आंध्रप्रदेश के बाढ़पीड़ित लोगों को केन्द्रीय सहायता

4712. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बाढ़ संरक्षण कार्यों हेतु कितने ऋण के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) अब तक कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ग) क्या राज्य में बाढ़ के कारण मानव जीवन, पशुधन, फसल और सम्पत्ति की औसत प्रति-वर्ष हानि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). चौथी योजना के प्रारम्भ से ही राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता की व्यवस्था ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में की जाती है और इन्हें किसी विशेष परियोजना या विकास-शीर्ष के साथ नहीं बांधा जाता।

आन्ध्र प्रदेश के समुद्रतटीय जिलों में, जो 1969 में तूफान से बुरी तरह पीड़ित हुए थे, कृष्णा-गोदावरी डेल्टा जल-निकासी स्कीम को प्रारम्भ करने के लिए 1969-70 के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार को रु० 3 करोड़ की योजना से भिन्न ऋण सहायता की मन्जूरी दी गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस स्कीम का कार्यान्वियन तेजी से करने के लिए 1970-71 में 4 करोड़ रुपये की और 1971-72 में 2 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता के लिए निवेदन किया, लेकिन भारत सरकार इस निवेदन से सहमत न हो सकी।

(ग) आंध्र प्रदेश में बाढ़ों और जल-निकासी के अवरुद्ध हो जाने के कारण हुई औसत वार्षिक हानि की मात्रा नीचे लिखे अनुसार है :—

		फसल को नुकसान		मकानों को नुकसान		
प्रभावित क्षेत्र लाख हेक्टयरों में	प्रभावित जन-संख्या लाखों में	क्षेत्रफल लाख हेक्टेयरों में	मूल्य लाख रुपयों में	संख्या	मूल्य लाख रुपयों में	पशुओं को नुकसान संख्या
1	2	3	4	5	6	7
2.8	25.0	1.8	1267	60476	439	27908

मानव प्राणों की हानि संख्या	सरकारी उपयोग की सम्पत्ति को नुकसान लाख रुपयों में	जोड़ फसल, घरों और सरकारी उपयोग को नुकसान लाख रुपयों में
8	9	10
134	465	1760

नागार्जुनसागर तथा हैदराबाद के बीच रेल सम्पर्क

4713. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के महत्व के कारण नागार्जुनसागर को हैदराबाद के साथ रेल द्वारा जोड़ने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्री (श्री हनुमन्तैया) : (क) से (ग). सिकन्दराबाद (बीबीनगर) से नडिकुडे तक नई लाइन (गुन्टूर माचेर्ला मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के काम सहित) बिछाने के

लिए हाल ही में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्टों की अभी रेलवे बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। नई लाइन सम्भवतः 151 किलोमीटर लम्बी होगी और इस पर लगभग 12.52 करोड़ रुपये खर्च आयेंगे। 130 किलोमीटर लम्बी लाइन का आमान परिवर्तन किया जाना है और इस पर लगभग 6.98 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

भारत के संविधान का अनुवाद

4714. **श्री बी० एस० मूर्ति** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का संविधान कितनी भाषाओं में उपलब्ध है ;

(ख) ये अनुवाद किस एजेंसी के द्वारा किये जाते हैं ; और

(ग) क्या उन्हें जारी करने से पहले सम्बद्ध राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) भारत के संविधान का एक अद्यतन पुनरीक्षित अंग्रेजी संस्करण 1969 में प्रकाशित किया गया था। इसकी प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली के पास सार्वजनिक विक्रय के लिये उपलब्ध हैं। संविधान का 1957 के दिसम्बर 1 तक यथा उपान्तरित द्विभाषी संस्करण, जिसमें अंग्रेजी पाठ तथा उसका हिन्दी अनुवाद आमने-सामने हैं, 1959 में विधि मंत्रालय ने प्रकाशित किया था। चूंकि यह संस्करण बहुत पहले निकला था इसलिये हो सकता है कि उसकी प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, दिल्ली के पास अब उपलब्ध न हों। अन्य भाषाओं में संविधान के अनुवाद उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). संविधान का एक अद्यतन हिन्दी अनुवाद राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया है। उसकी संवीक्षा हो रही है। राजभाषा (विधायी) आयोग ने अन्य भाषाओं में भी संविधान के अनुवाद तैयार किए हैं जिनको सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से इस समय पुनरीक्षित किया/अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संविधान का हिन्दी में या किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में कोई अद्यतन रूपान्तर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में
RE : CALL ATTENTION

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संसद् की यह निर्धारित प्रक्रिया है कि सत्र काल में नीति सम्बन्धी वक्तव्य पहले सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए और उसके पश्चात समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिये। किन्तु सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री ने कावेरी जल के सम्बन्ध में यह सूचना समाचारपत्रों को पहले दी है कि इस मामले को बातचीत करके सुलझाया जायेगा तथा इसे न्यायाधिकरण को नहीं सौंपा जायेगा। केन्द्र सरकार अन्तर्राज्यीय विवादों के सम्बन्ध में हमेशा मनमानी करती है तथा भेदभाव पूर्ण नीति अपनाती है। मैं यह जानना चाहता हूं, कि उस निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैंने वक्तव्य देखा है उसमें नीति की कोई बात नहीं है। मैंने श्री बालतण्डायुतम के प्रश्न को भी पढ़ लिया है। यदि तमिलनाडु के सदस्यों को

अनुपस्थित सदस्यों के सम्बन्ध में कोई कठिनाई है तो मैं इस बात को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रख दूंगा तथा यदि कोई समय दिया गया तो मुझे कोई समय निर्धारित करने में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कावेरी जल विवाद

श्री एन० शिवप्पा (हसन) : मैं सिंचाई और विद्युत् मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

'तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के कथित वक्तव्य तथा तमिलनाडु विधान सभा द्वारा पारित कथित संकल्प जिसमें यह मांग की गयी है कि केन्द्रीय सरकार कावेरी जल-विवाद को एक न्यायाधिकरण को सौंपे तथा मैसूर सरकार को कावेरी बेसिन में हेमवती और अन्य परियोजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ करने से रोके ।'

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० के० एल० राव) : तमिलनाडु विधान मंडल के संकल्प और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का वक्तव्य प्राप्त हो चुके हैं । कावेरी विश्व की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली नदियों में से है । इसकी घाटी में सिंचाई का कार्य सदियों से होता रहा है । इसकी घाटी में, अभी तक बहुत से ऐसे बड़े क्षेत्र हैं, जहां सिंचाई के लिये पानी नहीं है । यह नदी मैसूर, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है और ये तीनों ही राज्य कावेरी के जल की मांग करते हैं । तमिलनाडु और केरल राज्यों की ओर से यह अभिवेदन किया जाता रहा है कि इस मामले का निपटारा 1956 के अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम के अन्तर्गत इसे किसी न्यायाधिकरण को सुपुर्द करके कराया जाए । दूसरी ओर मैसूर सरकार का यह कहना है कि जिन परियोजनाओं को हाथ में लेने का उनका प्रस्ताव है, वे न सिर्फ अनिवार्य हैं बल्कि वे जल के उनके न्यायोचित रूप से आवंटित भाग के भीतर हैं और इस मामले को न्यायाधिकरण को सुपुर्द करना आवश्यक नहीं है । इस बात के प्रयास किए गए हैं कि इस विवाद का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से ही किया जाए ।

चूंकि मैसूर में निर्वाचित सरकार नहीं है, इसलिये समझौते में किसी निर्णायक स्थिति पर पहुंचना कठिन हो रहा है । फिर भी हम इस बात के सुनिश्चय के लिए प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच संबंधित विभिन्न राज्यों के साक्षेप दावों को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे ।

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है, वह इस सदन में पारित एक कानून का उल्लंघन करता है । अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा चार के अन्तर्गत यदि कोई राज्य किसी मामले को न्यायाधिकरण को सौंपे जाने की मांग करता है तो केन्द्रीय सरकार का यह कर्तव्य है कि वह उसे न्यायाधिकरण को सौंपे । मंत्री महोदय ने कहा है कि बातचीत असफल रही हैं, अतः यह अनिवार्य है कि इस मामले को न्यायाधिकरण को सौंपा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री एन० शिवप्पा : महोदय, ऐसी स्थिति में जब मैसूर में लोक प्रिय सरकार नहीं है मंत्री महोदय ने इस समस्या को व्यावहारिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने किसी का पक्षपात नहीं किया। अतः मैं उनको बधाई देता हूं। इस करार पर हस्ताक्षर किये जाने के समय से ही हम केन्द्रीय सरकार से कुछ योजनाओं की मंजूरी तथा उनकी क्रियान्विति के लिये धन दिये जाने का निवेदन करते रहे हैं किन्तु खेद है कि अभी तक केन्द्रीय सरकार ने एक पैसा भी नहीं दिया। मंत्री महोदय इस समस्या को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं जिससे विभिन्न राज्यों में आर्थिक प्रगति हो सके। हम सिंचाई सुविधाओं को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 15 प्रतिशत करना चाहते हैं। अन्य राज्य 40 प्रतिशत सुविधाओं का उपयोग करते हैं तथा उन्होंने हमारे भाग के जल का भी उपयोग किया है। मैटूर बांध से 3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जानी थी, जबकि वे 10 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भवानी और अमरावती परियोजना का निर्माण भी केन्द्र सरकार से परामर्श किए बिना कर लिया गया है। मैसूर सरकार के विरोध करने पर भी हमारे भाग के जल का उपयोग किया जाता रहा है। वास्तव में 1892 का करार दो असमान भागीदारों का करार था। हम उस करार को मानने को तैयार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जिन नदियों का उल्लेख अनुसूची में नहीं, उनके बारे में तकनीकी अनापत्तिपत्र दिया जाये, क्योंकि उनके बारे में कोई करार नहीं है। इस मामले में तमिलनाडु को शोर नहीं करना चाहिए। मैसूर सरकार केन्द्र से कुछ परियोजनाओं के बारे में तकनीकी स्वीकृति देने तथा उन परियोजनाओं के लिये आर्थिक सहायता देने का अनुरोध कर रही है। अतः सरकार को सदन में इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं किसी माननीय सदस्य की कोई आलोचना नहीं करना चाहता।

डा० के० एल० राव : कावेरी बेसिन पर अनुसूची से रहित नदियों पर परियोजनाओं की स्वीकृति के बारे में कोई कठिनाई नहीं है, वह दे दी जायेगी। जहां तक अनुसूची-बद्ध नदियों पर परियोजनाओं के निर्माण का प्रश्न है, उन पर सरकार सावधानी से विचार करेगी तथा जब तक सभी सम्बद्ध पक्ष सहमत नहीं हो जाते, तब तक उन परियोजनाओं की स्वीकृति देना सम्भव नहीं है।

Shri Mukhtiar Singh Malik (Rohtak) : Sir, Cauvery Waters Dispute is a long standing problem and I am sorry to observe that the Central Government have adopted the practice of making such issues more complicated and confounded rather than solving them expeditiously. It has been stated by the hon. Minister that 'in the absence of an elected Government in Mysore, it is difficult to bring negotiations to a conclusive stage'. May I know as to what steps were taken by the Central Government to solve this problem when the popular Government was in existence in Mysore?

It is something very strange that Mysore have already started constructing Dam on Cauvery tributaries and now they are requesting for the clearance of the project.

This dispute does not concern only two States. Its Catchment area covers Calicut District also and as such Kerala State is also concerned in the matter. Tamil Nadu Government have been demanding that this dispute should be referred to the Tribunal on the plea that the construction of Dam will affect the supplies of water to Tamil Nadu. The hon. Minister has said that they are endeavouring to ensure that relative claims of different States concerned are not prejudiced. May I know the steps taken to safeguard the interests of all the concerned States?

I also want to know whether the hon. Minister is prepared to assure the House that the irrigation facilities available to Tanjore and Tiruchi districts of Tamil Nadu would not be affected with the construction of Dam undertaken by Mysore Government.

May I also know the names of the States which approached the Central Government on this dispute? Was any meeting called by the Centre to arrive at a conclusion? What are the steps taken by the Centre after the break down of talks?

Will the hon. Minister let me know whether under any agreement or negotiations the percentage of water was fixed for the concerned States, and if so, whether it was reported to the Central Government by any State Government that they were denied their fixed percentage of water? May I also know whether any State Government ever approached the Centre for the sanction of any project or dam? **(Interruption)**

डा० के० एल० राव : भारत सरकार गत चार वर्षों से इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयत्न करती रही है। हमें अब भी यह आशा है कि कोई समझौता हो जायेगा। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन समस्याओं पर भावावेश में न बहें। इस प्रकार की अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे कि रावी-व्यास जल विवाद आदि। किन्तु इन सभी समस्याओं को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं।

मैसूर में लोक प्रिय सरकार न होने के कारण इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। तथापि मैं चाहता हूं जिन माननीय सदस्यों ने इस समस्या का अध्ययन किया है, उनके साथ विचार-विमर्श करके इसका कोई समाधान खोजा जाये। मैं इस विवाद को शीघ्र सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं तथा तीनों राज्यों के सदस्यों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श से कोई समाधान निकालना चाहता हूं।

माननीय सदस्य निश्चित रहें कि तंजोर और तिरुची जिलों की सिंचाई सुविधाओं पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह क्षेत्र जितना तमिलनाडु के लिये पावन है उतना ही भारत के लिये भी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड की समीक्षा तथा 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनश्याम ओझा) : मैं श्री मोइनुल हक चौधरी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 642/71]**

जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली के 26 जून, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जल और विद्युत विकास परामर्शदात्री सेवा (भारत) लिमिटेड, नई दिल्ली का 26 जून, 1969 से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रंथालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 643/71]**

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

श्री सी० सी० देसाई (साबरकंठा) : मैं समन्वेषी नल-कूप संगठन सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1970 के पैराग्राफ 36 के बारे में लोक लेखा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग की मांगों पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा, जिसके लिये छः घन्टे का समय निर्धारित किया गया है।

जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव रखना चाहें, वे 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर अपनी पर्चियां रख दें। उन्हें प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

वर्ष 1971-72 के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
6	शिक्षा विभाग	1,00,57,000
7	शिक्षा	73,12,86,000
8	शिक्षा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	2,49,59,000
9	समाज कल्याण विभाग	16,11,000
10	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	4,91,29,000
113	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,44,55,000
98	संस्कृति विभाग	21 42,000
99	पुरातत्व विभाग	1,41,24,000
100	संस्कृति विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,36,44,000

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : महोदय, इस बार तीनों विभागों की मांगों पर एक साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और केवल छः घन्टे का समय दिया गया है जबकि शिक्षा मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग की मांगों पर चर्चा करने के लिये अलग अलग चार-पांच घन्टे निर्धारित किये जाते रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा। मेरा सुझाव है कि इसके लिए आठ घन्टे का समय मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : चार घन्टे के समय को बढ़ाकर छः घन्टा किया गया है।

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : यह दुर्भाग्य की बात है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों और उनकी समस्याओं पर चर्चा करने हेतु हमें हर बार समय के लिए झगड़ना पड़ता है।

श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप) : हमें प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 1970 को अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया है और इस सम्बन्ध में अनेक सम्मेलनों, गोष्ठियों और कार्यक्रमों का आयोजन करके हमारे समक्ष प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों के विचार रखे हैं। परन्तु क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष को किसी अन्य रूप में नहीं मना सकते थे ? क्या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा को निःशुल्क घोषित करके नहीं मनाया जा सकता था ? क्या हम राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को बदल कर और शिक्षा के लिए वार्षिक बजट में अधिक धन रखकर तथा शिक्षा पर अधिक ध्यान देकर इस वर्ष को नहीं मना सकते थे ? बजट पर निगाह डालने से पता

चलता है कि भारत सरकार की परम्परागत शिक्षा नीति की मूल कमजोरियों और कमियों को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। 'अशिक्षा हटाओ' के बिना 'गरीबी हटाओ' आन्दोलन सफल नहीं हो सकता था। शिक्षा के लिए बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के 24 वर्ष बाद भी केवल 30 प्रतिशत लोग अपनी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। इस रफ्तार से भारत से निरक्षरता दूर करने में 100 वर्ष से अधिक समय लग जायेगा। विश्व की आधी अशिक्षित जनता भारत में है। यह हम पर कलंक है। हमारे देश में शिक्षा नीति के नाम पर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई उपनिवेशवादी शिक्षा की परम्परागत नीतियों को जारी रखा जा रहा है।

शिक्षा के बारे में जब कभी कोई मामला उठाया जाता है तो सरकार संवैधानिक उपबन्धों का आश्रय लेकर कह देती है कि शिक्षा राज्य का विषय है। परन्तु इस प्रकार वह अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकती। गत 20 वर्षों में शिक्षा सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। क्या सरकार को संविधान के अनुच्छेद 45 में दिये गये वचन को पूरा नहीं करना चाहिये था? सरकार का दूसरा बहाना धन का अभाव है। यदि सरकार पुलिस, सेना और नौकरशाही को प्रसन्न करने के लिये प्रशासन पर खर्च बढ़ा सकती है तो क्या सरकार बजट की कुल राशि में से शिक्षा के लिये 1.5 प्रतिशत से अधिक राशि की व्यवस्था नहीं कर सकती। पंडित नेहरू ने यहां तक कहा था कि प्राथमिक शिक्षा अनाज और आवास से भी अधिक आवश्यक है। हाल ही में सरकार ने परिवार नियोजन की अत्यन्त आवश्यकता को अचानक महसूस किया है और इस कार्य के लिये 145 लाख रुपये की व्यवस्था को बढ़ाकर चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये 330 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि सरकार शिक्षा का प्रचार करे तो उससे जन्म दर घटाने में अधिक सहायता मिलेगी। आर्थिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को भी यही स्थिति है।

सरकारी प्रतिवेदनों के अनुसार 700 करोड़ रुपये का आयकर अभी बकाया है और वांचू समिति के अप्रकाशित प्रतिवेदनों के अनुसार प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपये का कालाधन जमा होता है। यदि इतनी बड़ी राशि का कुछ भाग भी वसूल कर लिया जाये तो देश की बहुत-सी समस्याओं का संतोषपूर्वक समाधान किया जा सकता है। जब पश्चिम बंगाल की दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार ने राज्य में आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिये 6 करोड़ रुपये मांगे थे, तब सरकार ने उस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। यह शर्म की बात है। हम सरकार की शिक्षा नीति का मूल्यांकन करने की मांग करते हैं। हमारी यह मांग है कि केन्द्रीय सरकार के बजट की कम से कम दस प्रतिशत राशि शिक्षा के लिये निर्धारित की जाये।

प्रत्येक राज्य को शिक्षा का अपना तरीका अपनाने की छूट है। इसका परिणाम यह है कि भिन्न-भिन्न स्कूल और कालेज भिन्न-भिन्न शिक्षा कार्यक्रम चला रहे हैं और उनके अध्यापकों के वेतन-मान भी अलग-अलग हैं। कोई समान शिक्षा नीति नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अनुपस्थिति में राष्ट्रीय एकता उपहास मात्र है, इस सम्बन्ध में आल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन ने वर्ष 1967 में एक गोष्ठी में एकीकृत राष्ट्रीय समान शिक्षा नीति के बारे में कुछ सिफारिशें की थीं; आशा है कि उन सिफारिशों पर उचित ध्यान दिया जायगा।

आजकल विद्यार्थियों की स्थिति बहुत दयनीय है। उनके पास खाना, कपड़ा, पाठ्यपुस्तकों तथा जीवन की आवश्यकताओं की अत्यन्त कमी है। वे जानते हैं कि परीक्षा पास करने के बाद

वे भी बेरोजगार व्यक्तियों की सूची में सम्मिलित हो जायेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आज के युवक असन्तुष्ट अथवा निराश हों तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जब बड़े लोगों ने उनके लिये सभी द्वार बन्द कर दिये हैं तब उनके लिये राजनीतिक गतिविधियों के माध्यम से अपना रोष व्यक्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। हम तथाकथित सांस्कृतिक क्रान्ति के विरुद्ध हैं। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन सब गतिविधियों के लिये शिक्षा के प्राधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। ये लोग ही इस खराब शिक्षा प्रणाली के लिये जिम्मेदार हैं। हमारी स्कूल प्रणाली में बहुत दोष तथा कदाचार हैं। अध्यापकों को कम वेतन दिया जाता है और खातों में अधिक दिखाया जाता है। वैसे भी उनके वेतन बहुत कम हैं। कोठारी आयोग ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। भारत में स्कूल अध्यापकों के लिये राष्ट्रीय वेतनमान निर्धारित करने की आवश्यकता है।

हमने निरक्षरता के संबंध में चर्चा की है परन्तु पिछड़े वर्गों में शिक्षित लोगों की दर और भी कम है। वर्ष 1961 में शिक्षित व्यक्तियों की दर लगभग 24 प्रतिशत है परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में यह प्रतिशतता क्रमशः 10.2 और 8.5 रह जाती है। सरकार ने कोटा निर्धारित किया हुआ है परन्तु प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले हैं। एन० सी० ई० आर० टी० में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 720 अधिकारी हैं परन्तु उनमें से केवल चार अधिकारी अनुसूचित जातियों के हैं और अनुसूचित आदिम जातियों का एक भी नहीं है। यदि शिक्षा मंत्रालय के अधीन यह स्थिति है तो देश के अन्य स्थानों पर क्या स्थिति होगी ? यदि इस भेदभाव को दूर नहीं किया गया तो अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ तो क्रान्ति हो जायेगी।

शिक्षा मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	6	श्री सरोज मुखर्जी	पश्चिमी बंगाल के लिये अधिक धनराशि स्वीकृत करने में, जिससे वहां कक्षा 11 तक पढ़ने वाले छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके, असफलता।	100 रुपये
7	7	श्री सरोज मुखर्जी	उन महाविद्यालयों में, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत हैं, अध्यापकों तथा गैर-अध्यापक कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन योजना लागू करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
9	8	श्री सरोज मुखर्जी	पश्चिम बंगाल में हुगली जिले में पांडवा, बालागढ़ और बर्दवान जिले के मेमादी-कलना क्षेत्र में रहने वाले निर्धन भूमिहीन लोगों में, विशेषकर खेतमाजून और आदिजाति तथा आदिवासियों में बड़े पैमाने पर साक्षरता अभियान चलाने और उनको प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था करने में असफलता ।	100 रुपये
6	12	श्री रामावतार शास्त्री	समूचे देश में एक ही पाठ्यक्रम लागू करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
6	13	श्री रामावतार शास्त्री	देश में अध्यापकों को समान वेतनक्रम तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
6	14	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा को कम व्यय वाली और जनसाधारण के लिये सुलभ बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
6	15	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
6	16	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा को रोजगार-परक बनाने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
6	17	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा के क्षेत्र में अमरीकी घुसपैठ को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
6	18	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जाययते-इस्लामी जैसे साम्प्रदायिक तत्वों के प्रभाव को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	19	श्री रामावतार शास्त्री	प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्रों के लिये और अधिक छात्रावासों का निर्माण करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	20	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा-शुल्क घटाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	21	श्री रामावतार शास्त्री	प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	22	श्री रामावतार शास्त्री	पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	23	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार सरकार को शिक्षा के लिये और अधिक सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	24	श्री रामावतार शास्त्री	पटना विश्वविद्यालय को विशेष वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	25	श्री रामावतार शास्त्री	श्री काशी विद्यापीठ को पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	26	श्री रामावतार शास्त्री	सारे देश में प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	27	श्री रामावतार शास्त्री	केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों को प्रायः स्थानान्तरित करने की नीति को समाप्त करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	28	श्री रामावतार शास्त्री	छात्रों में व्याप्त अनुशासनहीनता के मुख्य कारणों को दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	29	श्री रामावतार शास्त्री	छात्रों की अनुशासनहीनता को रोकने में असफलता ।	100 रुपये
7	30	श्री रामावतार शास्त्री	तकनीकी शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	31	श्री रामावतार शास्त्री.	छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये अधिक धनराशि नियत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	32	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिये अधिक धन देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	33	श्री रामावतार शास्त्री	पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए अधिक धनराशि देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	34	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू माध्यम वाले स्कूलों को समुचित ढंग से चलाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	35	श्री रामावतार शास्त्री	उर्दू, बंगला और उड़िया भाषी छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का उत्तर अपनी मातृभाषा में देने का अधिकार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	36	श्री रामावतार शास्त्री	मास्को स्थित लुमुम्बा विश्वविद्यालय में और अधिक भारतीय छात्र भेजने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	37	श्री रामावतार शास्त्री	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परिसर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय को हटाने में असफलता।	100 रुपये
7	38	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने में असफलता।	100 रुपये
7	39	श्री रामावतार शास्त्री	विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को भंग कर उनके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	40	श्री रामावतार शास्त्री	शिक्षा पर अधिक धनराशि व्यय करने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	41	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली विश्वविद्यालय में अमरीकी प्रचार को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	42	श्री रामावतार शास्त्री	दिल्ली विश्वविद्यालय में साम्प्रदायिक तत्वों को दूर करने में असफलता।	100 रुपये
7	43	श्री रामावतार शास्त्री	एन० सी० ई० आर० टी०, अजमेर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता।	100 रुपये
7	44	श्री रामावतार शास्त्री	एन० सी० ई० आर० टी०, अजमेर के कुछ अध्यापकों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने से रोकने में असफलता।	100 रुपये
7	45	श्री रामावतार शास्त्री	एन० सी० ई० आर० टी०, अजमेर के कुछ राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ समर्थक छात्रों के लिये सरकारी छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जाना।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
7	46	श्री रामावतार शास्त्री	ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि-श्रमिकों को शिक्षित करने की योजना प्रारम्भ करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
7	47	श्री रामावतार शास्त्री	आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े वर्गों के प्रति किये जाने वाले शोषण को समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
7	48	श्री रामावतार शास्त्री	मेहतरों द्वारा सिर पर मलमूत्र ले जाये जाने की प्रथा को समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
9	49	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों और आदिवासियों के प्रति सामाजिक उत्पीड़न को समाप्त करने में असफलता ।	100 रुपये

Dr. Govind Das (Jabalpur): This era will be remembered a age of reconstruction. We have achieved much success in the production of material goods but so far as the question of building new generation is concerned we have achieved little success.

I have studied the educational system of various countries and I have found that our system is most defective. After independence we have paid much attention towards it. A Commission under the chairmanship of the former President of India Dr. Radhakrishnan was appointed. Two other Commissions were also set up to suggest improvements in the Higher Secondary system of education. But it is unfortunate that the recommendations of that Commission have not been implemented.

I am not opposed to material progress. Indian culture is the oldest in the world. We can see our old traditions and culture in our daily life. We have ignored our religion absolutely. The word religion has very wide meanings and it should not be used in a narrow sense. Actually we have interpreted wrongly that word secularism in our Constitution. Similarly wrong interpretation has been given to the word communalism. The Commission set up under the chairmanship of Shri Prakashji emphasised the need of imparting religious education to the children for moral and ethical reasons. Kothari Commission also asserted that religious education should be given to the children. Unless we teach religion to our children we will not be able to build their character. Shri Vinoba Bhave has said that in the name of secularism we are not teaching religion to our children. We should have taught the substance of all the religions to them. Several Western scholars have expressed themselves in favour of teaching religion. Mr. Albert Insteen has gone further and said that he believes in the existence of God.

So far as socialism in concerned it is bound to come. But the protagonists of socialism have accumulated wealth from all possible sources. Few days back Dr. Radhakrishnan has said that "without a spiritual recovery the Scientific achievements threaten to destroy us." I would say that there is a need to bring drastic changes in our educational system.

It was unanimously decided in the conference of vice-chancellors in 1967 that medium of education in the Universities will be regional languages. The Government of India had also accepted this recommendation. It was also decided that translation of various works will be done. But uptill now 20-25 books of Graduate Standard has been published. This is how we are progressing in this field. I will request the education Minister to look into all these things. With these words I conclude.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : देश में समाजवाद लाने के लिए शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 23 वर्ष बाद भी देश के 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। शेष 30 प्रतिशत में ये लगभग 50 प्रतिशत ऐसे हैं जो केवल हस्ताक्षर ही कर सकते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेक आयोग नियुक्त किये गये और अभी एक महीना पहले कोठारी आयोग प्रतिवेदन का दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया था। इसी प्रकार डा० गजेन्द्रगडकर के अध्यक्षता में बनाये गये आयोग का भी प्रतिवेदन आ गया है। प्रश्न यह है कि क्या इनको क्रियान्वित किया जायेगा ? हम आयोग पर लाखों रुपये व्यय करते हैं और फिर उनके प्रतिवेदनों को पुस्तकालयों में रख दिया जाता है और उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती।

क्या प्राइमरी शिक्षा के बारे में सरकार की कोई नीति है। मेरे विचार में नहीं। यह कहा जा सकता है कि प्राइमरी शिक्षा पर अधिक से अधिक धन व्यय किया जा रहा है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। इसका केवल मात्र अर्थ यह है कि हम बिना किसी उद्देश्य के धन खर्च कर रहे हैं। यदि पहली कक्षा में 100 बच्चे दाखिल होते हैं तो पांचवीं तक पहुंचते पहुंचते उनमें ये 60 बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। क्या इसके कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया है ? माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। परन्तु विकसित देशों में उद्देश्यपूर्ण शिक्षा दी जाती है। उद्देश्यपूर्ण शिक्षा में अनेक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा के पश्चात विद्यार्थी कालेजों में अधिक ज्ञान प्राप्त करने अथवा अनुसंधान करने के उद्देश्य से नहीं जाते बल्कि वे डिग्री प्राप्त करने जाते हैं क्योंकि वह समाज में रुतबे का एक चिह्न समझा जाता है। माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रशासनिक नौकरियां के योग्य होना चाहिए।

विश्वविद्यालय की शिक्षा केवल विशेषीकृत अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए होनी चाहिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा अनुसंधान प्रदान होनी चाहिए।

क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसा या फासिस्ट संगठन बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है। गजेन्द्रगडकर आयोग ने यह कहा था कि इस संगठन को कैम्पस के भीतर गतिविधियां जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परन्तु इस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया गया।

मैंने हाल में एक पब्लिक स्कूल की एक पाठ्यपुस्तक को पढ़ा तथा जिसमें बच्चों को स्टेट का डिवाइन ओरिजिन थ्योरी के बारे में बताया जाता है परन्तु हम समाजवाद की बातें कर रहे हैं। उसमें यह बताया गया था कि पुलिसमैन को सीधे भगवान से शक्ति प्राप्त होती है। हमारी पाठ्य-पुस्तकों की यह स्थिति है।

पाटलीपुत्र मेडिकल कालेज को बन्द करना पड़ गया है हालांकि वहां पर शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से 16,000 रुपये लिए जाते थे। उसमें विदेशों से भी अनेक विद्यार्थी

शिक्षा ग्रहण करने आये थे। उस कालेज को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की मांग की गई है ताकि विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।

देश में इस समय लगभग 60,000 इंजीनियर बेकार हैं। कुछ दिनों में डाक्टरों की भी यही स्थिति होगी। परन्तु हमारे शिक्षा विभाग में जनशक्ति के बारे में कोई योजना नहीं है।

अध्यापकों ने अपनी दयनीय स्थिति के बारे में एक ज्ञापन दिया है। इसके बावजूद भी अनेक संगठन बनाये गये हैं। पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर बनाई थी। उसमें 7,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया था। अब यह कहा जा रहा है कि यह राज्य का विषय है और इस प्रकार उनकी नौकरी खतरे में पड़ गयी है।

पी० एल० 480 की राशि को शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है इसमें हमारी शिक्षा प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिए भी इस दिन का प्रयोग किया जा रहा है। 1968 में अमरीकी प्रोफेसरों का एक दल राजस्थान मरुस्थल के सर्वेक्षण के लिए भारत आया था। यह दल वास्तव में सी० आई० ए० की गतिविधियों में लगा हुआ था। इस बारे में सभा में चर्चा भी हुई थी। मैं जानता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है। अतः मैं मांगों का समर्थन नहीं कर सकता।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री पी० एन्थनी रेड्डी (अनन्तपुर) : धर्म निरपेक्षता के नाम पर हमने भावानात्मक मूल्यों की पूर्णतया उपेक्षा की है जिस कारण विद्यार्थियों में असंतोष फैल गया है। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विदेशों से सहायता लेना बुरा नहीं है।

यह ठीक है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात स्कूली बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं लिया जा सकता कि उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है।

प्राइमरी तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसा कोई संगठन बनाया जाना चाहिए।

चौथी पंचवर्षीय योजना में स्कूलों सम्बन्धी धनराशि को घटाकर 5-2 प्रतिशत कर दिया गया है हालांकि स्कूलों तथा स्कूली बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि हमें शिक्षा स्तर को बढ़ाना है तो इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिए।

विभिन्न देशों की तुलना में हमारा शिक्षा स्तर नीचा है। जहां तक कि चीन से भी हमारा स्तर बहुत कम है। शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए मेरे विचार में यह समय उचित है।

हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि हम अब भी अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई शिक्षा प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं। इसमें परिवर्तन लाने के लिए हमने पर्याप्त कार्य नहीं किया है। यही कारण है कि हमारे देश में शिक्षित बेरोजगारों की बहुत अधिक संख्या है।

मुदलियार तथा कोठारी आयोग ने एक अवस्था विशेष में शिक्षा में विविधिकरण की सिफारिश की थी। परन्तु इसको हमने इस ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जिससे इसके प्रभाव का पता लग सके।

यह सर्वविदित तथ्य है कि शिक्षा में लगाई गई पूंजी आर्थिक विकास की अस्ति होती है। परन्तु श्री हुबरमैन ने कहा कि साहित्य शिक्षा में लगाई गई पूंजी आर्थिक अस्ति सिद्ध नहीं हो सकती।

जब तक हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा प्रारम्भ नहीं की जायेगी तब तक बेरोजगार शिक्षित लोगों की समस्या हल नहीं होगी। उनकी संख्या बढ़ती ही जायेगी। व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। अतः इस प्रश्न पर पुनः विचार किया जाये। जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का सम्बन्ध है हमारे देश में 70 प्रतिशत प्रौढ़ निरक्षर हैं। किन्तु चौथी योजना में प्रौढ़ शिक्षा के लिए केवल 10 करोड़ रु० की राशि नियत की गई है। मंत्री महोदय को इस राशि को बढ़वाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जहां तक तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध है, यह बड़ी हैरानी की बात है कि हमारे जैसे विकासोन्मुख देश में, जहां तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों के रोजगार के बहुत अधिक अवसर हैं, इंजीनियर या अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोग बेरोजगार हैं। मेरे विचार से हमारे यहां जो तकनीकी शिक्षा दी जाती है इसमें यह दोष है कि उसमें केवल सिद्धांत पर बल दिया जाता है और व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। एक इंजीनियर के लिए आवश्यक होना चाहिए कि वह सिद्धांतों की शिक्षा के बाद उसी क्षेत्र में काम करके व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करे। इस व्यवस्था से तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को अपना काम शुरू करने में कोई कठिनाई न होगी और तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों में बेरोजगारी कम होगी। जापान, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी से हमें यह सीखना चाहिए कि अपने नवयुवकों को किस प्रकार की शिक्षा दें ताकि वे औद्योगिक क्षेत्र में अपने देश को उन्नति कर सकें।

सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद का गठन बड़े अच्छे इरादे से किया था। किन्तु हाल ही में मैं वहां गया तो मैंने वहां के कर्मचारियों को बरामदों में इधर-उधर निरुद्देश्य घूमते देखा। ऐसा लगा मानों वहां अनुसंधान कार्य की कोई योजना ही नहीं है। इस परिषद के बारे में नाग-चौधरी समिति ने यह टिप्पणी ठीक ही की थी कि जो किताबें इस परिषद द्वारा तैयार की गई हैं वे काल्पनिक पाठ्यक्रम के आधार पर लिखी गई हैं। उनके पास यह योजना नहीं है कि कक्षा एक से सात तक के लिए क्या पाठ्यक्रम हो, किन्तु इन कक्षाओं के लिए फिर भी पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। यदि उक्त परिषद से उचित लाभ उठाना है तो उसे गतिशील नेतत्व के नियंत्रण में रखा जाना चाहिए। हाल ही में इस परिषद पर कुछ आरोप लगाये गये हैं, उनके बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। इस परिषद के कर्मचारियों को शिक्षण का अनुभव नहीं है। उन्हें ऐसा अनुभव होना चाहिए। यदि हम अपने देश की प्रगति चाहते हैं, तो हमें अपनी शिक्षा की वर्तमान पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए।

***श्री आर० पी० उलगनम्बी** (वैल्लौर) : श्रीमान, सबसे पहले मैं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को इस बात के लिये बधाई देता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

जातियों के कल्याणार्थ एक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त, एक संसदीय समिति नियुक्त कर दी है और राज्यों के समाज-कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है। साथ ही मैं यह पूछना चाहूंगा कि इन लोगों के कल्याणार्थ उक्त प्राधिकारियों और समितियों ने जो सिफारिशें कीं, उनको किस हद तक क्रियान्वित किया गया है? समाज-कल्याण मंत्रियों के 20 और 21 मई को हुए सम्मेलन में जो निर्णय लिये गये थे उनमें से एक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का था। इस सम्बन्ध में मेरा पहला निवेदन यह है कि यह छात्रवृत्ति ठीक समय पर मिलनी चाहिए और दूसरा यह है कि छात्रवृत्ति की राशि बहुत कम है। यह राशि आज से बीस वर्ष पूर्व निश्चित की गई थी। तब से आज तक जितनी महंगाई बढ़ी है उसे देखते हुए सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कई बार बढ़ाया जा चुका है, संसद सदस्यों के दैनिक भत्ते की राशि, राज्य सभा के उपसभापति और लोक सभा के उपाध्यक्ष का वेतन हाल ही में बढ़ाया गया है। मुझे आपत्ति इस बात पर नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों आदि का वेतन क्यों बढ़ाया गया। मैं तो इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि की जानी चाहिये, क्योंकि अब शिक्षा, रहने और खाने पीने का खर्च पहले से बहुत अधिक हो गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस प्रश्न पर विचार करे और इस छात्रवृत्ति की राशि इतनी निर्धारित करे जिससे छात्र की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सकें। साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विदेशों में उच्च अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां भी उस अनुपात में नहीं मिल रही हैं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। यदि वर्ष 1970-71 के आंकड़े देखें, तो हमें पता चलेगा कि उच्च अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले 300 व्यक्तियों में इन जातियों के छात्र केवल 5 हैं।

जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण का सम्बन्ध है, मेरा यह निवेदन है कि उनके लिये नियत आरक्षण से सम्बन्धित नीति को ठीक से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में कुल 722 अधिकारी श्रेणी एक और श्रेणी दो के हैं, किन्तु उनमें इन जातियों के लोगों की संख्या केवल चार है, जो केवल 0.5 प्रतिशत है। हां, इन लोगों की प्रतिशतता श्रेणी चार में अधिक होती है। सरकारी उपक्रमों में इनके श्रेणी चार के कर्मचारियों की संख्या 21.35 प्रतिशत है, जबकि अन्य श्रेणियों के अधिकारियों की संख्या केवल 0.5 प्रतिशत है, मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में यह सिफारिश भी की गई है कि पदोन्नति के मामले में भी आरक्षण होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के वर्ष 1961 के सिविल अपील संख्या 341 के निर्णय द्वारा भी उक्त सिफारिश का समर्थन होता है। फिर पदोन्नति के मामले में आरक्षण की नीति क्यों नहीं अपनायी जा रही है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में आरक्षण सम्बन्धी नीति की पूर्ण क्रियान्विति के लिये एक अलग कार्यकारी प्राधिकरण नियुक्त किया जाना चाहिए। जहां तक लोक सभा, राज्य सभा और मंत्रि परिषदों में इन जातियों के लोगों का सम्बन्ध है, लोक सभा में इनके कुल 114 प्रतिनिधि हैं, किन्तु राज्य सभा और केन्द्रीय मंत्रि परिषद में उनका प्रतिनिधित्व कम है। इनका प्रतिनिधित्व सेवाओं और राजनीतिक पदों में बढ़ाने के लिए सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिये। यदि ऐसा न किया जायेगा, तो वे एक दिन भड़क उठेंगे।

वर्ष 1969-70 और 1970-71 के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका कारण यह है कि गत एक वर्ष से आयुक्त का

पद रिक्त पड़ा है। अब आयुक्त के कार्यालय के ढांचे में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले, प्रत्येक राज्य में एक सहायक आयुक्त होता था किन्तु अब देश को कुछ जोनों में विभक्त कर दिया गया हैं। प्रत्येक जोन का अधिकारी एक डायरेक्टर है। ये डायरेक्टर डायरेक्टर जनरल के नियंत्रणाधीन हैं। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः मेरा सुझाव है कि पहले वाली व्यवस्था पुनः लागू की जाए। आयुक्त के सम्बन्ध में अन्य सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि उसका कार्यकाल 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाये और मानक्रम पत्र में उनका स्थान 28वें से घटाकर 25वां किया जाये।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है। किन्तु उन्हें शिक्षा आदि की वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं जो हरिजनों और जनजातियों को प्राप्त हैं। इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री, समाज कल्याण मंत्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं। किन्तु मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि ये आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए।

संविधान के अनुसार जाति-पांति की व्यवस्था निस्सन्देह समाप्त हो गई है। अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक पारित किया गया और अधिनियम बन गया। उसके अनुसार अपराधी के लिए 6 महीने के कारावास की सजा या बदले में 500 रुपये दंड की व्यवस्था है। किन्तु यह किस हद तक लागू किया जा रहा है, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा। पटना में 1-4-1969 को हुए विश्व हिन्दू सम्मेलन में पुरी के शंकराचार्य ने कहा था कि हिन्दू धर्म में जाति व्यवस्था को मान्यता प्राप्त है और कुछ व्यक्ति जन्म से ही अछूत होते हैं। इसी आधार पर पुरी के शंकराचार्य पर मुकदमा चलाया गया। किन्तु मजिस्ट्रेट ने उन्हें यह कहकर बरी कर दिया कि 'अस्पृश्यता का प्रचार करना कानून के अन्तर्गत अमराध है किन्तु उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता, जो स्वयं इस बात का अपने जीवन में व्यवहार करता है।' यदि वातावरण ऐसा ही बना रहा तो अस्पृश्यता दूर नहीं होगी। अतः अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम का क्रियान्विति क्षेत्र बढ़ाया जाना चाहिए। यदि जाति-व्यवस्था दूर करनी है तो तालुक या जिला स्तर पर इस प्रयोजन के लिए बोर्ड गठित किया जाना चाहिये। अन्तर्जातीय विवाद के लिये प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए। अन्त में, मेरा यह निवेदन है कि इन लोगों के कल्याण-कार्य के लिये और अधिक राशि नियत की जानी चाहिए।

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य): श्रीमान, संविधान के अनुच्छेद 45 में निदेशक सिद्धांत के रूप में हमने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। किन्तु आज 20 वर्ष बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि 6 से 11 वर्ष तक की आयु के 100 में से 80 बच्चे स्कूलों में प्रवेश पाते हैं और 11 से 14 वर्ष के आयु वाले केवल 35 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं। इस समय 11 से 14 वर्ष तक की आयु के 12 करोड़ बच्चे देश में हैं, जिनमें से अनेक स्कूल नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक पाठशाला की शिक्षा का स्तर बहुत ही घटिया है। उसमें सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश है। इस आयु सीमा के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये जो भी बलिदान आवश्यक हो, किया जाना चाहिए। हमने देश में समाजवादी समाज की स्थापना का बीड़ा उठाया है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या निःशुल्क शिक्षा के अभाव में ऐसा सम्भव है? सभी को शिक्षित करने के कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तभी समाजवादी समाज की स्थापना हो सकेगी और लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकेगा। हमारे समाज में जातिगत एकता नहीं है। जातिगत

भेदभाव को दूर करने के लिये और समाज में एकता लाने के लिये मैं तीन सुझाव देना चाहूंगा । पहला यह है कि सभी जातियों और धर्मों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाये । दूसरा यह कि स्कूलों में सभी बच्चों को एक सी वर्दी पहनायी जाये और स्कूलों में सभी बच्चों को एक समय का खाना दिया जाये जिसे वे सब मिल जुल कर खायें । हमें अगले दस वर्ष तक इस कार्यक्रम को किसी भी कीमत पर लागू करना चाहिए ।

अब मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा को लेता हूं । इन लोगों का सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिये हमें हर हालत में उन तक शिक्षा पहुंचानी है । इन जातियों के छात्रों को हायर सेकेन्डरी स्तर की शिक्षा दी जानी चाहिए । मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं । यद्यपि सरकार भरसक प्रयास कर रही है । फिर भी हायर सेकेन्डरी स्तर की शिक्षा अन्य सवर्ण लोगों की तुलना में इन जातियों के बच्चों को 50 प्रतिशत कम मिल पाती है । अतः इन वर्गों के बच्चों में शिक्षा के प्रसार के लिये हमें जोरदार प्रयास करने चाहिये । इनके बच्चों की शिक्षा के स्तर में भी सुधार होना चाहिये । इनके बच्चों को अच्छी और ऊंचे स्तर की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की व्यवस्था होनी चाहिए । अतः सरकार से मेरी अपील है कि सरकार शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करे और मेरे द्वारा दिये गये सुझावों को क्रियान्वित करे ।

इस बात पर मैं विशेषरूप से बल देना चाहता हूं कि इन जातियों के उन लोगों को, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है, भी वे सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जो इन जातियों के अन्य लोगों को प्राप्त हैं । क्योंकि धर्म-परिवर्तन मात्र से इन लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधर नहीं गई है । अतः इन जातियों के बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए ।

निष्कर्ष रूप में मैं सरकार के सामने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा से सम्बन्धित कुछ समस्यायें रखना चाहता हूं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए । इन जातियों के लोगों में शिक्षा का प्रसार कम क्यों है ? उच्च स्तर की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने में इनके बच्चों को क्या कठिनाइयां होती हैं ? इनके बच्चों के लिए बनाया गया छात्रवृत्ति कार्यक्रम इस समय किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है ? इन जातियों के छात्रों के होस्टलों को इस समय किस प्रकार से रखा जा रहा है ? इन जातियों के विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों के सामने शहरों और गांवों में क्या समस्याएं हैं ? मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार इन समस्याओं की वैज्ञानिक जांच करा कर इनका समाधान करेगी ।

श्री एस० एन० सिंह (औरंगाबाद) : कांग्रेस को 'गरीबी हटाओ' नारे से ही बहुमत मिला है । इस नारे ने ही जादू की छड़ी का सा काम किया है । सरकार पर अब यह भारी दायित्व है कि वह चुनाव में किये गये वचनों का पालन करे और सामाजिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करे । इसके लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जाये । सरकार को शिक्षा पर की जाने वाली राशि को बढ़ाना चाहिये । शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई है जितनी दी जानी चाहिये थी । हमें आशा थी कि श्री सिद्धार्थ शंकर राय इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करेंगे लेकिन उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटा लिया गया है और अब पता नहीं नया शिक्षा मंत्री किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है ।

यदि शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देनी है तो इस मंत्रालय में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिये जो इस पद के लिये उपयुक्त हो।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस बारे में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री डा० राव की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अब सरकार की यह सामान्य नीति हो गई है कि वह किसी बारे में समिति नियुक्त कर देती है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर कार्यवाही नहीं करती।

अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में शिक्षा पर सबसे कम धनराशि खर्च की जाती है। अतः इस बारे में पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक है।

सरकार उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को रोजगार-प्रधान बनाने में असफल रही है। हमारे देश में उच्चतर-माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय लेने वालों की प्रतिशतता केवल 12 है जबकि पश्चिम जर्मनी में इसकी प्रतिशतता 70 और जापान में 60 है।

आज अधिक विश्वविद्यालय और कालेज खोलने की मांग की जाती है लेकिन आज विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की उचित व्यवस्था नहीं है। उनमें उचित प्रतिभा की कमी है। इसके परिणामस्वरूप सामान्य स्तर में गिरावट आ रही है। सरकार को अपेक्षित योग्यता वाले शिक्षक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। डा० कोठारी की अध्यक्षता में नियुक्त शिक्षा आयोग ने कहा था "कि एक राष्ट्र का निर्माण कक्षा में होता है"। आज परीक्षाएं केवल दिखावा मात्र हैं।

सरकार को शिक्षा सुधार को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। दोनों आयोगों ने शिक्षा के बारे में अलग अलग सिफारिशें की हैं लेकिन उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। गजेन्द्र गडकर समिति ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन में कहा है कि जब कभी भी राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के बारे में कोई कानून लागू करना होगा तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अवश्य सलाह लेनी होगी।

मुख्य मंत्रियों के दबाव के कारण शिक्षा के लिये निर्धारित राशि में कमी कर दी गई है। आशा है नये शिक्षा मंत्री उन पर प्रभाव डालेंगे और यह कह कर अपना बचाव नहीं करेंगे कि यह राज्य सरकार का विषय है। सरकार को अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति लागू करने के लिये यथासम्भव प्रयास करने चाहिये।

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : आज सबसे अधिक कठिनाई यह है कि हम बातें अधिक करते हैं काम कम। हम समितियां नियुक्त करते हैं लेकिन उनकी रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं करते। शिक्षा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही यह की जानी चाहिए कि कम से कम प्रतिवेदन में की गई अत्यावश्यक सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये।

हम इस बात की मांग करते रहे हैं कि उच्च शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिये। केवल पंजाब राज्य ही इस पर सहमत हुआ है? शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिये यह आवश्यक है कि राज्यों को अपने प्रभाव में कमी करनी चाहिये।

आज विश्व में शिक्षा पर अनेक गोष्ठियां हो रही हैं। हम राष्ट्रीय प्राथमिकता की बातें करते हैं और आज कुछ और कल कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। वार्षिक प्रतिवेदन से हमें बहुत ही मनोरंजक आंकड़े मिले हैं। इससे विदित होता है कि अब 83 विश्वविद्यालय हैं और इनके अतिरिक्त 9 शैक्षिक संस्थाएं भी हैं। 1947 में केवल 20 विश्वविद्यालय थे। इतना विस्तार किये जाने के बाद भी शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है।

हम वास्तविक प्रतिभा के बजाय डिग्री और डिप्लोमा को अधिक महत्व देते हैं। एक लेखक 10 पुस्तकें लिखता है तो वह भूखा मरता है लेकिन एक व्यक्ति जो उन पुस्तकों के बारे में कुछ लिखता है, उसे अध्यापक नियुक्त कर लिया जाता है। हम रचनात्मक निपुणता को मान्यता नहीं देते।

अन्य देशों में इस दोष को दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है, जबकि हमने इस दोष को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। इसके साथ साथ हम अध्यापकों के कीमती अनुभव को भी प्राथमिकता नहीं देते। हमारे विचार से एक अध्यापक की योग्यता का इतना महत्व नहीं है जितना उसके प्रमाण-पत्र आदि का। वर्तमान 83 विश्वविद्यालयों ने कितने लेखक, नाटककार या अन्य सृजनात्मक कार्य करने वाले पैदा किये ? इन सब बातों की उपेक्षा की जा रही है और आज हमारे अध्यापक केवल पी० एच० डी० की डिग्री लेने में रुचि लेते हैं। यदि इस बारे में उचित कार्यवाही नहीं की गई तो उच्च शिक्षा असफल रहेगी।

शिक्षा के मामले में हमारी केंद्रीय योजना दोषपूर्ण है।

पंजाब राज्य में दो विश्वविद्यालयों में विवाद होने के कारण दो हजार विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है क्योंकि एक विश्वविद्यालय कहता है कि दूसरा विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार के बिना काम कर रहा है। इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है। इसका मुख्य कारण यह है कि उच्च शिक्षा के मामले में केन्द्र मार्ग दर्शन नहीं कर रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय के विद्यार्थी गुरुनानक विश्वविद्यालय से परीक्षा नहीं दे सकते और गुरुनानक विश्वविद्यालय के विद्यार्थी पंजाब विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं बैठ सकते। यह किस प्रकार की शैक्षिक योजना है। सरकार राज्य में फैले उक्त दोष को दूर करने में असफल रही है। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिये और विद्यार्थियों के शैक्षिक सत्र को नष्ट होने से बचाना चाहिये।

चौथी योजना में शिक्षा का प्रसार हुआ है। विश्वविद्यालयों की संख्या 22 से बढ़कर 83 हो गई है और कालेजों की संख्या में भी वृद्धि हुई है लेकिन उन पर किये जाने वाले औसतन व्यय में कमी हुई है। इस ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये। ऐसा किये बिना शिक्षा के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। इसके लिये किसी शिक्षा समिति की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं।

शिक्षा पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में हाई स्कूल और हायर सैकेंडरी स्कूल प्रणाली चालू है। लेकिन अब वहां दिल्ली में विद्यमान हायर सैकेंडरी स्कूल प्रणाली लागू की जा रही है। समस्त देश में एक प्रणाली लागू की जानी चाहिये। एक राज्य में दो प्रकार की प्रणाली लागू नहीं की जानी चाहिये। संस्कृत और पाली भाषा को महत्व दिया जाना चाहिये।

जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक भारतीय भाषाओं का उचित विकास नहीं हो सकता क्योंकि इन भाषाओं में बहुत बड़ी शब्दावली उपलब्ध है।

अमरीका में चीनी भाषा के पढ़ाने को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में चीनी भाषा पढ़ने वाले केवल 100 विद्यार्थी होंगे। डाक्टर कोठारी ने सुझाव दिया था कि प्रत्येक राज्य में एक राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की जानी चाहिये जिनमें विदेशी भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिये। राज्य की प्रत्येक राजधानी में एक ऐसी संस्था खोली जानी चाहिये ताकि विदेशी भाषा पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थियों को दिल्ली में अध्ययन के लिये न आना पड़े।

दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति से तमिल में डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये कहा गया था लेकिन उनका उत्तर था कि विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण ऐसा नहीं किया जा सकता। डिप्लोमा कोर्स न होने के कारण विद्यार्थी तमिल में सर्टीफिकेट कोर्स में प्रवेश के लिये भी नहीं आते।

हमें उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहिये और दक्षिण में उत्तर भारत की भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहिये। विदेशी भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था न केवल दिल्ली में बल्कि देश के अन्य भागों में भी की जानी चाहिये, विशेषकर राज्यों की राजधानी में भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमें अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीति का मूल्यांकन करना चाहिये। शिक्षा की एकीकृत नीति के लिये एकीकृत योजना की आवश्यकता है। मानव और शिक्षा पर किया गया विनियोजन बांधों तथा अन्य वस्तुओं पर किये गये विनियोजन की तुलना में अधिक अच्छा है। यदि हम इन पर विनियोजन करेंगे तो देश का भविष्य उज्ज्वल होगा।

श्रीमती गौडफ्रे (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। इसलिये अनेक बच्चे गैर-सरकारी स्कूल में दाखिल होते हैं क्योंकि उनमें शिक्षा का स्तर ऊंचा है। इसके लिये अध्यापक दोषी नहीं है। सरकार उनको इतना कम वेतन देती है कि उन्हें ट्यूशन करनी पड़ती है। यदि सरकार उनको अच्छा वेतन दे तो वे अध्यापन की ओर अधिक ध्यान देंगे।

यदि शिक्षा के स्तर में सुधार करना है तो अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिये।

हमारे स्कूलों, विशेषकर प्राइमरी स्कूलों में अनुशासन की बहुत कमी है। इसका कारण यह है कि स्कूल ऐसी गलियों में स्थित हैं, जहां बहुत शोर होता है।

विद्यार्थियों के लिये सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिये खेल के मैदानों की व्यवस्था नहीं है। कमरों में रोशनदानों की भी उचित व्यवस्था नहीं है। अतः कक्षाओं में विद्यार्थियों को बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों के बैठने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप आधी कक्षा का ध्यान अध्ययन में होता है और आधी कक्षा का ध्यान खेल में होता है।

अध्यापकों को विद्यार्थियों के दिलों में यह भावना पैदा की जानी चाहिये कि यही समय है जब वह अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

केन्द्रीय सरकार को राज्यों में स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिये अधिक धनराशि आवंटित करनी चाहिये।

हमें विभिन्न राज्यों की भाषा पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिये। स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। क्षेत्रीय भाषा को अन्य भाषा के समान महत्व दिया जाना चाहिये। राष्ट्रभाषा को आरम्भ से पढ़ाया जाना चाहिये। अंग्रेजी की उपेक्षा न कर हिन्दी को साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिये।

मैं यह अनुरोध करूंगा कि अंग्रेजी पढ़ाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिये जिससे उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जहां कहीं भी हम जायें हमारी भाषा को लोग समझ सकें और यदि हमारे बच्चे विदेशों में अध्ययन के लिये जायें तो वे अनुपयुक्त सिद्ध न हों। अंग्रेजी के अध्ययन से उनमें आत्मविश्वास जाग्रत होगा और वे किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से वार्ता के लिये तैयार रहेंगे। गांवों में बच्चों को केवल क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाती है और जब वे नगर में आते हैं तो वे न तो हिन्दी ही समझ पाते हैं और ना ही अंग्रेजी समझ पाते हैं। सब बच्चों में यह भावना पैदा की जानी चाहिये कि उनका भारत के प्रत्येक राज्य से सम्बन्ध है।

सरकार कालेजों में क्षेत्रीय भाषा पढ़ाना चाहती है। इससे बड़ी कठिनाई होगी क्योंकि कालेज शिक्षा, जो बच्चों के लिये अन्तिम शिक्षा होती है, उन्हें विशाल संसार में ले आती है और वह उस समय केवल अपने राज्य तक सीमित नहीं रहते।

जो राज्य कालेजों में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देते हैं उन कालेजों के विद्यार्थियों को रोजगार मिलने में कठिनाई होती है। उनको अन्य राज्य रोजगार नहीं देते और उनके अपने राज्य उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं। अतः यदि हमारे विद्यार्थियों को सम्पर्क भाषा की जानकारी होगी तो वे कहीं भी रोजगार प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि अन्य विषयों के समान अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ाया जाना चाहिए।

मैं यह अनुरोध करना चाहता कि हमारे स्कूल जाने वाले बच्चों को अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए ताकि वे इस देश में कहीं भी अपने आपको अलग महसूस न करें।

श्रीमती मुकुल बनर्जी (नई दिल्ली) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा की ओर ध्यान देना सर्वप्रथम उद्देश्य रहा है। परन्तु फिर भी साक्षरता की प्रतिशतता कुल जनसंख्या की अपेक्षा 29.4 ही है।

अब समय आ गया है जबकि हम शिक्षा की इस धीमी प्रगति के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं, इससे हमें यह पता लगेगा कि शिक्षा विकास का संपूर्ण कार्यक्रम गलत बनाया गया है। हमने उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया है और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ओर उपेक्षा का भाव बरता है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हमारे लिए सैनिक, पुलिसमैन, पोस्टमैन, क्लर्क आदि व्यवसाय के व्यक्तियों की व्यवस्था करती है। अतएव माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार लाया जाना चाहिए। तात्कालिक आवश्यकता यह है कि हम प्राथमिकताओं का पुनरीक्षण करें और उच्च शिक्षा की ओर अधिक ध्यान न देकर प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दें। विश्वविद्यालयों के अंधाधुन्ध अस्तित्व में आने से कई सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक समस्यायें पैदा हुई हैं जैसे स्नातकों, डाक्टरों और इन्जीनियरों में बेरोजगारी फैली है। बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देने के उपरांत उसका मनोवैज्ञानिक परीक्षा लेनी

चाहिए ताकि उसके रूचि का पता लगाया जा सके। इससे बच्चों में आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता की भावना जागेगी। यदि बच्चे को व्यवसाय सम्बन्धी शिक्षा दी जायेगी तो वह सरकार की ओर नौकरी के लिए नहीं भागेगा। मेरे विचार में ऐसे विशेष संस्थान खोले जाने चाहिए जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इससे स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्रियों के लिये होड़ कम हो जायेगी।

गत 20 वर्षों में साक्षरता की शोचनीय प्रगति का कारण यह है कि प्रौढ़ साक्षरता अभियान को सफलता से क्रियान्वित नहीं किया गया है। प्रौढ़ साक्षरता अभियान के स्थान पर कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम अपनाना चाहिए। इस कार्यक्रम का क्षेत्र बड़ा व्यापक है और इसमें वयस्कों के लिए अन्य विभिन्न कार्यक्रम भी है। चूंकि इस कार्यक्रम का सम्बन्ध सीधे उसके व्यवसाय में सुधार करने से होगा अतएव यह व्यक्ति के शिक्षा स्तर को भी बढ़ायेगा, इस प्रकार यदि हम एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं तो उसके सम्पूर्ण परिवार को भी शिक्षित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अभिलेखागार का कार्य भली-भांति नहीं चल रहा है। प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि इसमें परिवर्तन व सुधार लाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में डा० अम्बा प्रसाद और प्रोफेसर मुजीब ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी क्रियान्विति तत्काल की जानी चाहिए।

चूंकि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद का कार्य भली-भांति नहीं चल रहा है अतएव इसके विभागाध्यक्षों के पदों का विलय दिया जाना चाहिए। परिषद को चाहिए कि वह बाहरी व्यक्तियों से किताबें लिखवाने के स्थान पर अपने ही विशेषज्ञों से पुस्तकें लिखवायें। परिषद का बजट दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से भी अधिक है परन्तु क्या परिषद का कार्य एक विश्व-विद्यालय जितना भी है? इस परिषद के विभागाध्यक्षों ने यह परम्परा बना ली है कि यात्रा के लिए विमानों का उपयोग किया जाये, जबकि वे ऐसा करने के अधिकारी नहीं हैं।

विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का औचित्य माना जा सकता है परन्तु उत्तरदायित्व के साथ इसको भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रोफेसरों के कार्य का मूल्यांकन सार्वजनिक निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। विभागों में राजनीति व्याप्त है जिसके कारण नियुक्ति आदि के मामले में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है।

अधिकांश विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी 12 अथवा 15 वर्षों तक अपना नाम वहां दर्ज कराये रहते हैं। इसका मुख्य कारण उनका राजनीति में भाग लेना होता है, अतएव ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा न मिले।

महानगर परिषद ने जो दिल्ली शिक्षा विधेयक पारित किया है, उसमें सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापकों के लिए तीन बातें हैं। पहला पेन्शन तथा उपदान आदि के लिए समान सेवा शर्तें हों। दूसरा, शिक्षा विभाग सहायता प्राप्त स्कूल के अध्यापकों को सीधे वेतन का भुगतान करें। तीसरा, कुप्रबन्ध वाले स्कूलों को सरकार तीन वर्ष तक की अवधि के लिए अपने नियंत्रण में रखे। मेरा यह कहना है कि विधेयक की तीसरी व्यवस्था में संशोधन किया जाये क्योंकि तीन वर्ष के पश्चात उस अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, जिसने कुप्रबन्ध के विरुद्ध शिकायत की हो। अतएव इन अध्यापकों की सेवा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाये

जहां वह अध्यापक अपील कर सकता हो। न्यायालय का शुल्क 1 रुपया कर दिया जाना चाहिए और 6 महीने के अन्दर उस मामले का निपटारा किया जाना चाहिए।

अध्यापकों के एसोसिएशनों को मान्यता देने की व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा के सभी मामलों में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में राजनीतिक दबाव का प्रयोग किया जाता है। इससे दिल्ली के अध्यापकों में असंतोष व्याप्त है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे शिक्षा मंत्री ने दिल्ली के अध्यापकों से भेंट की है और मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं। मुझे आशा है कि उनको क्रियान्वित किया जायेगा।

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक): समाज के पुर्निर्माण और परिवर्तन के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण है। देश के लोकतन्त्री, समाजवादी और धर्मनिर्पेक्षवाद के लिए शिक्षा के महत्व को समझना आवश्यक है।

तत्कालीन विदेश मन्त्री श्री वुड्स ने 1884 में शिक्षा का उद्देश्य संस्कृत साहित्य के अध्ययन के स्थान पर योरुप की कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शनशास्त्र का अध्ययन करना बताया था। इसके पश्चात विभिन्न समितियों ने इस सम्बन्ध में सिफारिशें प्रस्तुत कीं। 1937 में आयोजित अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की ओर ध्यान दिलाया तथा शिक्षा मातृभाषा में देने पर जोर दिया। इसको संविधान के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 45 में शामिल किया गया था। परन्तु सरकार इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी है।

डा० कोठारी की अध्यक्षता में आयोग ने शिक्षा के सम्बन्ध में एक नीति तैयार करके संसदीय समिति को भेजी थी जिसे कतिपय संशोधन करने के उपरांत भारत सरकार के पास भेज दिया गया है। आशा है कि सरकार इसे लागू करेगी।

मैं सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जब एक बच्चा विशेषकर ग्राम्य क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा लेने के लिए जाता है तो उसे वहां अपेक्षित सुविधायें नहीं मिलती हैं। यद्यपि यह राज्य का विषय है परन्तु फिर भी सरकार का भी कुछ कर्तव्य होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पर ही देश की उन्नति और समृद्धता टिकी है, अतएव इस ओर हमें पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में परीक्षा पद्धति को समाप्त कर दिया गया है। जो सही कदम नहीं है, इस सम्बन्ध में शिक्षा मन्त्रालय को उचित मार्गदर्शन करना चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न्यूनतम साधनों के होते हुए भी संतोषप्रद कार्य कर रहा है। देश में लगभग 79 विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास धन बहुत कम है तथा लड़कें और लड़कियों को पर्याप्त छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। अनुसूचित जाति और आदिमजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर अभी तक 40 रु० ही चली आ रही है जबकि इस बीच जीवन निर्वाह व्यय बहुत बढ़ गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि ये छात्र देश की समृद्धता का अंग बन सकें। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय अनुसूचित जाति तथा आदिमजाति के विद्यार्थियों पर 5 करोड़ रुपये व्यय कर रहा है। मेरा यह अनुरोध है कि इस राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ कर देना चाहिए। मेरे ही राज्य में उस्मानिया विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने और अधिक धन देने के लिए अनशन किया था। देश के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व है।

अप्रैल 1969 को उपकुलपतियों के सम्मेलन में और 23-25 मई 1969 को विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने के बारे में प्रस्ताव किया गया था। इस सम्बन्ध में सरकार को सम्बन्धित विश्व-विद्यालयों को आदेश देना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को और अधिक धन देने की व्यवस्था की जाये। वर्तमान धनराशि पर्याप्त नहीं है। अन्त में मेरा यह सुझाव है कि कोठारी आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाये।

श्री देवेन्द्र सतपथी (ढेंकनाल): मैं शिक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के साथ साथ देश में शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ बातें कहूंगा।

देश में अधिक विश्वविद्यालय और कालेज आदि खोले गये हैं परन्तु छात्रों में असंतोष की समस्या को हम हल नहीं कर पाये।

[**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए**
Shri N. K. P. Salve in the Chair]

डा० गोविन्द दास और कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में आध्यात्मिक शिक्षा की बात कही गई है। परन्तु जहां इस शिक्षा का महत्व है, वहां कठिनाई पुस्तकें तैयार करने में होगी क्योंकि विभिन्न धर्मों में परस्पर विरोधी विचार-धारायें होंगी, तब इन्हें पढ़कर छात्र क्या शिक्षा ले सकते हैं और यदि इन्हें शामिल न किया गया तो ऐसी शिक्षा में रह क्या जायगा जो हमें छात्रों को देनी है। इस सम्बन्ध में मुझे श्री आरबिन्दु अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल द्वारा किये जा रहे प्रयोग की बात कहनी है। यहां न परीक्षाएं ली जाती हैं और न ही प्रमाणपत्र आदि दिये जाते हैं। शिक्षा मंत्रालय को इसकी कार्यप्रणाली और शिक्षण-विधि का अध्ययन करना चाहिए परन्तु खेद है कि वहां आज तक एक भी मन्त्री नहीं गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहा है परन्तु इसे उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों को अनुपाती आधार पर अनुदान न देकर उनकी आवश्यकता के अनुसार अनुदान देना चाहिए।

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एक बेकार संस्था है। इसके सम्बन्ध में जांच समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : Sir, I rise to support the Demands of this Ministry. Education should remain a Central Subject whatever be the impediment. Although the Kothari Commission Report can be called a very good Report but it needs all the resources of the country to implement it fully. After all is said and done, there is no denying the fact that there is need for such education in the country as unites and excites all elements and gives a new direction to the nation's conscience.

It is unfortunate that although many well-known educationists had adorned the chair of the Head of Education Ministry, they have not been able to break any fresh ground in this field. They are men of great vision but they are able to see things in their true perspective only now when they are out of office.

A step in the right direction would be to set up Institutes to train and keep the teacher uptodate in their Scientific knowledge and degrees and diplomas hould be time-bound unless supplemented by refresher courses.

The U.G.C. has done good work only in the matter of granting enough funds to Universities but the reseach work being done there is deteriorating day by day. Moreover, education today stands divourced from life and such education cannot help the nations to move forward.

Education Ministry is notorious for keeping Educational Institutions aloof from the life of that area. Take the case of Banaras Hindu University. Their Governing Body has not even a single local resident. So much so that no teacher belong to Banaras.

The funds provided to each State for higher education have produced good results in some States, no result in others and in some States it has been spent in a manner which brings disgrace to both the recipient States as well as the Centre.

Terminology Commission has done commendable work in coining 4 lakh terms which are being used in all Science books. Education can be integrated with life only if it is imparted in Indian languages. This is not being done due to the adament attitude of bureaucracy having slavish mentality.

Education today reflects diversity in unity whereas it should be unity in diversity and that is why Aligarh and Banaras Universities have not come upto our expectations.

Lastly I would request that the three Acadamies should not be content merely to give awards if we are to attain our cherished goal. The enquiry in this regard should be completed expeditiously.

प्रो० मधु० दण्डवते (राजापुर): शिक्षा प्रणाली को मूलरूप से सिखाने की प्रक्रिया होना चाहिए जो तैयारी, प्रतिभा, विचार और कार्य विकसित करे। हमें यह देखना है कि क्या यह प्रणाली अपने सामाजिक उद्देश्य प्राप्त कर रही है और क्या सरकार इनकी पूर्ति में सहायक है या नहीं ?

इस प्रणाली के पुनर्निर्माण का अर्थ हमारे पाठ्यक्रमों, शिक्षा-विधि और पुरानी परीक्षा-विधि का सुधार करके विश्वविद्यालयों में व्यापकता लाना होना चाहिए और इसमें आधुनिक ज्ञान में वृद्धि और आधुनिकता की भावना जगाने पर प्रश्रय दिया जाये।

विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर भी उचित ढंग से विचार किया जाये। मेरे विचार में शिक्षा के क्षेत्र में विफलता के लिये सरकार छः कारणों से उत्तरदायी है—एक, अपर्याप्त उपकरण और साधन उपलब्ध न करना; दो, छात्रों के विकास के स्तर तक शिक्षा-कार्यक्रम के प्रति उपेक्षा; तीन, शिक्षा-संस्थाओं में सामाजिक एवं उद्देश्यपूर्ण मानसिक पहलुओं के विकास हेतु व्यवस्था का न होना; चार, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली; पांच, कार्यशीलता की कमी; और छः शिक्षा-संस्थाओं को दुकानें समझना।

आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में मैं तो समझता हूं कि जर्जर परम्परागत रूढ़ियों वाला मुख्य भाग तो अस्वीकार करके समाप्त कर देना होगा। इस क्षेत्र में पाठ्य-पुस्तकों में भी आमूल सुधार लाने होंगे। ऐसी पुस्तकों में लिखी महापुरुषों की जीवनियां सच्ची और शिक्षाप्रद होनी चाहिए।

शिवाजी जैसी विभूतियों को चुनाव-चिह्न बनाने की आज्ञा कदापि नहीं दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय एकता लाने के लिए इतिहास पुनः लिखकर इसे पढ़ाने का ढंग बदलना होगा। इतिहास में हिन्दुओं और मुस्लिमों के आदर्श अलग-अलग हैं।

मेरे विचार में सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी ही होना चाहिए और यदि दक्षिण में हिन्दी न लाई जा सके तो उसका काम अंग्रेजी में होने दिया जाये।

श्री बी० एस० मूर्ति (अमालापुरम) : मैं शिक्षा मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय के साथ समय और धन के मामले में अन्याय किया गया है। आज मैं केवल स्कूल शिक्षा की ही बात करूंगा।

यद्यपि इस क्षेत्र में काफी कुछ किया गया है और काफी किया जाने का प्रस्ताव है, फिर भी प्रगति संतोषप्रद नहीं है। यद्यपि संविधान में 10 वर्ष के अन्दर प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य करने का उपबन्ध है, फिर भी 20 वर्ष बाद भी शिक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन से ऐसा प्रतीत होता है, इसमें 40-50 वर्ष और लगेंगे।

हमारे देश में अब भी वही 50-60 वर्ष पुरानी शिक्षा प्रणाली प्रचलित है और इसमें कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आया है। हमारे छात्रों के भविष्य के लिए कुछ नहीं किया गया है जिस कारण आज वे नक्सलवादी हैं, राजनीतिक हत्यारे हैं, राष्ट्रवादी के बदले प्रान्तीयतावादी बन गये हैं। राष्ट्रीय एकता के हित में हम सबको मिल बैठकर इस मामले पर विचार करना चाहिये।

वास्तव में अद्यतन जनगणना के अनुसार साक्षरता की प्रगति एक प्रतिशत वार्षिक ही है। इस प्रकार शतप्रतिशत साक्षरता लाने में कितनी शक्तियां चाहिए? निम्न प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। जहां हम करोड़ों रुपये कारखाने, बांध आदि बनाने पर व्यय करते हैं, वहां राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक जनशक्ति के सुधार पर हम इतने उदासीन क्यों हो जाते हैं? प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाये, जो निर्माणकारी हो और यह परिवर्तन धीरे-धीरे किया जाना चाहिए।

हम हिन्दी विरोधी नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से वर्षों पूर्व दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना हुई थी और इससे वहां के लाखों लोगों ने हिन्दी सीखी है और वहां के अनेक हिन्दी विद्वानों ने ख्याति प्राप्त की है। वास्तव में कठिनाई यह है कि हिन्दी समर्थक हम पर हिन्दी ठूंसना चाहते हैं, जो हमें रुचिकर नहीं है।

यदि हमें भारत में "आया राम" तथा "गया राम" जैसी प्रवृति को फैलने से रोकना है तो हमें शिक्षा की प्राथमिक अवस्था से ही विद्यार्थियों में एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करनी चाहिये।

राजमाता गायत्री देवी : (जयपुर) : अब तक सामान्य प्रवृति पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध रही है। इस सदन के भी कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका मत है कि पब्लिक स्कूलों की पद्धति हमें पश्चिम से प्राप्त हुई है। यह शिक्षा की प्राचीन पद्धति है जिसमें छात्र अध्यापक के पास ही रहते हैं जिससे उन्हें ज्ञान, नैतिक शिक्षा और पाठ्यक्रमेतर अन्य कार्य-कलापों का पूर्ण लाभ पहुंचता है। अतः यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने पब्लिक स्कूलों के महत्व को समझा है।

आज के इस परिवर्तनशील संसार में वैज्ञानिक, प्रकृति वैज्ञानिक एवं भूवैज्ञानिक और इसी प्रकार के अन्य लोगों द्वारा यह चेतावनी दी जा रही है कि मानव प्रतिदिन आत्महत्या के पथ पर अग्रसर हो रहा है। हमें इस बात के महत्व को समझ कर अपने बच्चों को प्रकृति विज्ञान तथा भूविज्ञान जैसे विषयों का ध्यान रखना चाहिये जो उनके भविष्य के लिए लाभकारी हैं। साथ ही हम उन्हें देश के अनुशासित नागरिक के रूप में विकसित करें।

जयपुर एक बहुत ही सुन्दर शहर है परन्तु आज वह इस शहर के सुन्दर एवं वास्तुशिल्प युक्त भवन खराब हो रहे हैं, जैसलमेर की सुन्दर प्रस्तर प्रतिमाएं चुराई जा रही हैं। केन्द्र के पुरातत्व विभाग द्वारा इसके लिये कहा जाता है कि इनके लिए राजस्थान का पुरातत्व विभाग उत्तरदायी है और उक्त विभाग द्वारा बताया जाता है कि केन्द्र इनके लिए उत्तरदायी है। वास्तुशिल्प के महत्वपूर्ण केन्द्रों को केन्द्रीय सरकार को अपने हाथों में लेना चाहिये। पुराने कपड़ों, चित्रों तथा मूर्तियों जैसी हमारे देश में कलात्मक महत्व की वस्तुओं को रखने एवं उनकी मरम्मत आदि के लिए कुछ और प्रयोगशालाएं तो हैं परन्तु वह पर्याप्त नहीं, अतः कुछ और प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिये।

हमारे देश में ऐतिहासिक महत्व के बहुत से महल तथा दुर्ग हैं। उनमें से आज बहुत से गिर रहे हैं। हमें उन्हें नष्ट नहीं होने देना चाहिये। इसी प्रकार का एक किला अजयगढ़ में है जिसमें से पिछले तीन महीनों से अनेक मूर्तियां चुराई गई हैं। इन स्थानों के संरक्षण के लिए हमें ब्रिटेन के राष्ट्रीय न्यास जैसी कोई संस्था बनानी चाहिये।

हमारे देश में कलात्मक महत्व की अनेक वस्तुओं को चुराकर विदेशों में भेजा जा रहा है। सरकार को इसकी रोकथाम करनी चाहिये।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh): Since independence we have been singing to bring Education at a proper level in the country. since then many Committees have been set up to look into different aspects of Education and many a reports were submitted by these Committees. But still the set up continues to be almost the same which was existing before independence of the Country, and recommendations of these various Committees have to be implemented for bringing changes in the set up.

The Parliamentary Committee was set up in 1967 to consider the report of Kothari Commission which submitted its report in the same year. That report stressed the need of development of a national system of education, which will inculcate national spirit in students. This system of education will strengthen moral, social and spiritual values. But what we find to-day is contrary to all this. Instead of strengthening the unity of country communal Feelings are spread by schools. We have not done anything to inculcate moral and social values in students. It has not been possible for us to evolve a system which could develop personal relation between teacher and taught. To-day's education does not produce scientific and technical outlook. So, to-day, education needs basic changes.

I would request the Government to see to all these things and make efforts to improve the situation. If we do not bring forward necessary changes in the field of education we may not be able to achieve our goal of establishing socialism in the society. Education is the only means and instrument through which we can achieve all our goals and ideals.

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and cultural Department (Shri D. P. Yadav): The aim of the Government in the field of education is coordinated development of three levels, i.e. Primary, Secondary and University. The problem of education

is not a small one. Even if we spend all the resources of **Third Plan** on education we may not be able to solve the problem. There are about 12 crores students in the country and if an expenditure of Re. one per student per day is incurred annual expenditure would come to Rs. 4320 crores. Similarly there are about 26 lakh teachers. Yearly total of their pay comes to about 986 crores and then there is a problem of School buildings. We have to consider this problem keeping in view the economic condition of the Country.

Government knows that economic condition of primary teachers is not satisfactory. Their pay is not adequate. But where to find resources to pay them more? The problem can be solved to much extent if voluntary organisations come forward and donate for the buildings of schools.

Primary and Secondary education is the responsibility of the States. Due to lack of resources on their part they have not implemented the recommendations of Kothari Commission. Government is trying to get them implemented. So far as University education is concerned 80 per cent of the recommendations have already been implemented.

Steps have been taken to improve the working of National Council of Educational Research and Training. Due consideration would also be paid to various suggestions made in the House.

Members should not be worried about P. L. 480 funds. These funds are not being misused. Suggestion about issuing central guide-lines for uniform policy for University education would be duly considered by the Government.

The Government would provide every possible assistance to Shri Arvind Ashram School.

The Government has provided Rupees one crore to each State Government for the development of Regional languages. This would be spent on producing University level books is regional languages. This is not a small amount and now it is the responsibility of the State Government concerned to ensure that it is utilized fully.

श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा (भीलवाड़ा) : यह बहुत ही दु:ख की बात है कि जितने भी मन्त्रियों को शिक्षा मन्त्रालय का कार्यभार सौंपा गया, वह सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इस क्षेत्र का दिशा परिवर्तन करते रहे। शिक्षा मन्त्री भावी पीढ़ी के प्रति उत्तरदायी न होकर अगले चुनावों के लिए अधिक चिंतित रहे।

1967 में तत्कालीन शिक्षा मन्त्री ने कहा था कि हमारे देश में मुख्य कमी विचारों की नहीं रही अपितु हमारी मुख्य कमजोरी यह रही है कि हम विदित तथा सम्मत कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में असफल रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के सम्बन्ध में दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है। परन्तु इसका परिणाम अच्छा नहीं निकला। राष्ट्र के विश्वविद्यालयों में, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों की प्रतिष्ठा बहुत ही कम है।

आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नत राष्ट्रों और हमारे जैसे राष्ट्रों के बीच अन्तर काफी बढ़ रहा है। इस बात का पता लगाया जाना चाहिये कि पाठ्यक्रमों में क्या संशोधन किये जायें ताकि उन्हें देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। हम देश के लाखों युवकों के भाग्य के साथ खिलवाड़ समाप्त करें तथा गम्भीरता के साथ शिक्षा नीति में स्थिरता लायें।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन बहुत कम हैं। इस स्थिति को सुधारना चाहिये। जापान जैसे अन्य देशों में प्राइमरी एवं विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतन समान हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में हमें प्राइमरी स्तर तक के महत्व को भी समझना चाहिये । राजस्थान में प्राइमरी शिक्षा पंचायतों के अधीन है । यह स्थिति ठीक नहीं है ।

यह प्रसन्नता की बात है कि देश में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है । इस पहलू की जांच के लिए नियुक्त समिति को चाहिये कि अपने जांच-कार्य को शीघ्र पूरा करे और निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जाये ।

माध्यमिक शिक्षा की ओर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । माध्यमिक शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को विषयों की मूल जानकारी दी जानी चाहिये जिससे कि उसे आगे अध्ययन में कोई कठिनाई न हो ।

भारत में शिक्षा की कोई भी ऐसी प्रणाली सन्तोषजनक नहीं हो सकती जो प्रणाली देश की ग्रामीण अपेक्षाओं की पूर्ति न करे । हमारा देश कृषि प्रधान देश है । भारत में कृषि शिक्षा संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध करना आवश्यक है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कृषि शिक्षा राष्ट्र की कृषि नीति के अनुरूप हो । हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश में खेती रोजगार का सबसे बड़ा साधन है और खाद्य एवं अन्य मानवीय आवश्यकताओं का मूल स्रोत है । अतः हमारे देश के लिए इससे अधिक महत्व की कोई और बात नहीं हो सकती कि कृषि और खेती का व्यापक ज्ञान करवाने वाली उपयुक्त शिक्षा प्रणाली हो । इसके लिए हमें कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये ।

प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिये । मिडिल तथा हाई स्कूल शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं में दी जाये और उसके साथ हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य हो । हिन्दी जानने वाले विद्यार्थी किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करें । संस्कृत भाषा का अध्ययन भी अनिवार्य किया जाना चाहिये । संस्कृत संस्थानों को अनुदानों की राशि बढ़ाई जानी चाहिये । विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ निकट सम्पर्क के लिए हमें अंग्रेजी अथवा किसी अन्य विदेशी भाषा का भी अध्ययन करना चाहिये । इस प्रकार से राष्ट्रीय हित में भाषा समस्या को हमेशा के लिए हल किया जाना चाहिये ।

युवक सेवा एक बहुत ही नाजुक समस्या है । राष्ट्रीय कैडेट कोर का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है । किन्तु हम राष्ट्रीय कैडेट कोर को स्वयंसेवी संस्था बना कर इस विभाग का पूरा लाभ नहीं उठा रहे । इसे अनिवार्य बनाया जाना चाहिये । युवकों में उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने के लिए और सद्भावना का विकास करने के लिए और युवक केन्द्र खोले जाने चाहिये ।

बनारस विश्वविद्यालय के वर्तमान उपकुलपति इस विश्वविद्यालय के कार्यकरण में सुधार करने की अपेक्षा वहां की राजनैतिक गतिविधियों में अधिक दिलचस्पी लेते हैं । विश्वविद्यालय को नालन्दा विश्वविद्यालय के समान प्रतिष्ठित बनाने में स्वर्गीय श्री मदन मोहन मालवीय द्वारा किये गये प्रयासों को वर्तमान उपकुलपति द्वारा नष्ट किया जा रहा है । उपकुलपति द्वारा विद्यार्थी संघ की गतिविधियों में भाग लेना, अवांछनीय तत्वों को प्रश्रय देना और गुटों का पक्ष लेना एवं अध्यापकों की पदोन्नति में पक्षपात करना बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अशांति के लिये जिम्मेदार है । उपकुलपतियों की

नियुक्ति के लिए एक निश्चित कसौटी होनी चाहिये । यह नियुक्तियां राजनैतिक आधार पर नहीं की जानी चाहियें । शिक्षा क्षेत्र में अनुभव के आधार पर राजनैतिक क्षेत्र के इतर व्यक्तियों की नियुक्तियां की जानी चाहियें ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : समाज के दलित वर्गों के कल्याण के लिए संविधान में कुछ संरक्षणों की व्यवस्था है । इसमें यह भी व्यवस्था है कि पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने और उनके कल्याण के लिए सरकार के भी कुछ दायित्व हैं ।

इनके अनुरूप समाज कल्याण विभाग सामान्य विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ विशेष कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता रहा है । पिछले बीस वर्षों में हम इच्छित प्रगति नहीं कर सके परन्तु फिर भी जो प्रगति प्राप्त हुई है वह महत्वहीन नहीं है ।

योजना आयोग से हमें निरन्तर अधिक राशि प्राप्त होती रही है । पहली तीन योजनाओं में हमने 375 करोड़ रुपये का व्यय किया जबकि अकेले चौथी योजना में अब 327 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । यह राशि बहुत अधिक नहीं है परन्तु इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राशि का सदुपयोग हो । इसके साथ ही हमारा यह प्रयास भी है कि हमें इस कार्य के लिए और धन मिले ।

हम पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के विकास के लिए उत्सुक हैं, जो आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । अगर वे शैक्षणिक दृष्टि से विकास करते हैं, तो सभी प्रकार की सामाजिक बुराइयां मिट जायेंगी । जब तक हम देश में शत प्रतिशत साक्षरता प्राप्त नहीं कर देते, मुझे आशंका है कि छुआछूत का अभिशाप भी दूर न हो सकेगा ।

श्री भण्डारे ने कहा कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । इससे निस्सन्देह सवर्ण और हरिजन-दोनों ही वर्गों के हिन्दुओं को व्यय पहुंचेगा । इसलिए मैं शिक्षा की दृष्टि से अब तक की प्रगति का उल्लेख करूंगा ।

वर्ष 1931 में सामान्य जनता में साक्षरता 9.5 % थी, जबकि अनुसूचित जातियों में साक्षरता सिर्फ 1.9 % ही थी । 1961 में कुल साक्षरता 24 % थी और अनुसूचित जातियों में यह बढ़कर 10.27 % हो गई । इससे पता चलता है कि आम जनता की साक्षरता में तीन गुनी वृद्धि हुई, जबकि अनुसूचित जातियों की साक्षरता में पांच गुनी वृद्धि हुई । अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता का अनुपात 1931 में केवल 0.7 % था, जो वर्ष 1961 में 8.54 % अर्थात् बारह गुना हो गया । इस प्रकार अनुसूचित जातियों और जन-जातियों में साक्षरता के अनुपात की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि हुई है ।

मैट्रिक से ऊंची शिक्षा में भी पर्याप्त प्रगति हुई है । वर्ष 1950-51 में अनुसूचित जाति के छात्रों को केवल 1316 छात्रवृत्तियां दी गईं, जबकि वर्ष 1960-61 में 42,071 और 1970-71 में 1,57,000 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं । इस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की संख्या में क्रमश: 120 गुनी और 85 गुनी वृद्धि हुई है ।

शिक्षा के बाद रोजगार आता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित स्थानों का कोटा बढ़ाकर क्रमश: $12\frac{1}{2}$ से 15 % और 5 से $7\frac{1}{2}$% कर दिया गया है। वर्ष 1964 से आई० ए० एम० और आई० पी० एस० में रिक्त स्थानों पर इन दो वर्गों के उम्मीदवारों की भर्ती सुरक्षित कोटे के अनुसार होती रही है। संयुक्त प्रतियोगितात्मक परीक्षा में भी हम कोटा पूरा करते रहे हैं।

अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रत्याशियों की सहायता करने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण हेतु इलाहाबाद में प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस संस्थान में प्रशिक्षित 20-25 प्रत्याशी प्रतिवर्ष पास होते हैं। राज्य सेवाओं, भारतीय बीमा निगम, बैंकों आदि के लिए इसी प्रकार के संस्थान हम राज्यों में स्थापित करना चाहते हैं। आंध्र, बिहार, गुजरात, हरियाना, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में ऐसे संस्थान पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इन वर्गों के व्यक्तियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भी स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए निर्वाह-व्यय भी दिया जाता है। 31 जनवरी, 1970 को 356 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जन-जाति के क्रमश: 13,641 तथा 2,402 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे।

आर्थिक विकास की दृष्टि से समस्या यह है कि इन वर्गों के लोग भूमिहीन हैं। किसी सदस्य ने कहा कि उनमें से 46 % भूमिहीन मजदूर हैं। इस बारे में राज्य सरकारों को कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए। 1950 से 61 तक के 10 वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को 36 लाख एकड़ भूमि आवंटित की गई थी। 1961-65 के दौरान 1.5 लाख एकड़ भूमि 50,000 व्यक्तियों को आवंटित की गई और 1965-66 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लोगों के लिए क्रमश: 3 लाख एकड़ तथा 1.32 लाख एकड़ भूमि आवंटित की गई। लगभग सभी राज्य सरकारों ने अनुसूचित जन-जातियों की भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जे को रोकने के लिए कानून बनाये हैं।

सम्पूर्ण देश में 500 आदिवासी विकास खण्ड कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पर्याप्त प्रगति नहीं की है। हम अगले पांच वर्षों में अन्य खण्ड स्थापित करने के बजाय इन्हीं विकास खण्डों के विकास पर ध्यान देंगे और 5 वर्ष की अवधि में प्रत्येक विकास खण्ड पर 10 लाख रुपये व्यय करेंगे। हम इन विकास खण्डों पर 39 करोड़ रुपये पहले ही खर्च कर चुके हैं। सारे देश में केन्द्रीय संगठनों की अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों में तालमेल करने और आदिवासी कल्याण कार्यों में सलाह देने के लिए 11 आदिवासी अनुसंधान संस्थान स्थापित किये जा चुके हैं।

हमने पोषाहार कार्यक्रम विशाल पैमाने पर आरम्भ किया है। कुपोषण के कारण अनेकों बच्चे कुप्रभावित हैं। अगर 0-6 आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, तो वे आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सकेंगे। पिछले वर्ष हमने 4 करोड़ रुपये व्यय किये थे जिससे लगभग 6 लाख बच्चों को लाभ पहुंचा था और अब तक 7700 केंद्रों में 8.44 लाख बच्चों को लाभ पहुंच चुका है। पोषाहार का कार्यक्रम आदिवासी क्षेत्रों और बड़े नगरों के गन्दी बस्ती वाले इलाकों तक ही सीमित है। अन्तर्राष्ट्रीय बाल सहायता कोष ने इस कार्य के लिए हमारी सराहना की है और पिछले दो वर्षों में उन्होंने अपने अनुदान को दुगुना कर दिया है।

विकलांग, अविकसित मस्तिष्क वाले, नेत्रहीन, मूक, और बधिर बच्चों के कल्याणार्थ भी हमने अनेकों योजनायें बनाई हैं। हमने चार राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किये हैं, जहां इनकी देख-भाल की जाती है और इनके बारे में अनुसंधान भी किया जाता है। विभाग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को इस कार्य हेतु अनुदान भी दिया जाता है।

अनुसूचित जाति और जन जाति कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति ने अल्प अवधि में श्री बसुमतारी की अध्यक्षता में 19 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। हमने उनकी अनेक सिफारिशों को मान लिया है। कुछ सिफारिशें हमने अन्य मंत्रालयों को समीक्षा हेतु भेज दी हैं।

श्री उलगनम्बी ने कहा कि छुआछूत अब भी व्यवहार में लाई जाती है। इलायापेरूमल समिति ने सिफारिश की थी कि अस्पृश्यता (अपराध निरोध) अधिनियम के अन्तर्गत सजा में वृद्धि की जानी चाहिए। हम इस अधिनियम का संशोधन करने के लिए विधेयक लाने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जो सहायक आयुक्त पहले काम कर रहे थे, उनकी फिर से नियुक्ति की जानी चाहिए। भूतपूर्व आयुक्त श्री बोस इसके पक्ष में नहीं थे। तत्कालीन मंत्री श्री अशोक मेहता ने भी इसका समर्थन नहीं किया था। संसदीय समिति की उक्त सिफारिश पर अब नये आयुक्त विचार करेंगे।

अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेने अथवा धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं में प्रवेश करने के बारे में नीति सम्बन्धी वक्तव्य मंत्री महोदय दे सकते हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : लोकतन्त्र की सफलता, समाजवाद की स्थापना, आर्थिक स्थिति के सुधार, औद्योगिक क्षमता के विकास और देश की एकता एवं सुदृढ़ता के लिए शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं को उपलब्ध करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। परन्तु यह अत्यधिक खेद की बात है कि शिक्षा में सुधार के लिये न तो पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और न उसमें सुधार हेतु काफी धन का प्रावधान ही किया जा रहा है।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Sir, I rise on a point of order. I was placed fourth in the list of Members. I want to know whether you call any Member according to the list or according to your discretion. Even the lists are being revised...

Mr. Chairman : It would be better if you enquire from the Minister for Parliamentary Affairs. The members are called according to the list supplied by him.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : It is a question within your authority.

Shri B. P. Maurya (Hapur) : You should call the members according to your discretion and ability.

Mr. Chairman : You may take it so.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Even the parties send their own lists and a person as a Member of this House has got certain rights and he can ask you to allot him time to speak.

Mr. Chairman : I had said that I would follow the list as far as possible, but this does not mean that I can not use my discretion.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : डा० माथुर ने 'शैक्षणिक प्रशासन" नामक अपनी पुस्तक में शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि : "भारत अभी भी पिछड़ा, अशिक्षित, निर्धन और भावनात्मक रूप से छिन्न भिन्न देश है। केन्द्रीय सरकार को शिक्षा में अधिक रुचि लेनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असंगतियों को दूर करने के लिए शिक्षा सम्बन्धी दृढ़ नीतियां बनानी चाहिए और उन्हें क्रियान्वित करना चाहिए।"

विश्वविद्यालयों में रोजगार सलाहकार ब्यूरों की स्थापना की जानी चाहिए, जैसा कि विदेशों के विश्वविद्यालयों और विशेषत: अमेरिका के विश्वविद्यालयों में होता है। इससे छात्रों को रोजगार ढूंढ़ने में सही मार्गदर्शन मिल सकेगा।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों के माध्यम से सरकार पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं देती। इसलिए उन छात्रों को ब्रिटिश और अमरीकी विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों पर निर्भर होना पड़ता है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुस्लिम अल्प संख्यकों के प्रयास और त्याग के फलस्वरूप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी है। इस समय विश्वविद्यालय 1965 के आपात कानून के अन्तर्गत संचालित की जा रही है। वहां लोकतन्त्र समाप्त हो चुका है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और वर्तमान प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आश्वासन दिये थे कि विश्वविद्यालय के अल्प संख्यक समुदाय का स्वरूप कायम रखा जायगा। फखरुद्दीन अली अहमद को समाधान सुझाने का कार्य सौंपा गया। इस सम्बन्ध में, जो समिति नियुक्त की गई, उसने अपनी सिफारिशें 1968 में ही दे दी थीं, वे तब से ही सरकार के विचाराधीन हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव ने अप्रैल, 1970 में कहा था कि मैं इस बारे में विधेयक इस सत्र या अगले सत्र में पेश करूंगा। अभी तक विधेयक पेश नहीं किया गया है। अत: मेरा अनुरोध है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक को शीघ्रातिशीघ्र पेश किया जाय और उसे पारित कराया जाय।

अभी तक उर्दू भाषा के साथ न्याय नहीं किया गया है। यह हिन्दू और मुस्लिम-दोनों समुदायों की भाषा है। यही एक मात्र ऐसी भाषा है, जिससे राष्ट्रीय एकता की स्थापना की जा सकती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा का स्थान दिया जाना चाहिए।

वर्ष 1967 अथवा 1968 में एक करोड़ रुपये की राशि उर्दू के विकास और उच्च अध्ययन के लिए पुस्तकें लिखने तथा अनुवाद करने के लिए निर्धारित की गई थी। डा० वी० के० आर० वी० राव ने एक बैठक आयोजित की थी जिसमें विभिन्न शिक्षाविदों, उप कुलपतियों और संसद् सदस्यों ने भाग लिया था। इस कार्य के लिए तरीके उर्दू बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड का कार्यालय वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के एक कमरे में स्थित है। इस बोर्ड द्वारा किये गये कार्य का ब्यौरा सदन के समक्ष रखा जाय।

पिछले चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव-घोषणापत्र में अल्प संख्यक समुदायों को शिक्षा संस्थानों और उर्दू भाषा के बारे में कुछ आश्वासन दिये थे। मुझे हर्ष है कि इस चुनाव में धर्म-निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक और समाजवादी शक्तियों की विजय हुई है। मुस्लिम सम्प्रदाय, जिसने धर्म-निरपेक्ष और समाजवादी शक्तियों को विजयी बनाने में योग दिया, निराश नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उर्दू को उचित स्थान मिलना चाहिए और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रशासन-व्यवस्था को लोकतान्त्रिक बनाने के लिए विधेयक लाया जाना चाहिए।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : Education is the backbone of any country. It is impossible to develop Education without the help of national language. No country in the world could progress without the help of her mother tongue. One of the reasons for our backwardness in Education is the medium of a foreign language for our education.

We should give more importance to the Ministry of Education. We had been slaves for centuries, because we were not literate. Even after 23 years of independence, we have not been able to implement Article 45 of Directive Principles which says that the state shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this constitution, for free and compulsory Education for all children until they complete the age of fourteen years. The country can not develop merely by constructing national highways or big buildings. The country would progess only when compulsory and free education is imparted to all children until they the age of fourteen years.

By adding the Department of Social Welfare with the Ministry of Education, the problem relating to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes have been completly ignored.

According to the Report of the Commissioner of Scheduled Castes and Schedned Tribes, the persons belonging to Scheduled Castes in class I and class II services were 2.08% and 3.1% respectively whereas the corresponding figures for the Scheduled Tribes were 0.57% and 0.41% respectively.

The number of reserved seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been increased to 22%, but how far it is going to be implemented. There is two types of reservation one in services and the other in legislature. By virtue of political reservation, there are 114 members in this House. Initially the political reservation was only for 10 years. It was extended by 10 years more and this period has again been extended by additional 10 years. The I. C. S. officers do not want to fulfil the requisite quota on the plea that efficiency in offices would go down.

A Supreme Court judgement of 1968 has come in the way of recruitment and promotoin of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which says that Article 16, clause 2, prohibits discrimination and thus assures the effective enforcement of the fundamental rights of equality of opportunity guaranteed by article 16(1). The words "in respect of any employment" used in article 16 (2) must, therefore, include all matters relating to employment as specified in article 16(1). Therefore, we are satisfied that promotion to selection posts included both under aricle 16(1) and (2) does manifest that the scope of clause 4 of article 16 is not co-extensive with the guarantee of equality of all citizens in clause 1 of that article. In other words, clause 4 of article 16 does not cover the entire field covered by clauses (1) and (2) of that article. It further says that it is also necessary that the language of article 16(4) has to be interpreted in the context and background of article 335 of the Constitution. In other words, in making a provision for reservation of appointments or posts, the Government has to take into consideration not only the claims of the members of the backward classes, but also the maintenance of efficiency of administration which is a matter of paramount importance. After this judgement, there is virtually no reservation for the scheduled castes community. I therefore, request that the words "consistent with the maintenance of efficiency" should be deleted from article 335.

The hon'ble Minister stated that till the end of third five year plan, an amount of Rs. 37.5 crores had been spent on the betterment of scheduled castes and scheduled tribes community. This means that one rupee per head per annum had been spent on them.

The problem of agricultural labour is grossly miserable. They are forced by the big landlords to cast votes according to their sweet will. These landless labourers should be given a few acres of cultivable land at least. Although ceiling on land has been fixed in Punjab and Uttar Pradesh yet many people still have one to two thousand acres of land with them. Actually the ceiling Act has not been enforced forcefully. I would request the hon. Minister to look into this matter and distribute the surplus land to the landless scheduled caste and scheduled tribe people.

There would have been no need of providing political protection to schedule castes and tribes had their economic condition been improved and their children been provided educational facilities. Only a few persons are taking advantage of the political protection. They should be given loans to start cottage industries. A separate Financial Corporation should be set up for the purpose.

The number of the scheduled castes and scheduled tribes who adopt Budhism should also be provided all these amenities which are provided to the Hindus because Sikhs, Jains and Budhs are governed by the same law.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरापूर्व) : यह मानना पड़ेगा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लोग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। परन्तु इस बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि इन को दूर करने के लिए हमारी सरकार द्वारा अब तक इस ओर बहुत कम कार्यवाही की गई है। भूमिहीन किसानों तथा बेरोजगार लोगों की बहुत संख्या है। जब कभी भी हम इन जातियों के हितों की रक्षा की मांग करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इस प्रयोजनार्थ जनजाति विकास खण्ड बनाये गये हैं। हमारा अनुभव यह है कि ये खण्ड इन जातियों के हितों की रक्षा की गारंटी नहीं हैं। त्रिपुरा में पांच विकास खण्ड हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत लोगों को भूमि से निकाल दिया गया है और अब वे काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम रहे हैं। इन खण्डों में जनजातियों के एक भी व्यक्ति को खण्ड विकास अधिकारी अथवा परियोजना अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। एक प्रतिशत पद भी जनजातियों के लोगों में से नहीं भरे जाते, चपड़ासी के पद पर इन जातियों के लोगों को नहीं लिया जाता है। लगभग 4000 लोगों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया था। मैंने इस ओर सरकार का ध्यान भी दिलाया था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसी भी व्यवस्था है कि सरकार की अनुमति के बिना जनजाति के व्यक्ति की भूमि को गैर-जनजाति के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, परन्तु अनुमति प्राप्त-करना बहुत आसान है। सरकार को कानून द्वारा इसको निषेध घोषित करना चाहिए।

जहां तक जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोगों की शिक्षा का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि आम तौर पर स्कूल कस्बों तथा गैर-जनजाति क्षेत्रों में ही हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन संस्थाओं का लाभ नहीं उठा सकते। अतः मेरा अनुरोध है कि वहां पर छात्रावास बनाये जाने चाहिए जिससे कि पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को आवास की कठिनाई न हो।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के सभी बच्चों को छात्रवृत्तियां व पुस्तकें दी जानी चाहिए। अन्यथा ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत निर्धन हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री इन समस्याओं की ओर ध्यान दें और इनको दूर करने का प्रयास करें।

***श्री एल० के० दुमादा** (दहानू) : मैं थाना जिले की एक अनुसूचित जन जाति का सदस्य हूं। मेरे चुनाव क्षेत्र का अधिकांश भाग पहाड़ी है और इसके 90 प्रतिशत लोग जनजाति के सदस्य हैं एवं हरिजन हैं। यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकार ने कुछ योजना बनाई हैं परन्तु इन को तेजी से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। यद्यपि सरकार का विचार है कि जनजातियों का तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास किया जाये परन्तु जब तक जनजातियों के लोग स्वयं यह नहीं सोचें कि उनको समृद्ध बनना चाहिए तब तक कार्यक्रमों में तेजी नहीं आ सकती।

---

*मूल मराठी के अंग्रेजी अनुवादक रूपांतरण

* Hindi Translation of the speech delivered in Marathi.

निर्धनता दूर करने का शिक्षा का एक साधन है । परन्तु इस क्षेत्र में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । यह ठीक है कि सरकार ने सभी गांवों में स्कूल खोल दिये हैं परन्तु जनजाति के लोग इनका लाभ नहीं उठा पाये क्योंकि वे खेतों में कार्य करने वाले मजदूर हैं और ग्रीष्म काल में वे कस्बों में चले जाते हैं और इस प्रकार वे अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते ।

मेरा सुझाव है कि गांवों के इन स्कूलों को बन्द कर के पांच मील के अन्दर-अन्दर किसी केन्द्रीय स्थल पर स्कूल बनाये जायें और जनजाति लोगों के बच्चों को वहां छात्रावासों में रखा जाये । इस का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार को वहन करना चाहिए । इन क्षेत्रों में सिंचाई योजनाएं भी शुरू की जानी चाहिए । वन भूमि इन लोगों को दी जानी चाहिए । मकान बनाने के लिए इनको लकड़ियां दी जानी चाहिए । तथा इन लोगों का आर्थिक तथा शैक्षिक तौर विकास किया जा सकता है ।

Shri Dharma Rao Sharnappa Afzalpurkar (Gulbarga) : We have not witnessed any change in the educational system after independence. Mr. Mackaley introduced the education system in India with a view to produce slaves in this country. Unless we bring basic changes in this system we can not impart good education to our children. We should give due importance to education as we are doing in the case of defence. There are number of schools in our country where we have no teachers. In some places we have no buildings for the schools. There is a need to check the carelessness on the part of Government in this regard. We cannot reach the destination without proper and good education whatsoever our goals may be. Only 823 crores have been allocated for education in the Fourth Plan. It is too meagre an amount. This should be increased.

Political leaders have trespassed into the management of educational institutions and they are making their own gains. In my area there is an institution named Hyderabad Cultural Education Society. Nobody knows as to what has happened to the funds allotted by University Grants Commission during 1959 to 1969. The accounts have not been audited and no body is prepared to have a thorough enquiry with the whole affairs. We had submitted a memorandum last year to Prime Minister in this regard. But nothing has been done in this regard so far. I will request the hon. Minister to look into this matter.

No single teacher schools have any building. They are run either in Masjids or Mandirs. Harijan Children are not allowed to enter the Mandirs or Masjids. No attention has been paid in this regard. There is no use of establishing big Universities without paying much attention towards the single teacher schools. We should also find out the causes of indiscipline among the students. The pay of the primary teachers should be increased. Attention should be paid towards the welfare of teachers.

Shri Hari Singh (Khurja) : It is time that number of schools and school going students has increased but we can see that their moral standard has gone down. Moral and ethical education should be made compulsory in the schools. It is essential to check the criminal tendency amongst the students. We can very well see that Naxalites and extremists are getting shelter in the schools and Colleges.

The condition of the Primary, High and intermediary teachers is pitiable. There is a wide discrepancy in the payscale of teachers and other persons who are doing work of the similar standard. This discrimination should be removed.

Several types of schools have been opened in Uttar Pradesh. This has become an industry and corruption is rampant in them. I will request that Centre should take the education upto intermediary standard in his own hands. It should be nationalised.

There is no uniform system of education in our country, I suggest that in all the Universities private students should be allowed to take examinations. The Central Government should enact legislation in this regard. If we want to bring at par all people of the country socially and economically we should eradicate the evil of untouchability. A sepatate ministry of social welfare should be formed. I support the demands of the ministry.

Mr. Chairman : The hon. Members are aware that time of the House has been extended upto 7 P.M. today. This debate has to be finished today otherwise tomorrow again it will continue one to one and a half hour which means we have to guillotine the demands of other ministries.

Shri Ishaq Sambhali (Amroha) : Suddenly the time of the House has been extended by an hour. I do not know how this dicision has been taken. Many hon. members are not present in the House at this moment. I would request that hon. Minister may be asked to reply to debate tomorrow.

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur): Keeping in view the wishes of the hon. Members I would request the hon. Minister of education to reply to the debate to-morrow and discussion on the demands may be completed to-day.

Shri Ramsekhar Prasad Singh (Chapra) : I agree with my hon. friend Shri Maurya that people belonging to Scheduled Castes can work as efficiently as other persons if they are provided proper opportunities. But these people are not treated fairly. I know two officers one S. P. and other S. D. O. who were belonging to Scheduled Caste. They were removed on false charges under the Kapuri Thakur Ministry. I can say with confidence that their work was not inferrior to anyone. One Scheduled Caste officer told me that they are not treated well and that they are humiliated.

Apart from Central Universities, State Governments also set up Universities through their own legislation. Appointments to these Universities are made on caste and political basis with the result that standard of education is deteriorating day by day. There is a Rajendra College in Bihar. This Institution was set up to pursue the ideals of late Dr. Rajendra Prasad, but now it is a playground of caste and communalism.

Indiscipline and violence rule most of the Universities. The reason for this state of affairs is that politician are taking undue interest in the running of Universities. In this respect Government should ensure that only those universities are given grants which maintain a proper standard.

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti) : Reports of various committees set up at different times since the inception of present system of education provide key-note to the whole system.

Kothari Commission set up by the Government of India to look into the educational set up submitted its report in 1966. Had its recommendations been implemented properly, the educational system would have been changed and country benefited by it.

In the year 1967 a report on education was submitted by certain Members of Parliament. It was a valuable document, but it is a pity that it was also not implemented properly.

No doubt all this has contributed to the spread of education but there has not been any appreciable change in the system of education initiated by British.

Education should be nationalised from Primary level to Intermediate level. Secondary level education should be vocational based and education at University level should lay stress on Agriculture and technology. Politics, communalism and casteism should not be allowed to enter in educational institutions. Separate Ministries should be set up at Centre and in States to ensure educational and economic development of Harijans and Adivasis.

Shri Sadhu Ram (Phillaur) : The number of people belonging to Scheduled Castes and Tribes is quite large but a provision of Rs. 142 crores made in the Fourth Plan is not adequate and commensurate with their number. If we are really interested in establishing socialism, as we proclaim, we have to reconsider our Plans and lay more stress on the development of our weaker sections. These sections of the society are not provided adequate representation in services. Facilities provided by the constitution are not allowed to them. Recommendation of the Parliamentary committee on the welfare of Scheduled Castes and Secheduled Trides relating to enhancement of the rates of Scholarships should be implemented.

Economic condition of the people belonging to Scheduled Castes and Tribes is not good. They do not have houses to live. Government should fix some target date to improve their lot. There should be a separate Ministry to safeguard their interests otherwise this item of work should be transferred to the Ministry of Home Affairs.

Government should set up a Finance Corporation with 500 crore rupees to help Scheduled Castes and Scheduled Tribes people. In our Planning also we should pay more attention towards the development of backward areas.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The Government constituted education commission in the year 1964 and it submitted a report. A Parliamentary sub-committee was formed to consider this report. This sub-committee submitted its report. Now a Committee consisting of Members of Parliament should again be formed to review the implementation of the report of Parliamentary Committee.

By increasing the number of educational institutions the Government has done a commendable job for the spread of education.

The aim of education is to foster unity in the country. But it is a pity that in our country such sort of education is not being imparted. Government should pay proper attention towards this aspect of education.

The atmosphere prevailing in our educational institutions is not conducive to good education. Steps should be taken to ensure to establish a peaceful and conducive atmosphere in educational institutions employment opportunities should be created for educated unemployed.

We are raising slogans of socialism. We should try to bring Socialism in education also. We should have a uniform system of education for all children.

Steps should be taken to remove difficulties of teachers. They should be paid their dues in time. Security of service should be ensured for them.

There is complete chaos in the field of education in Bihar. No doubt education is a State subject yet Central Government should consider taking steps to improve the situation. Education should be nationalised in order to improve the atmosphere.

There has been a consistent demand for the establishment of a Mithila University in Bihar since 1945. Government should take effective steps to set up this University.

श्री एम० टी० राजू (नरसिंहपुर) : सरकार को चाहिये कि कम से कम प्रत्येक योजनावधि के अन्त पर एक ऐसा व्यवस्थित मूल्यांकन किया जाये जिससे पता लगे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की प्रति व्यक्ति आय में किस सीमा तक वृद्धि हुई है और इस मूल्यांकन के परिणाम उस प्रशासनिक प्रतिवेदन में दिये जाएं जो संसद सदस्यों में परिचालित किया जाता है। अभी

तक इन लोगों में साक्षरता तथा सेवाओं की संख्या में वृद्धि के बारे में ही बताया जाता है और उपरोक्त बातों के विषय में कोई जानकारी नहीं दी जाती।

वास्तव में अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लोगों की जीवन-चयन की परिस्थितियां पहले जैसी ही खराब हैं। सरकार के पास धनराशि की कमी को ही इस सम्बन्ध में मूल कारण नहीं कहा जा सकता। इस समस्या को हम केवल सामाजिक कल्याण की समस्या न मान कर सामाजिक न्याय की समस्या मानें, तभी हम इन समुदायों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उचित स्थान दिला सकते हैं।

यह सामाजिक न्याय की ही बात है कि संविधान के अन्तर्गत संसद एवं राज्य विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व देने, तथा सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश के हेतु इन समुदायों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अतः सामाजिक न्याय की दृष्टि से ही बजट सम्बन्धी नियत में भी इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक इन समुदायों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। देश की जनसख्या का 20 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। अतः बजट का आवंटन करते समय कम से कम 20 % धनराशि इन समुदायों के कल्याण के लिए रखनी चाहिये। इस बात को राष्ट्रीय विकास परिषद के साथ भी उठाना चाहिये।

Shri Ramautar Shashtri (Patna) : Students of all languages study in Universities. But in all the five Universities of Bihar efforts are being made to withdraw from students the option to write examination papers in certain languages. Government should ensure that option is allowed to students to write their examination papers in their mother tongue, be it Bangla, Urdu or Orriya.

Patna University is in very deplorable state of affairs. This is a very big and old University. But due to paucity of funds its working is in a mess. There are no library facilities, laboratory equipment for teaching Science subjects is also not there. Government should take over this University and run it as a model University.

Delhi is a metropolitan City. Therefore Government should ensure reservation of 25% seats in Moulana Azad Medical College and Indian Institute of Medical Sciences for outside students.

Standard of Central Schools is well maintained. Government should open such schools in every District. There is no Central School in North Bihar. Atleast one such school should also be opened at Samastipur.

The Policy of frequent transfer of teachers is not good. In fact it lowers the standard of teaching and leads to groupism. Government should, therefore, avoid frequent transfers of teachers.

श्री एस० एल० पेजे (रत्नागिरि) : यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में पिछले लगभग 10 वर्षों का इतिहास देखें तो प्रतीत होगा कि उच्च शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से इस अवधि में पर्याप्त प्रगति हुई है। देश में सन् 1970 में जबकि 46 विश्वविद्यालय थे परन्तु अब यह संख्या 83 है। 1960 में कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या 11,55,000 थी जो अब बढ़कर लगभग 28 लाख हो गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषरूप से अध्यापकों के आवासन के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपये व्यय करता है। परन्तु यह समस्या फिर भी बनी हुई है। अनुदान आयोग को विद्यार्थियों के होस्टलों और अध्यापकों के आवासन के लिए चौथी योजना के अन्त तक 12 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

सरकार ने उच्च शिक्षा के प्रसार की ओर जितना ध्यान दिया है, उतना ध्यान माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की ओर नहीं दिया जाता। गांवों के स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है। स्कूलों की इमारतें नहीं हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा की सर्वथा उपेक्षा है। निर्धारित वार्षिक आय सीमा के भीतर आने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतर राज्य सरकारों ने माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क कर रखी है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर अथवा माध्यमिक स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं के न होने के कारण वहां की जनता इस सुविधा से वंचित रह जाती है।

सरकार को छात्रावासों की संख्या बढ़ानी चाहिये जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्र इनमें रहकर अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

Shri T. D. Kamble (Latur) : It is embodied in the Directive Principles of the constitution that State shall make arrangements for free and compulsory education of all school going children upto the age of 14 years. But even after a lapse of so much of time after independence this has not been implemented. Paucity of funds is attributed as a reason by States for this. This has made the condition of Harijans and Girijans even worst. Their economic condition is such that they can not afford to spend anything on the education of their children. Central Government should provide funds to States by way of grants so that States could make arrangements for providing free and compulsory education.

A large number of students are being turned out by Universities and Colleges. Government should make arrangements for Industrial Training of these students along with their studies. It will help in checking unemployment amongst the educated.

In a period of one year three Minsiters have been made in charge of the Department of Social Welfare one after the other. Previously this Department was under the Ministry of Home Affairs. But now it forms part of the Ministry of Education. These frequent changes hinder the work of the Department. New incumbents have to spend time for understanding problems of Social Welfare. It would be more appropriate if this Department is again transferred to the Ministry of Home Affairs. That will help in the speedy implementations of decisions etc. relating to the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Budgetary allocations for education is not adequate. Actually much more money is required for this purpose. Then special attention should be paid towards backward classes. These communities should be given representation in services as per reservation under the Constitutional provisions.

Agricultural land which is being given to Harijans and Girijans is not sufficient. They should be given more land so that they could make their both ends meet.

Shri Satpal Kapoor (Patiala) : National Council of Educational Research and Training is not working properly. There is lot of Corruption and inefficiency in its working. Government should set up a Parliamentary Committee to enquire into the working of the Council. I am placing on the Table of the House a list of my points as there is no more time left for the discussion.

Mr. Chairman : If you have to place anything on the Table of the House, it will first go to the Speaker and if it is allowed only then it would be treated as having been laid on the Table of the House.

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री तथा संस्कृति विभाग मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : आज की चर्चा में शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याओं के सम्बन्ध में पूरी तरह विचार हुआ है ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार, 14 जुलाई, 1971/23 आषाढ़, 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, July 14, 1971/Asadha 23,1893 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—26-11-71—490